तृतीय माला, खंड 56, अंक 61 सोमवार, 16 मई, 1966/26 वैशाख, 1888 (शक)

Third Series, Vol. LVI, No. 61 Monday, May 16, 1966/Vaisakha 26, 1888 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

Preservation Unit
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 56 में अंक 61 से 63 तक हैं
Vol. LVI contains Nos. 61 to 63]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 60—सोमवार, 16 मई, 1966/26 वैशाख, 1888 (शक)

No. 60—Monday, May 16, 1966/Vaisakha 26, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1691	चीन द्वारा उद्जन बम का विस्फोट	Explosion of Hydrogen Bomb by China	8691–94
1692	हैदराबाद छावनी बोर्ड	Hyderabad Cantonment Board .	8694–96
1693	कलकत्ता के समाचारपत्र की बिक्री (सर्कुलेशन) सम्बन्धी दावे का सत्यापन	Verification of Circulation Claims of Calcutta Newspaper . .	8696–8701
1694	चीन और पाकिस्तान के बीच सांठ-गांठ	Sino-Pak. Collusion . . .	8701–04
1695	पादरी माइकेल स्काट	Rev. Michael Scott . .	8704–06
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
35	परादीप पत्तन	Paper Port	8706–10
36	पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में बारूदी सुरंगों का फटना	Explosion of Mines in Border Areas of Punjab	8710–14
37	इंडियन स्कूल आफ इण्टरनेशनल स्टडीज	Indian School of International Studies	8714–24

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय		
1696	मंत्रालयों का पुनर्गठन	Re-organisation of Ministries .	8725
1697	दिल्ली में जवानों का स्मारक	Memorial for Jawans in Delhi .	8725
1698	रूस का दौरा करने वाले साम्यवादी दल के प्रतिनिधिमण्डलों को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange allotted to Delegation of Communist Party visiting U.S.S.R. . .	8725–26
1699	नेताजी जयन्ती समारोह	Netaji Jayanti Celebrations .	8726
1700	भारतीय समाचार बुलेटिन	Indian News Bulletins . .	8726–27
1701	पाकिस्तान द्वारा हथियारों का खरीदा जाना	Purchase of Arms by Pakistan .	8727

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—77 Lok Sabha/66

तारा० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1702	पाकिस्तान में गुरुद्वारों की सम्पत्ति	Properties of Gurdwaras in Pakistan	8727
1703	विद्रोही नागा	Hostile Nagas	8728
1704	उद्योगपतियों के साथ गोल मेज सम्मेलन	R.T.C. with Industrialists . .	8728
1705	किचा थिवू द्वीप पर श्रीलंका की सरकार का दावा	Ceylonese Government Claim on the Island of Kicha Thivu .	8729
1706	कानपुर में मिश्रित इस्पात कारखाना	Alloy Steel Plant at Kanpur .	8729
1707	एन्नूर (मद्रास) में समुद्री डीजल इंजन कारखाना	Marine Diesel Engine Factory at Ennore (Madras) . . .	8729–30
1708	डोगरा बटालियन	Dogra Battalion. . .	8730
1709	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के एक अधिकारी का वियतनाम का दौरा	Visit of an official of E.A. Ministry to Vietnam	8730
1710	नेताजी के बारे में चलचित्र (फिल्म)	Film on Netaji . . .	8731
1711	असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये विचार विमर्श की व्यवस्था	Negotiating machinery for Civil Defence Employees . .	8731
1712	विद्रोही नागाओं की गतिविधियां	Naga Hostile Activities . .	8731
1713	प्रधान मंत्री की अमरीकी यात्रा के संबंध में प्रसारण	Coverage of P.M.'s visit to U.S.A.	8732
1714	ब्रिटेन के प्रतिरक्षा सचिव का वक्तव्य	Statement by British Defence Secretary	8732
1715	इस्लामी गुट	Islamic Block . . .	8732–33
1716	नौसेना के विमानों की दुर्घटनायें	Accidents to Naval Aircraft	8733
1717	वियतनाम में संघर्ष	Conflict in Vietnam . .	8733
1718	सेना के अफसरों द्वारा त्यागपत्र	Resignations of Army Officers .	8734
1719	पाकिस्तान द्वारा अमरीकी मानिटरिंग स्टेशनों का बन्द किया जाना	Closure of American Monitoring Stations by Pakistan	8734–35
1720	रोडेशिया और ब्रिटेन के बीच राजनयिक संबंध	Diplomatic Relations between Rhodesia and United Kingdom	8735

अतारा० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

5657	भारत कुवैत संयुक्त उपक्रम	Indo-Kuwait Joint Ventures . .	8735–36
5658	सस्ते रेडियो	Cheap Radios	8736
5659	सैनिक कर्मचारियों के लिये नये मैडल	New Medals for Army Personnel .	8736
5660	उड़िया समाचार-चित्र (न्यूज रील) तथा प्रलेख चित्र	Oriya News reels and Documentaries	8736–37
5661	पख्तुनिस्तान	Pakhtoonistan	8737

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5662	आकाशवाणी का विविध भारती कार्यक्रम	Songs on Vividh Bharati Programme of A.I.R. . . .	8737
5663	बौन (पश्चिम जर्मनी) में गांधी स्ट्रीट	Gandhi Street in Bonn (West Germany)	8737–38
5664	प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस अध्यक्ष की चैकोस्लोवाकिया की यात्रा	Visit of Prime Minister and Congress President to Czechoslovakia	8738
5665	अम्बाला में सैनिक इंजीनियरी सेवा (एम.ई.एस.) कार्यालय में फर्नीचर	Furniture at M.E.S. Ambala .	8738–39
5666	सैनिक अधिकारियों के साथ करार	Bond for Service Officers . .	8739
5667	रेडियो वाल्व के मूल्य	Prices of Radio Valves . .	8739–40
5668	बहराइच में राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये प्राप्त धन राशि	N.D.F. Collections in Bahraich .	8740
5669	नौसेना के कर्मचारियों के परिवारों को सुविधायें	Facilities to Families of Navy personnel	8740–41
5670	मेरठ जिले में स्थानीय समाचार-पत्रों के लिये अखबारी कागज का अभ्यंश	Newsprint Quota for Local Newspapers in Meerut District .	8741
5671	छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Cantonment Board Employees	8742
5672	गाजा में भारतीय सेना के दस्ते	Indian Contingent in Gaza	8742
5673	सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज का स्मारक	I.N.A. Memorial in Singapore	8742–43
5674	कीनिया में एक भारतीय चल चित्र का चित्रण (शूटिंग) करने की अनुमति देने से इन्कार	Refusal of Permission to shoot a Indian Film in Kenya . .	8743
5675	अणु शक्ति का प्रयोग	Use of Atomic Energy . .	8743–44
5676	छिपे हुए नागाओं तथा चीन के विदेश मंत्री के बीच बैठक	Meeting between Underground Nagas and Chinese Foreign Minister	8744
5677	टेलीविजन स्टूडियो	T. V. Studios . . .	8744
5678	राजगीर में आकाशवाणी का केन्द्र	A.I.R. Station at Rajgir . .	8744
5679	पुर्तगाली उपनिवेश	Portuguese Colonies . . .	8745
5680	मुसलमानों के धार्मिक स्थानों की भूमि	Land Belonging to Muslim Shrines	8745
5681	इसराइल के राष्ट्रपति के प्रति कथित अविनय	Reported Discourtesy to President of Israel	8746
5682	कटनी में संयंत्र	Plant at Katni	8746
5683	जवानों के लिये जूतों की खरीद	Purchase of Shoes for Jawans .	8746–47
5684	खेमकरन क्षेत्र में सुरंगों के फट जाने के कारण हुई मृत्यु	Deaths due to explosion of Mines in Khem Karan Area . .	8747

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5685	विदेशी विज्ञापनकर्ता अभिकरणों के साथ करार	Agreements with Foreign Advertising Agencies . . .	8747
5686	आयुध कारखानों के महानिदेशालय कलकत्ता में आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर)	Stenographers in Directorate General of Ordnance Factories, Calcutta	8747–48
5687	आयुध कारखानों के महानिदेशालय, कलकत्ता में स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति	Promotion of Stenographers in Directorate General of Ordnance Factories, Calcutta .	8748
5688	पश्चिम जर्मनी से टेलीविजनों का उपहार	T.V. Gifts from Germany . .	8748
5689	भारतीय राज्यक्षेत्र का क्षेत्रफल	Area of Indian Territory . .	8728
5690	नागालैण्ड का सेना के सुपुर्द किया जाना	Handing over of Nagaland to Army	8748–49
5691	हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi	8749
5692	आकाशवाणी के कर्मचारी	Employees of A.I.R. . . .	8749
5693	सैनिक को पेन्शन का दिया जाना	Payment of Pension to a Soldier .	8750
5694	आसाम में रेलगाड़ियों में विस्फोट	Assam Train Explosions . .	8750
5695	मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों पर कनाडा द्वारा आपत्ति	Canadian Objection to remarks in Annual Report of the Ministry	8750
5696	टेलीविजन उपकरणों की खरीद	Purchase of T. V. Equipments .	8751
5697	श्री मोहन रानडे	Shri Mohan Ranade . . .	8751–52
5697-क	संयुक्त राष्ट्र संघ को क्षेत्रफल के संबंध में भेजे गये आंकड़े	Area figures sent to U.N.O. .	752
5697-ख	दिल्ली में दो परिचारिकाओं (नर्सों) का अपहरण	Kidnapping of two Nurses in Delhi	8753
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
मद्रास में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना		Establishment of a Fertiliser Plant at Madras	8753–54
सभा पटल पर रखे गए पत्र		Papers Laid on the Table . .	8755, 8756–58
स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)		Re : Motion for Adjournment (Query)	8755–56
नियम समिती—		Rules Committee—	
कार्यवाही का सारांश		Minutes . . .	8759
प्राक्कलन समिति—		Estimates Committee— Minutes of Evidence .	8759
साक्ष्य का सारांश			
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की		Committee on Absence of Members from sittings of the House	
कार्यवाही का सारांश		Minutes . .	8759

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	8759
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of absence from sittings of House	8759-61
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges—	
सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report	8761
सभा का कार्य	Business of the House	8761
नागाओं की बर्मा में घुसपैठ के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 94 के उत्तर में शुद्धि	Correcting Answer to S. Q. No.94 re : Nagas infiltrations into Burma	8761-62
भुसावल डाउन गुडस यार्ड में हुए विस्फोट के बारे में वक्तव्य—	Statement re : Explosion in Bhusaval Down Goods Yard—	
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	8762
केरल साहुकारा नियम, 1964 को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के बारे में वक्तव्य—	Statement re : Delay in placing the Kerala Moneylanders Rules, 1964 on the Table—	
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	8762
संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक—अस्वीकृत—	Constitution (Nineteenth Amendment) Bill—Negatived—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to Consider—	
श्री हाथी	Shri Hathi	8763-64
दिल्ली प्रशासन विधेयक—	Delhi Administration Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	Motion to consider, as reported by Joint Committee—	
श्री हाथी	Shri Hathi	8764-66
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	Shrimati Renu Chakravartty	8766-67
श्री ब्रह्म प्रकाश	Shri Brahm Prakash	8767, 8769-70
श्री बड़े	Shri Bade	8770
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi	8770-71
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	8771
श्री शिव चरण गुप्त	Shri Shiv Charan Gupta	8771-72
श्री नवल प्रभाकर	Shri Naval Prabhakar	8772-73
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	8773
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	8774
प्रधान मंत्री की उडीसा यात्रा के बारे में वक्तव्य—	Statement re : Prime Minister's Visit to Orissa—	
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	8767-69
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के दर्जे के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion re : Status of High Court Judges—	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi . . .	8774
श्री नन्दा	Shri Nanda	8774
सभा का कार्य	Business of the House . .	8774–77
माल को उतारने-चढाने की पतनों की क्षमता के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion re : Capacity of Ports to Handle Cargo—	
श्री लिंग रेड्डी	Shri Linga Reddy . . .	8777
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poonacha . .	8777–78

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 16 मई, 1966/26 वैशाख, 1888 (शक)

Monday, May 16, 1966/Vaisakha 26, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चीन द्वारा उद्जन बम का विस्फोट

+

***1691. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री नाथपाई :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन शीघ्र ही उद्जन बम का विस्फोट करने वाला है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान आण्विक क्षेत्र में चीन की प्रगति की सम्भावनाओं तथा प्रभावों के बारे में उद्जन बम के आविष्कारक एडवर्ड टेलर द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) खबर है कि चीन लोकगणराज्य ने 9 मई को एक आण्विक विस्फोट किया। चीन सरकार द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिस अस्त्र का विस्फोट किया गया है, उसमें अणुतापीय (थर्मोन्युकलियर) सामग्री थी।

(ख) जी हां।

(ग) चीन द्वारा आण्विक सामर्थ्य का विकास करने के बारे में मैंने 10 मई को सदन में सरकार की प्रतिक्रिया बता दी थी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं यह मानता हूं कि 10 मई से अब तक सरकार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की अणु शस्त्रों के बारे में उपेक्षा और भाग्यवाद की ही नीति जारी रहेगी ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में वास्तविक एवं सकारात्मक रवैया अपनायेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : सरकार की नीति सकारात्मक और वास्तविक दोनों है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यदि सरकार के अणु-शस्त्र विस्तार पर रोक लगाने के लिये किये गये प्रयास असफल रहे तो क्या सरकार ने आणविक क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिये ब्रिटेन, अमरीका और रूस की सरकारों से इस सम्बन्ध में बात की है। यदि हां, तो उन सरकारों की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने ध्यान आकर्षित प्रस्ताव पर उत्तर देते हुये यह बात स्पष्ट की थी। अणु शस्त्र-विस्तार रोकने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। परन्तु यह तभी सम्भव है जब इसके लिये अणुशक्ति वाले बडे राष्ट्र इच्छुक हों और वे अणुशक्ति रहित देशों को कुछ आश्वासन दें।

श्री प्र० चं० बरुआ : माननीय वैदेशिक-कार्य मंत्री जी ने अभी कहा कि अणु शस्त्रों के विस्तार को रोकने के लिये सबसे बड़ी गारन्टी यही है कि अमरीका और रूस अणु शस्त्र रहित देशों को रक्षा का आश्वासन दें। संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ द्वारा इस प्रकार की गारन्टी कब तक दी जाने वाली है ? यदि इस प्रकार की गारन्टी दे भी दी गई तो अणु शस्त्रों द्वारा आक्रमण के समय भारत के हितों की इससे कहीं तक रक्षा हो सकेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे लिये यह कहना सम्भव नहीं है कि बड़े राष्ट्र कब तक ऐसा आश्वासन देंगे। इस सम्बन्ध में हम अपनी ही रक्षा सामर्थ्य पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : चीन के विदेश मंत्री ने हाल ही में "अमरीकी साम्राज्यवादियों, आधुनिक रूसी पुनरीक्षणवादियों और भारतीय प्रतिक्रियावादियों" का नाम देकर अमरीका, रूस और भारत तीनों को ही एक एक करके या सामूहिक रूप में चुनौती दी है। तत्पश्चात् चीन ने अणुतापीय (थर्मो न्युक्लियर) विस्फोट किया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ को इस विषय में कुछ लिख रही है और साथ ही क्या वह एशिया तथा अफ्रीका के अणु शस्त्र रहित देशों को चीन द्वारा दी गई अणु शस्त्रों की धमकी के विषय में लिख रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ और जिनेवा स्थित इन विषयों पर विचार करने वाली समिति के सामने रखा हुआ है कि यदि अणु शस्त्र वाले देश यह चाहते हैं कि अणु शस्त्रों को बढ़ावा न मिले तो उन्हें अणु शस्त्र रहित देशों को उचित आश्वासन देने ही होंगे। जब तक इस बात पर बड़े राष्ट्र सहमत न हो जाये तब तक इस विषय पर किसी को लिखना यथेष्ट नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस पर अभी तक समझौता नहीं हुआ है ?

श्री स्वर्ण सिंह : अभी तक नहीं।

श्री दी० चं० शर्मा : सतरह राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण आयोग इस समस्या का कोई समाधान निकाले बिना ही उठ गया कि अणु शस्त्रों की दौड़ आगे न बढ़े और विभिन्न देशों में अणु शस्त्रों के भंडार बढ़ते न चले जायें। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अणु शस्त्र वाले और अणु शस्त्र रहित देश अणु शस्त्र बढाने के विषय में कोई हल नहीं खोज पाये है और चीन और पाकिस्तान से हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है, क्या सरकार अपनी अणु शस्त्र सम्बन्धी नीति पर पुनः विचार करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : सरकार आणविक निरस्त्रीकरण, अणु-शस्त्र विस्तार और देश की रक्षा जैसे विषयों पर निरन्तर विचार करती रहती है।

Shri Ram Harkh Yadav : Govt. say that atom bomb will be produced at appropriate time. I would like to know that in the existing circumstances how long government will take in producing an atom bomb and what will be expenditure thereon ?

Shri Swaran Singh : I have no information about it.

श्री ही० ना० मुकर्जी : काहिरा में बुलाये गये तटस्थ राष्ट्र सम्मेलन ने यह प्रस्ताव किया था कि निरस्त्रीकरण पर विश्व-सम्मेलन बुलाया जाय। स्वयं चीन ने यह सुझाया था कि सभी राज्यों के प्रधानों की एक सभा बुलाई जाय जिसमें यह तय किया जाय ताकि आणविक शस्त्रों का भंडार पूर्णतः नष्ट हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार दक्षिणी एशिया में एक अणु-मुक्त क्षेत्र स्थापित करने के लिये कुछ ठोस कदम उठा रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : चीन का सुझाव तो केवल अणु शस्त्रों के पूर्ण विनाश के लिये था परन्तु हम तो इस पक्ष में है कि परम्परागत शस्त्रों को भी निशस्त्रीकरण में सम्मलित किया जाय ताकि इसका चीन के ऐसे हथियारों के विपुल भंडार पर भी इसका प्रभाव पड़े। अणु मुक्त क्षेत्र की बात को भी हम सिद्धान्ततः स्वीकार करते है किन्तु यदि चीन इस क्षेत्र में अणु शस्त्र बनाता रहे तो इसकी कोई महत्ता नहीं रह जाती। अतः इसके लिये भी चीन का सहयोग आवश्यक है और फिलहाल चीन की ओर से इस प्रकार का कोई संकेत नहीं मिल रहा है।

श्री हरिश चन्द्र माथुर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चीन का भी अमरीका, रूस और फ्रांस की तरह से यही रवैया है कि आणविक शस्त्रों पर उनका ही एकाधिकार पूर्ण नियंत्रण बना रहे और आणविक शस्त्रों को नष्ट करने की बजाय इन शस्त्रों के न बनाये जाने पर जोर दिया जाय और जब तक इस रवैये में परिवर्तन न होगा तब तक इन शस्त्रों को न बढ़ाये जाने की दिशा में कोई आगे प्रगति न होगी।

श्री स्वर्ण सिंह : यह दुर्भाग्य की बात है कि अणु शस्त्र वाले दो बड़े देश अम्रीका और रूस अभी इस बात को भी नहीं मान रहे हैं कि नये एटम बम न बनाये जायं। वर्तमान शस्त्रों के भंडार को पूर्णतः नष्ट करने की बात तो दूर रही। हम आशा कर रहे है कि जिनेवा सम्मेलन में अणु शक्ति वाले बड़े राष्ट्र आणविक शस्त्र न बनाने का वचन देंगे। हमने यह सुझाव दिया था कि बड़े राष्ट्र केवल परीक्षण न करने का ही वचन न दें बल्कि यह वचन भी दें कि वे नये बम नहीं बनायेंगे। किन्तु बड़े राष्ट्र इसके लिये इच्छुक प्रतीत नहीं होते। ये सब कठिनाइयां निशस्त्रीकरण के मार्ग में आ रही हैं।

श्री हरीश चन्द्र माथुर : आपके विचार में चीन के इस रवैये में क्या बल है ? यदि व इस क्षेत्र में एकाधिकार ही रखना चाहते हैं तो अणु शस्त्र न बढ़ाने के बारे में बात करना ही निरर्थक है ? क्या आप इस विचार से सहमत हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : चीन हथियारों के पूर्ण विनाश पर इसलिये जोर दे रहा है कि उसके पास केवल कुछ ही शस्त्र है जबकि अन्य देशों के पास सैकडों की संख्या में हैं। अतः चीन के इस दावे में भी कुछ चाल प्रतीत होती है।

श्री रंगा : इन अणु शक्ति वाले बड़े राष्ट्रों से सुरक्षा का आश्वासन लेने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? क्या सरकार को यह आश्वासन मिला हुआ है कि चीन के अणु शस्त्रों के द्वारा आक्रमण के समय वे राष्ट्र हमारी रक्षा करेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रकार की सुरक्षा सम्बन्धी समस्या का समाधान खोजन का हमारा आधार अन्तर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय है। द्विपक्षीय आधार पर हम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चाहते। हमारे और श्री रंगा के दृष्टिकोण में यही अन्तर है।

श्रीमती रेणुका राय : मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया है कि हम बहु-पक्षीय आधार में विश्वास करते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है; यदि नहीं तो क्यों ?

श्री स्वर्ण सिंह : संयुक्त राष्ट्र 17-देशीय समिति और विभिन्न देशों में परस्पर विचार विनिमय के माध्यम से इस ओर प्रगति की जा रही है।

+ Hyderabad Cantonment Board

***1692. Dr. Ram Manohar Lohia :**

Shri Kishen Pattnayak :

Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a nominated officer-Chairman of the Hyderabad Cantonment Board manhandled an elected member of the Board sometime in 1963 ;

(b) if so, the number of such incidents in the knowledge of Government ; and

(c) whether Government are formulating a scheme to provide autonomy to the Cantonment areas in the true sense and to abolish the system of nominating Members ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) Government are not aware of any manhandling of an elected member in any Cantonment.

(c) Meanwhile question of providing autonomy to the cantonment areas is under consideration but the total eliminaton of nominated members cannot be visualised at this stage.

Dr. Ram Manahor Lohia : I have a copy of judgement given in case of Shri Anjayya, a lecturer in same college, by a city Magistrate of Sikandrabad. It is stated therein that after this incident he was manhandled by military personnel present in the meeting. It appeared to be correct because police took him thereafter to the Gandhi Hospital for treatment. It further says that Brigadier did not look the elected member of the Board with him when he went to make an on the spot inquiries in a locality suffering from low pressure of water. Even then the Minister says that there are not such happenings in cantonment area.

श्री अ० म० थामस : जहां तक हमें मालूम है किसी कमान्डर ने किसी भी निर्वाचित सदस्य को नहीं पीटा। हमें तो इसके विपरीत सूचना मिली थी कि 29 नवम्बर 1963 को एक निर्वाचित सदस्य ने कमान्डर के ऊपर आक्रमण किया। वास्तव में बात यह थी कि 29 नवम्बर 1963 को छावनी बोर्ड की बैठक में श्री अंजैया इस प्रस्ताव को पास करवाना चाहते थे कि उनके अपने मुहल्ले में सबसे पहले तीन पक्की सड़कें बननी चाहियें। सभा में इसका विरोध हुआ जिसके फलस्वरूप सभा में हंगामा मच गया, और सभा की बैठक स्थगित कर दी गई। तदुपरान्त श्री अंजैया ने ऐसा रवैया अपनाया जो उसको शोभा नहीं देता। उसने ब्रिगेडियर पर सड़े-गले टमाटर भी फेंके।

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि वास्तव में यह अधिनियम 40 वर्ष से भी अधिक पुराना है। हम स्वयं इस अधिनियम में परिवर्तन करना चाहते हैं। दरअसल अधिनियम की कई धाराओं की जांच की गई तथा आपातकाल होने की वजह से हम जांच पूरी न कर सके।

मैंने प्रश्न के मुख्य उत्तर में दर्शाया है कि छावनी क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के प्रश्न की जांच की जा रही है। इसी दर्मियान कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत हमने इन बोर्डों को कुछ स्वायत्तता प्रदान की। इसके अतिरिक्त निर्वाचित तत्व का समावेश करने से तथा चुने गये और नामजद सदस्यों में समानता लाने से गणतन्त्रीकरण आगे बढ़ाया गया है।

Dr. Ram Manohar Lohia : The hon. Minister has even now given the wrong statement that in that meeting.........(**interruptions**). Please listen to me. The judge had decided that Brigadier had permitted to construct the road in that meeting. That was passed. After that a little......

Mr. Speaker : All that can not be investigated. You put up another question.

Dr. Ram Manohar Lohia : Before asking another question I would like to draw your attention that supposing a person threw some tomato, now could it mean that his bone should be broken ? Is it the way ? See the way of answering the question and there comes my point of order ....

Mr. Speaker : No point of order, you may ask another question.

Dr. Ram Manohar Lohia : Suppose tomato is hurled then would it that the right of breaking the bone is granted ?

Mr. Speaker : What should I decide ?

Dr. Ram Manohar Lohia : You are Mr. Speaker, if you can not decide this matter then.........

Mr. Speaker : I am not a court ?

Dr. Ram Manohar Lohia : You are a court in the sense that you can elicit the answer of my question.

Mr. Speakers: You may ask another question.

Dr. Ram Manohar Lohia : Does the Minister know that one crore people live in cantonments ? The rest 47 crore people enjoy the autonomous rights but the autonomy of these one crore people is being encroached upon heavily. Because half of the members in their Boards and Committees are nominated from the platoons and these members nullify the democratic autonomy of India so much so that the budgets to the time of 2 millions are passed within two minutes. In view of such circumstances will the hon. Minister isolate the Indian army from such undemocratic activities so that the people living in cantonments may enjoy autonomy as the rest are enjoying.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : माननीय सदस्य ने कुछ बहुत अच्छे प्रश्न उठाये हैं, और जैसा कि हमने मुख्य उत्तर में बताया है हम इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं। वास्तव में मैंने स्वयं सुधार आयोग के अध्यक्ष से स्वयं कहा है कि वे एक टीम बनायें जो इस प्रश्न का खासतौर से अध्ययन करें तथा यदि वे कुछ सिफारिशें करेंगे तो हम उन पर भी अवश्य विचार करेंगे। मैं सहमत हूं कि इसमें गणतंत्रीकरण की गुंजाइश है। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि हमने निर्वाचित तथा नामजद सदस्यों में समानता की सहमति प्रदान कर गणतंत्रीकरण की दिशा में कुछ कदम उठाये हैं।

जहां तक असैनिक क्षेत्रों की समस्याओं का प्रश्न है; एक असैनिक समिति का निर्माण किया गया है, जिसमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होता है तथा उनको इन समस्याओं के सम्बन्ध में सभी शक्तियां प्राप्त है। मैं इस स्थिति से पूर्ण सहमत हूं कि यह सब पर्याप्त नहीं है तथा बहुत कुछ करने को बाकी है।

Shri Kishen Pattnayak : The hon. Minister has accused or indicated that he indulged in manhandling. I would first of all like to know whether hurling of tomato can be called manhandling ?

Mr. Speaker : This is no question. The special information supplied by the Minister does not include this that throwing or hurling of tomato........

Shri Kishen Pattnayak : I would like to know whether the Minister has seen the jundgement of the Magistrate wherein he says :

"अभियुक्त की शिकायत, कि घटना के बाद सैनिक अधिकारियों तथा सभा में दूसरे उपस्थित लोगों द्वारा उसे बुरी तरह से पीटा गया, सही जान पड़ती है क्यों पुलिस ने उसे दूसरे दिन गान्धी अस्पताल में इलाज के लिये भेज दिया।"
Is he in the know of this.

श्री यशवंतराव चव्हाण : यह फैसला सरकार के ध्यान में नहीं आया। हम इस फैसले की भी जांच करेंगे।

कलकत्ता के समाचारपत्र की बिक्री (सर्क्युलेशन) सम्बन्धी दावे का सत्यापन

+

*1693. **श्री बासप्पा :**

श्री भागवत झा आजाद :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार ने दिवाकर समिति को बताया था कि कलकत्ता के एक समाचारपत्र का प्रकाशक बिक्री (सर्कुलेशन) सम्बन्धी खाते दिखाने से बराबर इन्कार कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो क्या दिवाकर समिति ने समाचारपत्र और उसके प्रकाशक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की सिफारिश की थी,

(ग) सम्बन्धित समाचारपत्र, उसके प्रकाशक और सम्पादक के नाम क्या हैं;

(घ) उसका अखबारी कागज का कितना कोटा नियत है, और

(ङ) समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा दिवाकर समिति के समक्ष साक्ष्य देने के बाद श्रव्य-दृश्य प्रचार के निदेशालय ने इस समाचारपत्र को कुल कितनी राशि के विज्ञापन दिये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) छोटे समाचार पत्रों की जांच समिति ने रिपोर्ट में यह बताया है कि समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार ने समिति को यह बताया था कि वे कलकत्ता के एक दैनिक पत्र के सर्कुलेशन का पता करने में कुछ कठिनाई अनुभव कर रहे हैं क्योंकि प्रकाशक ने आवश्यक खाते नहीं दिखाए हैं।

(ख) समिति ने यह कहा है कि इस प्रकार के मामलों में कानूनी कार्यवाही के लिए विधि मन्त्रालय की सलाह ली जानी चाहिए।

(ग) समिति की रिपोर्ट में प्रश्न के (क) भाग में बताये गये समाचार पत्र का नाम नहीं है। इस सम्बन्ध में समिति के सम्मुख दी गई गवाही के रिकार्ड में भी किसी विशे पत्र का नाम नहीं आया है।

(घ) तथा (ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

श्री बासप्पा : इस समाचार-पत्र के नामको ठीक-ठीक पता करने के बारे में क्या प्रयत्न किये गये हैं? क्या यह समाचार पत्र परिसंचरण लेखापरीक्षा ब्यूरो का सदस्य है?

श्री राज बहादुर : रजिस्ट्रार की धारणा है कि अधिकांश पत्र बिक्री का निरीक्षण करने के लिये अपनी हिसाब पञ्जिका तथा प्रासंगिक प्रलेख नहीं पेश करते हैं। 1965 में संख्या 149 थी। इसी संदर्भ में सारी स्थिति की जांच होने को है।

श्री रंगा : प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। समाचार पत्र का नाम जानने को क्या प्रयत्न किये गये? यह उन्होंने अपने रजिस्ट्रार से क्यों नहीं पता किया? यह शिकायत किसने की?

श्री राज बहादुर : यदि मैं एक तथा दूसरे समाचार पत्रों के बीच द्वेषपूर्ण भेद-भाव बरतला हूँ, जबकि 149 समाचार पत्र हैं, तो यह मेरे द्वारा किसी एक पत्र का नाम लेना उन सब सभी समाचार पत्रों के लिये अच्छा नहीं होगा।

श्री रंगा : प्रक्रिया के विषय में......

अध्यक्ष महोदय : जब किसी विशेष समाचार पत्र का नाम लिया जाय दूसरे पत्र भी हो सकते हैं—क्या मंत्री महोदय नहीं सोचते हैं कि इसका नाम दिया जाना चाहिये?

श्री राज बहादुर : मैं इसका नाम दे सकता हूँ तथा दूसरे पत्रों के भी नाम दे सकता हूँ जिनके बारे में शिकायतें आई हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह वक्तव्य सभा पटल पर रखा जाना चाहिये।

श्री राज बहादुर : यदि आप चाहें तो मैं ऐसा करूँगा।

श्री बासप्पा : पत्र का नाम देते हुये क्या वे बतायेंगे कि समाचार पत्रों के कागज़ की संख्या क्या है तथा विज्ञापन जो इस पत्र में निकलता है उसकी क्या राशि है?

अध्यक्ष महोदय : हम उन सभी चीजों के बारे में अभी नहीं पूछ सकते हैं।

श्री बासप्पा : केवल उस एक पत्र के बारे में।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वह पत्र का नाम देने के लिये सहमत नहीं होंगे लेकिन उनके पास सूचना होगी कि उस पत्र विशेष को कितना कोटा और कितना विज्ञापन दिया गया होगा?

श्री ही० ना० मुकर्जी : आपने इस प्रश्न को इस रूप में करने की आज्ञा दी। इस प्रकार पत्र का नाम लेने तथा उसके बारे में दूसरे विवरण देना कैसे उपयुक्त नहीं हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि यह अनुपयुक्त नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह तर्क संगत है जैसा श्री रंगा ने कहा तथा आप सहमत हुये, क्योंकि समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार उन्हीं के मंत्रालय के कर्मचारी हैं और क्योंकि उन्होंने समिति के सामने गवाही दी जिसका मैं भी एक सदस्य था, नाम ज्ञातकर सभा के सामने रखना बहुत आसान है।

श्री राज बहादुर : शिकायत साधारण थी। मेरा सभा से नाम छिपाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। प्रश्न द्वेषपूर्ण भेद-भाव करने का है। जैसी आपने राय दी मैं इसे सभा-पटल पर रखूंगा।

श्री त्यागी : केवल एक नाम ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या श्री अतुल्य घोष का उस पत्र से सम्बन्ध है ?

श्री राज बहादुर : क्योंकि इस पर जोर दिया जा रहा है मैं कह सकता हूँ कि पूर्व प्रमाणित अधिकार पर आधारित मांग पर, 1964-65 तथा 1965-66 की मांग 1009.50 मैट्रिक टन की थी और दी गई संख्या 462.91 मैट्रिक टन की है जो हकदारी के 50 प्रतिशत से भी कम है ।

श्री रंगा : उस पवित्र पत्र का क्या नाम है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपका निर्देशन चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किस आधार पर नाम के बारे में सदस्यों के प्रश्नों को अस्वीकार करूं ?

श्री राज बहादुर : मुझे नाम देने में कोई आपत्ति नहीं है । इस पत्र का नाम **जन सेवक** है । मेरे पास 23 या अब 28 हैं । यदि एक का नाम देता हूँ और दूसरों का नहीं तो यह पत्रों के बीच में द्वेषपूर्ण भेदभाव करना होगा ।

श्री भागवत झा आजाद : रजिस्ट्रार ने दिवाकर समिति के सामने गवाही दी कि समाचार पत्र विक्री राशि नहीं प्रकट कर रहा है । क्या यह सच नहीं है कि उसी समिति ने सिफारिशें की हैं कि ऐसे पत्र का कोटा, जिसपर अभियोग लगाये गये हों कम नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि उसे कारण बताओ नोटिस न दिया गया हो ? क्या यह सच है कि पत्र ने तब से सभी सूचनाएँ दे दी हैं तथा तब भी मंत्री महोदय ने कारण बताओ नोटिस दिये बिना ही पत्र का कोटा क्यों कम किया है ?

श्री राज बहादुर : सच यह है कि पहिले दो सालों में आवश्यक लेखापुस्तें नहीं पेश की गईं । बाद में सभी कागज़ात प्राप्त हुये । उसी आधार पर 22,318 प्रतियों के विक्री के दावे के विरुद्ध 11,000 प्रतियों की विक्री आंकी गई और उसी आधार पर फैसला हुआ ।

श्री भागवत झा आजाद : मौका देने के बाद आपने यह कैसे किया ?

श्री राज बहादुर : उचित नोटिस देने के बाद उनको अधिकार है कि वे अपील करें ।

श्री भागवत झा आजाद : यह रजिस्ट्रार बहुत ही पक्षपाती है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझ पाया कि आपने क्या कहा ।

श्री राज बहादुर : यह घटना घटने के बाद यह दूसरे रजिस्ट्रार हैं । इसलिये इनमें कोई भी पक्षपाती नहीं रहा ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूँ कि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को कानूनी अधिकार है या समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार को अधिकार दिये गये हैं कि समाचार पत्रों को विवरण देने को कह सके तथा यदि नहीं तो, सरकार उन समाचार पत्रों के बारे में जो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम का पालन नहीं करते है, क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री राज बहादुर : समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार को अधिकार हैं कि वह प्रत्येक पत्र से अधिकृत विक्री की सहायता में विक्री की जांच करें, साक्षी, हिसाब आदि मांगें । यदि ऐसा नहीं होता है तो रजिस्ट्रार को अधिकार है कि उचित नोटिस देने के बाद पत्र विशेष में छपे जाने वाले समाचारों के कोटे को घटाये । यह स्वीकृति उन्हें प्राप्त है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जान सकता हूं कि क्या दिवाकर समिति का प्रतिवेदन आने के बाद अतुल्य घोष द्वारा संपादित **जन सेवक** के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं शुरु की तथा क्या यह भी सच है कि कोटा कम किये जाने के बाद राजस्थान के मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप करके सूचना मंत्री से सत्ताधारी दल के इस प्रमुख पत्र का कोटा मुक्त करवाया ? क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार ने इस पत्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है ?

श्री राज बहादुर : प्रश्न के दूसरे हिस्से में दोषारोपण की जो बात कही गई है उसकी मैं निन्दा करता हूं। इसमें बिल्कुल भी सचाई नहीं है। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कभी मुझसे नहीं कहा।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में क्या हुआ ? मेरे प्रश्न का पहला भाग है ......

अध्यक्ष महोदय : प्रथम भाग का भी उत्तर दिया जा रहा है किन्तु माननीय सदस्यों को भी अधिक ज़िम्मेवारी प्रकट करनी चाहिये। उन्हें दोषारोपण करने पूर्व स्वयं निश्चय करना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : दोषारोपण क्या हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मंत्री पर है कि वह इन्कार करें या निन्दा करें, किन्तु शरारत की गई है ?

श्री स० मो० बनर्जी : व्यक्तिगत व्याख्या के विषय में.........

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहूंगा कि उनके पास यह कहने का क्या आधार है। **(व्यवधान)**

श्री पें० वेंकटासुब्बया : उन्होंने एक अभियोग लगाया है। उनके पास इस प्रकार के अभियोग लगाने के तथ्य है ?

अध्यक्ष महोदय : तभी किसी सदस्य को बोलना चाहिये जब मैं उन्हें पुकारूं। मैं उन्हें पुकारूंगा। इस प्रकार नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार ने दिवाकर समिति की सिफारिश के होते हुये भी **जन सेवक** पत्र जो अतुल्य घोष के प्रशासन द्वारा निकाला जाता है के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरम्भ की है तथा क्या यह भी सच है कि जब कोटा कम किया गया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री सुखाडिया ने सूचना मंत्री से कोटा बनाये रखने का अनुरोध किया। दोषारोपण क्या है ? यदि ऐसा नहीं है तो उन्हें कहने दीजिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह पर्याप्त नहीं कि एक प्रश्न इस प्रकार फेंका जाय— क्या यह सच नहीं है कि ऐसे प्रश्न के साथ इस प्रकार की कार्यवाही हुई, किसी व्यक्ति ने झूठ बोला—और यह सब एक मंत्री महोदय के द्वारा हो रहा है ? वह पर्याप्त नहीं है। सदस्यों को आश्वस्त हो जाना चाहिये कि इसमें विश्वास करने का काई आधार है।

श्री स० मो० बनर्जी : समाचारपत्र के खिलाफ जांच कराई जाय। चोर बाजारी चल रही है। क्योंकि श्री अतुल्य घोष उसमें हैं, इसलिये जांच नहीं की जा रही।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मुझे सूचना दें।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वह निर्णय पहिले होना चाहिये । अगर यह पूछा जाय "मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के व्यक्ति ने बलात्कार किया है," शरारत हुई है और यदि मंत्री महोदय कहते हैं कि यह सच नहीं है, तो क्या यह पर्याप्त होगा? सर्वप्रथम सदस्य महोदय को स्वयं आश्वस्त होना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : अगर में सन्तुष्ट होता तो मैं एक निश्चित प्रश्न करता ... (व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : इसी प्रकार क्या कोई पूछ सकता है कि क्या श्री बनर्जी ने इस प्रश्न को पूछने के लिये कुछ धन प्राप्त किया है ?

श्री त्यागी : जब कि निष्पक्षता से एक ही प्रकार के समाचार पत्रों में से एक पत्र का नाम लिया गया है तो यह अधिक उपयुक्त होता कि 10 या 12 पत्रों के और नाम पढ़े जाते । अतः मैं पाँच या छ: अन्य पत्रों के नाम लेनेकी राय दूंगा । वे नाम क्या हैं ?

श्री राज बहादुर : आन्ध्रप्रदेश से: वाहिनी, प्रगाथी, सहकारी तिम्बर समाचार, बिहार से: आवाज नवराष्ट्र, साथी, विमान, आत्मा, हिमालय, नकीब, नवशक्ति, नेपाल सन्देश, पैगाम-ए-नेहरू, रोशनी, उत्तर बिहार, विश्वबन्धु, चत्रबन्धु, ग्राम-सेवक, सेवांजली; दिल्ली से: नामधारी समाचार, नवन हिन्दुस्तान, वतन, दौर-ई-जदीद, इण्डिया, हरिजन, जासूसी फन्दा, गुजरात से: आगाहाई, प्रकाश, स्फुलिंक....... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कितने हैं?

श्री राजबहादुर : मेरे पास 1965 के 149 मामले हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे सभा-पटल पर रखे जा सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि यह पत्र विशेष विक्री संख्या बढ़ा चढ़ा कर दे रहा था तथा अनावश्यक रूप से अधिक कोटा ले रहा था। क्या सरकार ने अतिरिक्त कागज को चोर बाजारी से बेचने के सम्बन्ध में जांच की है ?

श्री राज बहादुर : इस तरह की कोई चीज़ हमारे नोटिस में नहीं आई। दूसरी तरफ 1962 में राज्य सरकार ने पत्र के अधिकार का समर्थन किया तथा इसपर प्रश्न हुये थे और रजिस्ट्रार ने जांच कराने का वायदा किया। क्योंकि कुछ तथ्यों के आधार पर 11,000 प्रतियों की विक्री का निर्णय किया गया था तथा इस का भी सम्बन्धित पत्र ने विरोध किया।

श्री रंगा : वे क्या कहते हैं ? उत्तर क्या है ? क्या श्री द्विवेदी के प्रश्न का यही उत्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि मंत्री महोदय ने कहा है पत्र ने विक्री को बढ़ा चढ़ा कर बताया है तथा जांच करने पर पता लगा कि विक्री वास्तव में बहुत कम थी।

श्री राज बहादुर : मैं ने कहा है कि राज्य सरकार ने अपने परिचालन अधिकारी द्वारा पत्र के अधिकार का समर्थन किया है। कुछ प्रश्न किये गये, कुछ जांच हुई तथा जांच के परिणाम स्वरूप हमने परिचालन की संख्या 11,000 नियत की। (व्यवधान)...... जहांतक सरकार का सम्बन्ध है, हमने निर्णय किया है कि उनको 22,000 प्रतियों को परिचालन की जगह 11,000 प्रतियों को ही परिचालित करना चाहिये। वे विरोध कर रहे हैं तथा हम इसे अन्तिम स्थिति नहीं मानते।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवदी : क्या यही मेरे प्रश्न का उत्तर है ? जब मैं अनुपूरक प्रश्न करता हूं तो वे कहते हैं कि ऐसा हुआ है.........

अध्यक्ष महोदय : उत्तर आ गया है कि पत्र विरोध कर रहा है तथा उनका परिचालन उतना ही है जितना वे दावा कर रहे हैं।

श्री सुरेंद्रनाथ द्विवेदी : नहीं; श्रीमान ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : कागज की चोर बाज़ारी के बारे में क्या सरकार ने जांच नहीं की है ? ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि परिचालन उतना नहीं था जितना प्रकट किया गया था। पत्र इस मामले में अभी लड़ रहा है।

श्री नम्बियार : हर पत्र लड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : यही स्थिति है ।

श्री राज बहादूर : मैं एक बात स्पष्ट कर सकता हूं ? सम्पूर्ण 149 पत्रों के बारे में रजिस्ट्रार के अनुसार सबसे बडी कठिनाई यह थी कि उन्होंने लेखा-पुस्ते पेश नहीं की । अगर पेश की गई तो उनकी समय-समय पर जांच की गई, उसमें कुछ असामान्य नही था। 149 पत्र रद्द नहीं किये जा सकते हैं ।

श्री रंगा : अपने हितों में उन्होंने उनके बाद दो सालों तक लेखा नहीं भेजा ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री च० का० भट्टाचार्य ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : मंत्री महोदयने सभा को बताया कि 100 से भी अधिक पत्र अपेक्षित परिचालन संख्या देने में असफल रहे । क्या उन्होंने कोई जांच की है कि रजिस्ट्रार ने इसी पत्र पर क्यों आक्रमण किया है, जबकि दिवाकर समिति ने 100 से भी अधिक पत्रों का अपराधियों की सूची में रखा है ?

श्री राज बहादुर : कारण यह था कि इस पत्र के विरुद्ध कुछ लोगों ने जो इस के खिलाफ फिर से शिकायतें की थी। अत: साधारण तौर पर जांच की जानी चाहिये ।

श्री नम्बियार : इस पत्र के सम्पादक कौन हैं?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । दूसरा प्रश्न ।

चीन और पाकिस्तान के बीच सांठ-गांठ

*1694. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी दोनों भागों में हाल ही में चीन और पाकिस्तान के द्वारा किये गये युद्धाभ्यास के परिणास्वरुप भारत के विरुद्ध चीन और पाकिस्तान की सांठ-गांठ के बारे में सरकार ने क्या नवीनतम अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके दुष्परिणाम को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अध्यक्ष लिओ-शाओ ची की हाल की पाकिस्तान यात्रा और इस यात्रा के दौरान चीनी और पाकिस्तानी नेताओ ने जो बयान दिए हैं, उनसे भारत के खिलाफ चीनी-पाकिस्तानी सांठ-गांठ की साफ तौर से पुष्टि होती है। चीन द्वारा पाकिस्तान को सैनिक उपकरण देने से चीन-पाक सांठ-गांठ में एक नया अध्याय जुड गया है;

(ख) सरकार इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये आवश्यक कदम उठा रही है।

श्री श्रीनारायण दास : पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और तब से पाकिस्तान ऐसी नीति पर चला है जिस से पाकिस्तान चीन के और निकट आ गया है और साथ ही साथ अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के भी निकट आ गया है, क्या भारत सरकार ने इस प्रश्न का अध्ययन किया है ? इस अध्ययन का क्या परिणाम है और इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : अध्ययन का परिणाम यह है कि जिस प्रकल्पना का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं वह ठीक नहीं है।

श्री श्रीनारायण दास : क्या यह सच है कि युद्ध विराम रेखा के पार कुछ महत्वपूर्ण चौकियों को चीनी विशषज्ञों और चीनि हथियारों को सहायता से अभी मजबूत किया जा रहा है यदि हां, तो निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली स्थिति का सामना करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : कुछ दिन पहले इस सभा में इस प्रश्न का हवाला दिया गया था। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने रक्षा कार्यों को दृढ़ करना है और करार के विरोध पाकिस्तान जो भी कदम उठाता है वह ताशकंद घोषणा और भावना का खुले तौर पर उल्लंघन होगा।

श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : क्या यह सच है कि गिलगिट क्षेत्र का कुछ भाग पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया है ? क्या चीन पाकिस्तान की फौज को प्रशिक्षण देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमें सूचना मिली है कि पाकिस्तानियों को चीनियों ने अस्त्र-शस्त्र दिये किन्तु चीनियों द्वारा पाकिस्तान की फौज के प्रशिक्षण के बारे में हमें कोई पक्की सूचना नहीं मिली।

श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : पाकिस्तान द्वारा चीन को गिलगिट क्षेत्र के दिये जाने का जिक्र मैंने किया था।

अध्यक्ष महोदय : पाकिस्तान द्वारा चीन को गिलगिट क्षेत्र के कुछ भागों का समर्पण।

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा दबा लिये गये काश्मीर के भाग का उत्तरी भाग पाकिस्तान ने चीन को दे दिया जिसे उन्होंने सीमा करार बताया। इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

Shri Bade : Hon. Minister has just said that these steps are being taken in contravention of the Tashkent spirit, so may I know whether Government has written to the Government of Russia or they have been informed about the situation that drawing nearer of Pakistan with China is contrary to the Tashkent agreement ? If so, what is the reaction of Russia in this regard.

श्री स्वर्ण सिंह : चीन ताशकंत घोषणा की पार्टी नहीं है। मैं जानता हूं कि वह आरम्भ से ही ताशकंत घोषणा का विरोध कर रहे हैं और उनका कार्य वास्तव में उनके आरंभिक दृष्टिकोण के अनुरुप है कि वह ताशकंत घोषणा को असफल करने के लिये कदम उठायें। **(अन्तबाधा)**। माननीय सदस्य यहां अकसर नहीं आते और यही कारण है कि वह प्रश्न को दोहरा रहे हैं। इसका उत्तर पहले दिया गया है कि पाकिस्तान द्वारा ताशकंत घोषणा के उल्लंघन के बारे में हम रुस को सूचना देते रहे हैं। मैं ने पहले ही सभा को सूचना दे दी है। शायद माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे।

श्रीमती सावित्री निगम : पाकिस्तान द्वारा चीन को इलाके का समर्पण और चीन की फौज में पाकिस्तान के लोगों के नियमित प्रशिक्षण ने पाकिस्तान और चीन के भयानक समझौते को साफ तौर पर सिद्ध कर दिया है : वे कौन से देश है जो इस भयानक समझौते की निन्दा करते हैं। अपनी और साथ ही साथ इन दो सम्बन्द्ध देशों की स्थिति की सुरक्षा करने के लिये हम कौन से उपाय करने जा रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह: अपनी एकता और रक्षण-साधनों को मजबूत बनाने के लिये उपायों को हमने जारी रखना है। कौन से अन्य देश चीन-पाकिस्तान समझौते या सांठ-गांठ का तिरस्कार करते हैं, यह निश्चय करना उन देशों का काम है। संसार भर में घूमने और अन्य देशों से पाकिस्तान और चीन के बीच सांठ-गाठ का तिरस्कार करने के लिये कहना ठीक बात नहीं है। इस सम्बन्ध के अपने मूल्यांकन का अन्य देशों को संकेत करते हुए हम ने अपनी रक्षा करनी है और यह निश्चय करना अन्य देशों का काम है। **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : अन्य देशों के बारे में हम अपनी राय नहीं दे सकते।

श्री स्वैल : क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के हाल के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत-पाकिस्तान झगड़े से पहले जो सम्बन्ध अमेरिका और पाकिस्तान में थे उन्हीं सामान्य सम्बन्धों पर वे पहुंच गये हैं। क्या सरकार ने उस वक्तव्य की सचाई का मूल्यांकन किया है और यदि इसमें सत्यता है तो चीन-पाकिस्तान की साठ-गांठ से इसका क्या सम्बन्ध जोडते है, जिसका मंत्री ने हवाला दिया है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने रिपोर्ट देखी है। रिपोर्ट के विषय की सचाई के बारे में चीन अथवा अमेरिका कुछ कह सकते हैं। मैं यह कैसे बता सकता हूं कि पाकिस्तान के सम्बन्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सामान्य हो गये हैं या नहीं।

Shri Prakash Vir Shastri : I want to know whether it is a fact that China and Pakistan have entered into a collusion and they firstly want to create internal troubles in the eastern part of the country particularly Assam, Manipur, Tripura and Nagaland and then occupy the eastern part of India when favourable conditions exist.

श्री स्वर्ण सिंह : सदन में थोडा शोर था और मैं प्रश्न को पूरी तरह समझ नहीं सका। यह तथ्य है कि पाकिस्तान हमारे देश के पूर्वी भाग में नागा लोगों को प्रोत्साहित करता रहा है और वे मिजो लोगों को भी उकसाते रहे है। चीनियों का इस में कहा तक हाथ है यह कहना कठिन है। यदि चीन का कोई हस्तक्षेप होगा तो वह पाकिस्तान से होकर होगा और वह भी पाकिस्तान की सहायता से होगा। हम स्थिति से सचेत है और हम ने आवश्यक शोधक उपाय करने है ।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, Minister has just agreed that there is collusion between China and Pakistan, the House is going to be adjoruned, we are returning to our constituencies and there people will ask us about our military preparations and what external assistance we will get. As the Defence Minister has accepted the previous day that a lakh and half Chinese soldiers have concentrated on our border, people cannot be deceived. They would like to know something definite about activities of our Government for military preparedness and foreign assistance.

श्री स्वर्ण सिंह : प्रतिरक्षा मंत्री ने यह विषय लिख लिया है। हमारी रक्षा सेनाओं के प्रबन्ध के बारे में आंकड़े देना व्यावहारिक नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, this is point of order. We have been elected by the people of India. They cannot be put off like this. They want to know something definite in regard to security of India. Hon. minister may please give us definite information.

Mr. Speaker : He is not prepared to tell us. You ask him separately in the party.

श्री त्यागी : क्या चीन के लोग एक सड़क बनाने में पाकिस्तान की सहायता नहीं कर रहे हैं जोकि हाजीपोर बलज को चोन से मिलायेगी ताकि वह आसानी से कवचित गाड़ियों को हमारे मोर्चे पर ला सकें? यदि यह तथ्य है तो क्या सरकार इस सदन को विश्वास दिलायेगी कि वह इस मामले में तत्काल रक्षात्मक कार्य कर रहे हैं?

श्री स्वर्ण सिंह : श्रीमान जी, मैं यह कहने में असमर्थ हूं कि ऐसी कोई सड़क बन रही है।

श्री श्याम लाल सर्राफ : यह दोनों सड़क मिल नहीं सकती।

श्री त्यागी : मैं उस सड़क के बारे में कह रहा था जो चीन के इलाके को हाजी पीर से मिलाती है जिसकी दूसरी ओर पाकिस्तान भारी प्रतिरक्षात्मक अधिष्ठान की स्थापना कर रहा है। क्या चीन के लोग इस सड़क के निर्माण में उनकी सहायता नहीं कर रहें है ताकि वह अपनी गाड़ियां मोर्चे पर ला सकें?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि वे चाहे तो चीनी गाड़ियां पाकिस्तान के क्षेत्र में लाई जा सकती हैं और वहां से वह पाकिस्तान द्वारा हथियाये गये किसी भाग में जा सकती हैं। हाजीपीर और चीन के क्षेत्र के बीच इस सड़क पर मैं और कोई रोशनी नहीं डाल सकता।

पादरी माइकेल स्कॉट

*1695. **श्री हेम बरूआ :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री किशन पटनायक :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रधान मंत्री तथा छिपे नागा नेताओं के बीच दूसरी बार हुई बातचीत पूरी हो जाने के तुरन्त बाद नागालैंड, शांति दल के सदस्य पादरी माइकेल स्कॉट के विरुद्ध कार्यवाही की जाने के बारे में मंत्री महोदय ने सभा में जो कुछ कहा था, क्या उस के प्रसंग में पादरी स्कॉट के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने रेवरेंड स्कॉट से भारत छोड़ने को कहा है और वह देश छोड़कर जा चुके हैं।

श्री हेम बरुआ : अब जबकि नागालैंड के मुख्य उपद्रवी वहां नहीं रहे, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि नागालैंड के बापटिस्ट गिरजा ने एक और शांति निकाय की स्थापना की है—हम इसे "शांति दल" पुकारते हैं—यदि हां तो क्या सरकार हमें इस बारे मे बताने में समर्थ है कि : (क) बापटिस्ट गिरजा जैसी धार्मिक संस्थाओं को राजनैतिक मामलों में नहीं पड़ना चाहिये क्योंकि इससे राजनैतिक वाद जटिल हो जाते हैं, और; (ख) क्या सरकार हमें बताने के लिए तैयार है कि दुसरा शांति निकाय स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि नागालैंड में शान्ति निकाय के बारे में हमारा अनुभव है कि शान्ति निकाय नागालैंड में "अशान्ति" पैदा करते हैं और इसके साथ छिपे हुए नागा नेता प्रधान मंत्री से बातचीत कर रहे हैं?

श्री दिनेश सिंह : इस सम्बन्ध में हमने रिपोर्टें देखी हैं कि चर्च नेताओं ने शांति दल में कुछ और लोगों को नामजद किया है। हमें कोई संदेश नहीं मिला।

श्री हेम बरुआ : आप ने प्राप्त किया है। विदेश मंत्री के कार्यालय में 12 मई को बापतिस्मा दल का संदेश पहुंचा है और वह मौजूद है।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । उत्तर सुनने चाहिये ।

श्री दिनेश सिंह : मुझे संदेह है कि माननीय सदस्य के पास काफी सूचना है किन्तु मैंने आज प्रातःकाल भी जांच पड़ताल की है । हमें अभीतक गिरजा के नेताओं से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ । जब हमें प्रस्ताव प्राप्त होंगे तो हम माननीय सदस्य के सुझावों को ध्यान में रखेंगे ।

श्री हेम बरूआ : अब श्री चालिहा अब अप्रचलित शांति दल के सदस्य ने एक वक्तव्य जारी किया है जिस में कहा गया है कि यह तथाकथित नागालैंड संघीय सरकार का सशस्त्र विभाग है जोकि आसाम में किये गये ध्वंस के लिए उत्तरदायी है और तथाकथित नागालैंड संघीय सरकार का असैनिक विभाग को श्री० चालिया द्वारा प्रेरित किया गया था कि वे एक वक्तव्य जारी करें जिसमें आसाम में हुए ध्वंस के इन कार्यों की निन्दा करे, इस संदर्भ में मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार दूसरा या तीसरा या कोई और बातचीत का दौर इन छिपे हुए नागा नेताओं के साथ रखेगी यदि वह ऐसे लोग हैं जो अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकते, जिनका अपने सशस्त्र विभाग पर कोई अधिकार नहीं है और जो यह सब तबाही मचा रहे हैं ? इसका उत्तर प्रधान मंत्री को देना चाहिये ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : श्रीमान जी, मेरा विचार है कि हम इन बातों को खत्म करने में जल्दी नहीं मचायेंगे । लेकिन अभी तीसरे दौर के बारे में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया ।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न विशिष्ट था। अब अप्रचलित नागालैंड शांति दल के सदस्य श्री चालिहा ने खुलमखुला कहा है कि ध्वंस के इन कार्यों को करने के लिए नागालैंड वैरियों का सशस्त्र विभाग उत्तरदायी है और इसके साथ ही छिपे हुए नागा नेताओं के असैनिक विभाग ने ध्वंस के इन कार्यों की निन्दा की है । इस से स्पष्ट होता है कि नागा असैनिक विभाग का सशस्त्र विभाग पर कोई काबू नहीं है । इसलिए इन लोगों के साथ कोई बातचीत करने का क्या उद्देश्य है जो अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते **(अन्तर्बाधा)**?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वह उसी प्रश्न को दोहरा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर मिल गया है । इन बातों को तोड़ने में जल्दबाज़ी करने की सलाह सरकार की नहीं है । श्री यशपाल सिंह ।

श्री हेम बरुआ : मैं ने समझा था कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिये ।

श्री हेम बरुआ : मैं उसी प्रश्न को क्यों न दोहराऊं ?

अध्यक्ष महोदय : शांति ! शांति ।

श्री हेम बरुआ : मैं ऐसा करूंगा । मुझे कोई नहीं रोक सकता **(अंतर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : शांति ! शांति ।

Shri Yashpal Singh : Government has not stated about the dis-service done by Rev. Scott to the country. What punishment has been awarded to him for his traitorous activities in Nagaland ?

Shri Dinesh Singh : There is no question of punishment. [He had done something wrong particularly in his own area so we told him that he cannot do any useful work in Peace Mission. It is better if he quits and he left.

श्री स० मो० बनर्जी : अच्छा है कि पादरी माइकेल स्कॉट देश को छोड कर चले गये हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन नागा विरोधियों में से कुछ के साथ उसका अभी पत्रव्यवहार या कोई संयोग है। जो इस झगड़े को खड़ा करने के लिए उत्तरदायी थे।

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्रवाई समझना असम्भव हो गया है। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माइकेल स्काट ने भारत छोडने के पश्यात नागालेंड में अधिक झगड़ा करने के लिए नागालैंड में अपने कुछ शिष्य तथा राजनैतिक दांवपेच छोड़े है और यदि हां तो सरकार ने इस कुचक्र को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे विश्वास है कि वहा कुछ व्यक्ति पादरी माइकेल स्कॉट से सहानुभूति रखते हैं। उसने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन की रिपोर्ट कुछ लोगों द्वारा दी जा रही हैं। हम ने अपनी स्थिति पहले ही पूर्णतः स्पष्ट कर दी है तथा अब भी हमारी वही स्थिति है।

Shri Kishen Pattanayak : As I have said that the Government has admitted in this House that British diplomatic pressure is also behind the troubles created by revolting Nagas. So I want to known whether Government has tried to ascertain whether Rev. Michael Scott is an unofficial worker of the British diplomacy ?

Shri Dinesh Singh : I cannot say anything about this..... **(Interruptions)**

An Hon. Member : What prevents you to say so ?

Shri Bagri : The question is whether you have ascertained or not ?

Shri Madhu Limaye : On a point of order, Sir.

Mr. Speaker : There is no point of order ?

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, it is very difficult for me to say categorically whether there are any British diplomatic spies in this country, but if we look back to his activities, we feel that his work has not been encouraging and that is why we have ordered him to go back.

श्री नाथपाई : क्या सरकार का ध्यान इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि पादरी माइकेल स्कॉट ने श्री आरथुर बाटमले, ब्रिटिश के विदेश कार्यों के मंत्री से एक विशेष भेंट की और यदि सरकार को इस का ज्ञान है तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या इस मामले में रूचि लेने के लिए पादरी स्कॉट श्री बाटमले को सहमत कर रहे थे और क्या सरकार ने यह मामला उठाया है और ब्रिटिश सरकार से यह मांग की है कि यह एक आन्तरिक मामला है और ब्रिटिश सरकार को इस प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ?

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतयः सहमत हूं कि यह एक आन्तरिक मामला है जिसमें ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं कर सकती। राष्ट्रमण्डल सचिव से मिलते हुए पादरी माइकेल स्कॉट की रिपोर्टें भी हमने देखी हैं। किन्तु वह ब्रिटिश नागरिक है और इस रुप में वह अपने मंत्रियों से मिलता है।

परादीप पत्तन

अ०सू०प्र० 35. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **परिवहन, विमानन, नौवहन** और **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परादीप पत्तन कर्मचारियों की यूनियन से मांगों का चार्टर प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि युनियन का अध्यक्ष स्वयं संबंधित मंत्री और मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को जनवरी 1966 में मिला और उस ने परादीप पत्तन के मुख्य इंजीनियर के अवैध क्रियाकलापों को रोकने के लिए तुरन्त हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया ;

(ग) क्या मुख्य इंजीनियर की असहयोग प्रवृत्ति के कारण समझौते की कार्यवाही असफल हो गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो हड़ताल को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, 30-4-66 को यूनियन से मांगों की एक सूची प्राप्त हुई थी।

(ख) यूनियन के अध्यक्ष ने गत जनवरी में परादीप में श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में इस मंत्रालय के प्रवर अधिकारियों से विचार विमर्श किया। उन्हों ने यूनियन के दृष्टिकोण को बताया और उस को यह सूचित किया गया कि कार्यवाही ठीक श्रमिक कानूनी के अनुसार की जाएगी। सरकार यह नहीं मानती है कि परादीप पत्तन का प्रशासक और मुख्य इंजीनियर अवैध क्रियाकलापों में लगे रहे।

(ग) सरकार इस बात को नहीं मानती है कि मुख्य इंजीनियर और प्रशासक की अभिवृत्ति के कारण समझौते की कार्यवाही विफल हुई है।

(घ) परियोजना अधिकारियों और यूनियन के बीच जो मतभेद थे उन के संबंध में श्रमिक संबंध संस्था ने आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। यूनियन द्वारा 23 मई से हड़ताल करने को सरकार न्याय संगत नहीं समझती है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रश्न के (ग) और (घ) भागों का उत्तर क्या है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : हड़ताल की सूचना मिली है लेकिन श्रम नियमों के अनुरूप विभिन्न मांगों सम्बन्धी स्थिति से सख्ती से काबू पाने के लिए पारादीप बन्दरगाह पर सम्बन्धित अधिकारियों को अनुदेश दिये गये हैं और उस के अनुरूप मामला चल रहा है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : माननीय मंत्री ने कहा है कि मुख्य अभियन्ता ने श्रमनियमों का उल्लंघन नहीं किया। क्या मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिला सकता हूं कि 19 अक्तूबर, 1965 को मुख्य अभियंता ने स्वयं लिखित रुप से स्वीकार किया था कि उसने लगभग 300 श्रमिकों की छंटनी की थी और ऐसा नियम के प्रतिकूल किया गया था और झरसागोदा के सहायक श्रम आयुक्त से वह सहमत हो गये थे कि वे श्रमिक वापिस नहीं बुलाये जायेंगे और ऐसा समझा जायेगा जैसे कि वे उनका नाम नामावली पर था और पिछले वेतन उनको दिये जायेंगे। परन्तु उन्होंने पिछले छ: महीनों से ऐसा नहीं किया। क्या मैं जान सकता हूं कि मुख्य अभियंता के विरोध क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : पारादीप बन्दरगाह पर कुछ समुद्री जहाजों वाले कुछ श्रमिकों की छंटनी की गयी थी। मैं जानना चाहता हुं कि क्या माननीय सदस्य छंटनी की उन घटनाओं का हवाला दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वे भिन्न हैं। उन घटनाओं का सम्बन्ध उन 300 श्रमिकों से है जिनकी अन्याय से छंटनी की गयी थी और मुख्य अभियंता ने अन्ततः स्वयं स्वीकार किया था कि उनने ऐसा नियम विरूद्ध किया था। और उसने वचन दिया था कि वह उन्हें वापिस ले लेगा। जहां तक समुद्री जहाजों के श्रमिकों का सम्बन्ध है उस प्रश्न पर अभी चर्चा करूंगा।

श्री चे० मु० पुनाचा : यदि प्रश्न दूसरे किनारे पर काम कर रहे श्रमिकों का है तो बन्दरगाह अधिकारियों को पहले ही अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे हरजाना दें जहां छंटनी अनिवार्य हो क्योंकि प्रायोजना के पूरा हो जाने के पश्चात अब बन्दरगाहों में काम कर रहे बहुत से श्रमिक हमारी आवश्यकताओं से फालतू हैं। इसलिए उनकी छंटनी करनी पड़ेगी और ऐसी छंटनी 'अन्तमें आओ सब से पहले जाओ' के आधार पर होगी और श्रम नियम के आधीन हरजाना और अन्य वस्तुएे जो ग्राह्य हैं उनकी उनको अदायगी की जायेगी। वे अनुदेश जारी कर दिये गये है और बन्दरगाह अधिकारी तदनुसार कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : ऐसा लगता है कि उसने मांगों के चरित्र को बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैं ने उन 300 के करीब श्रमिकों का विशिष्ठ प्रश्न पूछा है जिनकी छंटनी की गयी थी और जिस के बारे में सुलह अधिकारी के सामने मुख्य अभियंता ने लिखित रूप से स्वीकार किया था, कि ऐसा गलती से किया गया है और वह उन्हें वापिस बुला लेगा।

अध्यक्ष महोदय : शायद वह सूचना माननीय सदस्य के पास नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : और वह कहते जा रहे हैं कि अधिकारियों से श्रम नियमों के अधीन चलने को कहा गया है। इस उत्तर में कोई प्रयोजन हल नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक अलग श्रेणी के 300 मजदूरों की बात कर रहे हैं। उन का कहना है कि इन मजदूरों की छंटनी की गई थी और मुख्य इंजीनियर ने स्वयं कहा था कि उन की गैर-कानूनी तौर पर छंटनी की गई थी। यह आरोप लगाया जा रहा है।

श्री चे० मु० पुनाचा : स्थानीय श्रम अधिकारी इस मामले का समाधान कर रहे हैं। यह प्रश्न उन के विचाराधिन है। वह इस प्रयोजनार्थ आवश्यक कार्यवाही कर रहे है कि जो मजदूर काम पर रखे गये हैं उन के साथ गैर-कानूनी तौरपर कोई बात की जाये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वह साफ साफ कह दें कि 'मेरे पास जानकारी नहीं है; मैं मालूम करूंगा और कल सभा को बताऊंगा।' इस का समाधान नहीं हुआ है। मंत्रालय को यह बताया गया है। कार्मिक संघ के अधिकारियों का दमन करने और पोत मजदूरों का दमन करने के तीन अन्य मामले हैं जिन की उन्होंने चर्चा की है। समाधान करने की कार्यवाही असफल रही है और यह मामला यहां निर्दिष्ट किया गया है। वे इसे न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना दूसरा प्रश्न पूछें। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह इस प्रश्न के बारे में सूचना प्राप्त कर के सभा-पटल पर रख दें।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : वह कल जानकारी दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह कल प्राप्त कर सकेंगे तो कल दे देंगे, नहीं तो बाद में दे देंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या यह सही नहीं है कि कार्मिक संघ की गतिविधियों के लिए अधिकारियों के दमन, 35 जल सम्बन्धी निर्माण कर्मचारियों के दमन, लगभग 40 पोत कर्मचारियों की गैर-कानूनी छंटनी, जिसे की उन्होंने चर्चा की, के बारे में समाधान की कार्यवाही असफल रही है। इस असफलता की रिपोर्टें मंत्रालय को भेजी गई है। ये मामले न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट क्यों नहीं किये गये?

संघ की एक मांग मान्यता प्राप्त करने के लिए है चूंकि वहाँ 1964 से यही संघ कार्य कर रहा है। इसे मान्यता प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री चे० मु० पुनाचा : विभिन्न कार्यों में मजदूर के जत्थे काम करते हैं। नये जल सम्बन्धी स्थापना निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। पहले 250 नलकूपों पर काम हो रहा था जिन पर बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। जल सप्लाई की नई योजना को अन्तिम रूप देने के बाद जो मजदूर फालतू पाये गये हैं उन की छंटनी की जा रही है . . . . . **(अन्तर्बाधायें)** । जहां तक पोत सम्बद्धी काम करने वाले मजदूरों का सम्बन्ध है, पोत उड़ीसा सरकार से किराये पर लिये गये थे और उन का प्रयोग पत्तन प्राधिकारियों द्वारा विशेष किराया दे कर किया जा रहा था। कार्य समाप्त होने पर वे उड़ीसा सरकार के पास चले गये हैं। पत्तन प्राधिकारियों का उन कर्मचारियों के साथ कोई संबंध नहीं है।

जहां तक संघ को मान्यता प्रदान करने का संबंध है, तीन संघ रजिस्ट्रीकृत हैं। मान्यता कैसे प्रदान की जाये इस बारे में विचार हो रहा है और आवश्यक जांच हो रही है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उन का उत्तर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : वह जानकारी प्राप्त करेंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वह ऐसा कहें। मैं ने उन्हें पत्र लिखे हैं परन्तु वह उस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं ।

श्री चे० मु० पुनाचा : जनवरी में इस मामले पर चर्चा हुई थी । इस संघ विशेष के अध्यक्ष यहां उपस्थित थे और समुचे मामले पर विचार किया गया था। अब केवल संघ को मान्यता प्रदान करने की मांग पर आग्रह किया जा रहा है। इस मामले का परीक्षण हो रहा है चूँकि तीन संघ हैं। अब निर्णय करना है कि किस संघ को मान्यता प्रदान की जाये चूँकि इस संघ विशेष का मुख्यालय कटक में है। इस बारे में जांच की जानी है कि यह संघ कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि समाधान की कार्यवाही के असफल रहने की रिपोर्ट क्या प्राप्त हो गई है। वह इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। यदि प्राप्त हो गई है तो फिर इसे न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

श्री चे० मु० पुनाचा : यह मान्यता प्राप्त संघ नहीं है इसलिए इस मामले पर विचार हो रहा है। मजदूरों की छंटनी के बारे में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : बेशक यह संघ मान्यता प्राप्त न हो। परन्तु समाधान की कार्यवाही के असफल रहने के बाद इस मामले को न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने दो बार दोहराया है। मैं उस में क्या कर सकता हूं ?

श्रीमती रेणू चक्रवर्ती : श्री पुनाचा हमेशा ऐसा ही किया करते हैं। उन्हें प्रश्न का उत्तर अवश्य देना होगा।

श्री बड़े : वह प्रश्न की उपेक्षा क्यों कर रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह कहते हैं कि समाधान न हो सकने पर इस मामले को न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। मंत्री के उत्तर से मैं यह समझ पाया कि चूँकि यह संघ मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए समाधान न हो सकने पर भी इसे . . . .

श्री स० मो० बनर्जी : यह गलत है।

श्री चे० मु० पुनाचा : स्थिति यह है कि यह संघ मान्यता प्राप्त नहीं है। यह केवल एक रजिस्टर्ड संघ है और इसका मुख्यालय कटक में है न कि पारादीप में। मंत्रालय अब जांच कर रहा कि यह संघ कहां तक गोदी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह सब से महत्वपूर्ण बात है जिस की जांच की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस बारे में निर्णय कर लेने पर न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट करना निर्भर होगा।

श्री चे० मु० पुनाचा : जी हां।

श्री अ० प्र० शर्मा : जब अन्य कोई उपाय नहीं रहता हो तो मजदूरों के विवाद हड़ताल से हल किये जाते हैं। क्या इस संघ ने हड़ताल का नोटिस देने से पहले मजदूरों के विचार जानने के लिए बैलट किया था या क्या कुछ लोगों ने इस संघ को रजिस्टर करवा कर ऐसा किया है?

श्री चे० मु० पुनाचा : मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या यह जानकारी उपलब्ध की जायेगी?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि उन के पास जानकारी नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : वह सभा-पटल पर रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें जानकारी दिये जाने पर मजबूर नहीं कर सकता। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ?

श्री अ० प्र० शर्मा : मैं ने एक कानूनी बात उठाई है। हड़ताल तब तक मान्य नहीं हो सकती जब तक कि कम से कम 75 प्रतिशत मजदूर हड़ताल करने के पक्ष में न हों। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हड़ताल का नोटिस देने से पहले मजदूरों के विचार जाने गये थे। यदि जानकारी उपलब्ध नहीं है तो बाद में दे दी जाये।

श्री रंगा : क्या जब समाधान अधिकारी कार्यवाही कर रहे थे तो उन की बातचीत केवल एक ही संघ से हो रही थी। और दो अन्य संघ बाद में बने और क्या सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि पहले संघ के अलावा कौनसे संघ को मान्यता प्रदान की जाये?

श्री चे० मु० पुनाचा : जहां तक मेरे पास जानकारी है तीन संघ रजिस्टर्ड हैं। कौन सा संघ पहले था और बाद में कौनसा बना इस बारे में जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं जानकारी एकत्र करने की कोशिश करूंगा और सभा के समक्ष रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने तीन अल्प सूचना प्रश्न गृहीत किये थे। यह गलती थी। इस प्रश्न ने 15 मिनट ले लिये हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : बहुत से सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में बारूदी सुरंगो का फटना

+

अ० सू० प्र० 36. श्री ग० बरुआ :
श्री गुलशन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मौर्य :
श्री बागड़ी :
श्री हेम बरुआ :

श्रीमती वसन्त कुंवर वा :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री मधु लिमये:
श्री दि० चं० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों से पाकिस्तानी सेना की वापसी के पश्चात् वहां पाकिस्तानियों द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों के फटने के परिणामस्वरूप कुछ नागरिक मर गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रकार मर गये नागरिकों तथा सैनिक कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ;

(ग) क्या उन क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना द्वारा बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगे अब हटाई जा चुकी हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ यह मामला उठाया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ग) : सरकार को पता है कि अमृतसर सीमा पर पाकिस्तान द्वारा बिछाई सुरंगों के विस्फोट के कारण हाल में कुछ व्यक्ति मारे गये। सेनाओं की वापिसी के पश्चात् अमृतसर के निकट तीन व्यक्तियों की मृत्यू हुई हैं। तत्पश्चात् सभी सुरंगे हटा दी गई है।

(घ) जी नहीं।

श्री रा० बरुआ : क्या यह सुरंगें युद्ध-विराम के बाद बिछाई गई थीं और क्या वापसी के बारे में बात-चीत के समय इस मसले को भी उठाया गया था ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : युद्धविराम के बाद कोई सुरंगें नहीं बिछाई गई थीं। सुरंगें बिछाने के बारे में बातचीत वापसी सम्बन्धी करार के वास्तव में आरम्भ होने से पूर्व ही कर ली गई थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने कुछ सुरंगों को हटा दिया था परन्तु अन्तिम क्षण तक भी वे कुछ सुरंगों को नहीं हटा सके थे और इनके बारे में उन्होंने पूरी पूरी जानकारी दी थी और इन सुरंगों के आरूप भी दे दिये थे।

Shri Gulshan : Is it not a fact that Government has been unsuccessful in keeping in proper camps the Indian citizens uprooted in the border areas and as a consequence of it they were sent back to the border areas where mines had not been removed by the forces and this error resulted in the death of hundreds of Indian citizens in the Khemkaran area ? Has the border area since been freed from all mines ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमने सम्बद्ध लोगों को चेतावनी देने के लिये हर प्रकार की सावधानी बरती थी। वास्तव में कई सप्ताह तक हम ने किसी को उन क्षेत्रों में जा कर रहने की अनुमति नहीं दी थी। परन्तु कभी कभी कुछ लोग ग़लतियां कर बैठते हैं और इसके कारण उन्हें हानि भी उठानी पड़ती है।

Shri Gulshan : The Punjab Minister for Rehabilitation, Sardar Gur Dayal Singh Dhillon has recently said that 70 persons died in the Khemkaran area alone, but the honourable Minister now says that only 3 persons died. What is the truth ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं अवश्य इस का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। जिन 70 व्यक्तियों के मारे जाने के बारे में कहा गया है वास्तव में वे मई १९६५ से अब तक मारे जाने वाले लोगों की संख्या है। जैसा कि सभा को पता है मई के बाद सीमा के निकट हमारी सेना पहुंच गई थी और वहां कभी कभी सुरंगे भी बिछाई गई थी। यह प्रश्न सुरंगों के विस्फोट के बारे में है और इसमे वे घटनायें शामिल है जो पाकिस्तानी फौजों के पीछे हटने के बाद हुई है।

Shri Madhu Limaye : The honourable Minister has just said that after the cease-fire, when withdrawal was effected upto the 25th February, Pakistani forces did not leave behind mines or new bombs etc. What is the source of this information ? Is it based on what Pakistan narrates? The (b) part of my question is this : whether more than 12 persons died as a result of these explosions in the Fazilka and Khemkaran area after the 25th of February ? I want that the honourable Minister may please give figures regarding deaths in Rajasthan, Khemkaran and other areas where Pakistani forces had gone.

Mr. Speaker : This question relates to the border areas of Punjab. How does Rajasthan come in ?

Shri Madhu Limaye : There is no harm if he gives figures about these areas also. Otherwise, at least figures about Fazilka may be given.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जो जानकारी मेरे पास है मैं दे रहा हूं। अमृतसर क्षेत्र में सेनाओं के पीछे हटने से पूर्व सुरंगों के विस्फोट के कारण 20 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 26 घायल हुये थे। सेनाओं के पीछे हटने के बाद, खेम्करण क्षेत्र में 2 व्यक्ति मारे गये तथा 13 घायल हुये। अमृतसर क्षेत्र में 3 व्यक्ति मारे गये तथा 1 व्यक्ति घायल हुआ।

Shri Madhu Limaye : Please give figures regarding Rajasthan also.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : राजस्थान के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। फीरोज़पुर में 2 व्यक्ति मारे गये; अमृतसर में 23 व्यक्ति मारे गये। सेनाओं के पीछे हटने से पहले तथा बाद में जो व्यक्ति घायल हुये उनकी संख्या इस प्रकार है :—फीरोज़पुर : 13; अमृतसर : 27; और गुरदासपुर : 1।

Dr. Ram Manohar Lohia : The honourable Minister has referred to the sketches. Do those sketches cover all the areas where mines and explosives were laid? If not, was not it not binding on Pakistan to make over all the sketches under the provisions of the Tashkent agreement and the rules and regulations concerning treaties in connection with cease fire?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने वह सब जानकारी दे दी है जो मेरे पास थी। उन्होंने कई सुरंगों के नक्शे दिये थे जो उस क्षेत्र में बिछी हुई थी जहां से वे पीछे हटे थे। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है, कुछ अथवा दो सुरंगों का पाकिस्तानी सेनाओं के वापस चले जाने के बाद भी पता चला था और उन सुरंगों के नक्शे नहीं दिये गये थे। हो सकता है कि ऐसा गलती से हुआ हो। मैं नहीं कह सकता कि क्या कारण था। मैं इस सम्बन्ध में उन पर किसी दुर्भावना का आरोप नहीं लगा सकता।

Dr. Ram Manohar Lohia : I submit that the question was quite clear. Our people have died in three areas. There were mines and explosives laid there. Did Pakistani forces make over sketches about them all at the time of withdrawal?

Mr. Speaker : They had indicated the spots where mines were laid. But a few mines about which they did not indicate were discovered later.

Dr. Ram Manohar Lohia : Did Pakistan not indicate about mines in those areas where people died?

Mr. Speaker : Your question has been answered. If you want to put another question.......

Dr. Ram Manohar Lohia : I do not want to put another question.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। जहां तक मेरे पास जानकारी है मैं उत्तर दूंगा। ये मौतें उन सुरंगों से नहीं हुई थीं जो बाद में पाई गई थीं और जिनके बारे में पाकिस्तान ने नहीं बताया था। इस जानकारी के तथा उन नक्शों के बारे में जो हमारे पास थे, हम ने लोगों को बता दिया था और उन स्थानों के बारे में चेतावनी दे दी थी। परन्तु कभी कभी लोग ग़लती कर बठते हैं अथवा उन्हें अन्दर जाने की उत्सुकता होती है और ऐसा हो जाता है।

Shri Bagri : What was the number of Government servants and that of common people who died due to non-removal of mines? When the forces knew about the places where mines were laid, then why did they not prevent people from going to such places?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने यही तो कहा है। लोगों को उन स्थानों के बारे में बता दिया गया था जहां सुरंगें बिछी हुई थीं परन्तु कुछ लोगों को उन क्षेत्र में जाने की उत्सुकता हुई। शायद वे कृषि सम्बन्धी कार्यों के कारण वहां गये थे। कभी कभी लोगों को पीतल एकत्रित करने का प्रलोभन होता है।

श्री हेम बरुआ : पाकिस्तान ने ताशकन्द घोषणा का बुरी तरह उल्लंघन किया है और पंजाब के जिन क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था और जहाँ से उन्हें ताशकन्द घोषणा के अन्तर्गत वापस जाना था उसमें वे सुरंगे बिछी हुई छोड़ गये थे। पिछली बार यहा माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि रुस ने यह निश्चय किया था कि वह अपने दूत पाकिस्तान भेजें और पाकिस्तान सरकार को ताशकन्द समझौते के उल्लंघन के बारे में बताये परन्तु पाकिस्तान सरकार इसके लिये सहमत नहीं हुई और रूसी सरकार ऐसा न कर सकी। इस सम्बन्ध में सरकार ने रूसी सरकार की सद्भावना तथा सहयोग से स्थिति को सामान्य बनाने तथा पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द घोषणा का उल्लंघन न किये जाने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इतना व्यापक है कि अल्प-सूचना प्रश्न के अन्तर्गत इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन् यह प्रश्न व्यापक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : समस्त ताशकन्द घोषणा पर इस समय विचार नहीं किया जा सकता प्रश्न उन सुरंगों के बारे में हैं जो बिछाई गई थी। ताशकन्द समझौते के बारे में जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर दूसरा मंत्रालय देगा।

श्री हेम बरुआ : वापसी के बाद वे यह सुरंगें छोड़ गये थे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने इस बात का उत्तर दे दिया है।

श्री हेम बरुआ : मेरी आपत्ति यह है कि जैसा कि माननीय मंत्री मानते हैं कि वे ये सुरंगें ग़लती से छोड़ गये थे, मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मेरा विचार है कि उन्होंने ऐसा जान बूझ कर किया है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है ऐसा ही हो। परन्तु यह सब मामला इस समय नहीं उठता।

श्री हेम बरुआ : अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बारे में सोवियत संघ को सूचित किया है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, श्री दी० चं० शर्मा।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं माननीय मंत्री से एक बात पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि लोगों को उन सुरंगों के बारे में चेतावनी दे दी गई थी। यदि सरकार ने लोगों को उन सुरंगों के बारे में चेतावनी दे दी थी जिनके सम्बन्ध में पाकिस्तान ने बता दिया था अथवा जिनका पाकिस्तानी सेनाओं के वापस चले जाने के बाद पता चला था तो सरकार ने यह क्यों नहीं किया कि जो क्षेत्र खतरनाक था उसके चारों ओर घेरा डालकर लोगों को किसी भी हालत में अन्दर जाने से रोक देती ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कई सप्ताहों तक इस क्षेत्र के चारों ओर घेरा पड़ा रहा था। पाकिस्तान ने उन स्थानों के बारे में सूचना दी थी जहां सुरंगे बिछी हुई थीं। हम ने उन सुरंगों के बारे में लोगों को चेतावनी दी थी परन्तु दुर्भाग्यवश कुछ सुरंगों के कारण दुर्घटनायें हो गई। दो सुरंगे ऐसी थी जिन के बारे में पाकिस्तान ने कोई सूचना नहीं दी थी परन्तु कोई दुर्घटना नहीं हुई। इनके बारे में सैनिक अफ़सरों ने अपने कार्यों के दौरान पता लगाया था।

Shri Madhu Limaye : I have a point of order to make. I had asked that if there were sketches, why did you not remove mines according to those sketches. In reply to Shri D. C. Sharma's question the honourable Minister has said that they had cordoned off that area so that public may not enter. Why did they not remove the mines at that time? No reply has been given to this.

श्री हरि विष्णु कामत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल अल्प सूचना प्रश्न इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि अनेक मंत्रियों की यह आदत हो गई है कि वह सभा को भी सूचित नहीं करते। यद्यपि दो अथवा तीन दिनों की सूचना दी जाती है, वे हमें यह नहीं बताते कि उन्होंने हमारे प्रश्नों को स्वीकार किया है अथवा नहीं। सामान्यतः उन्हें दो अथवा तीन दिनों की सूचना दी जाती है और हमें समय के अन्दर ही सूचित कर दिया जाता है। परन्तु आजकल, लगातार कई दिनों तक हमें सूचित नहीं किया जाता।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में जांच करूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत : अब हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। सरकार आखिर क्या करने वाली है ?

Shri Madhu Limaye : We also do not get any reply for days or end. We also table short notice questions but we do not get replies for as long as ten days. I have also written to you.

Indian School of International Studies

S. N. Q. 37. **Shri Bhagwat Jha Azad** : **Shri Kishen Pattnayak** :
Shrimati Ramdulari Sinha : **Shri Madhu Limaye** :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Director of the Indian School of International Studies, Sapru House, returned the application for scholarship and leave written in Hindi by Shri Ved Pratap 'Vedic', a research scholar, saying that it should be written in English;

(b) whether the action of the Director is in accordance with the Constitution; and

(c) whether Government would take immediate steps to get justice done to the said research scholar?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) श्री वेदप्रताप वैदिक ने जो वजीफे के लिये हाजरी का सर्टिफिकेट (Certificate) और छुट्टी के लिये अर्जी दी थी, डायरेक्टर ने उन्हें वापस नहीं लौटाया है, किन्तु वे रजिस्ट्रार (Registrar) को भेजे गये हैं जिनसे मिलने के लिए श्री वैदिक को कहा गया है। श्री वैदिक रजिस्ट्रार (Resistrar) को नहीं मिले हैं। हालांकि उन्हें लिख कर भी ऐसा करने के लिये कहा गया है। इससे पहले श्री वैदिक को स्कूल की रीति के अनुसार अंग्रेजी में फार्म भर कर विभाग के अध्यक्ष द्वारा भेजने की सलाह दी गई थी।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Shri Bhagwat Jha Azad : Whether it is not a fact that from 29th April to 7th May, this Research Scholar, Shri Vedic, repeatedly requested to see the Director of Studies but his requests were turned down? Should I understand from this answer that he was asked to see the Registrar just because his application in Hindi was accepted and that he would get a scholarship there?

श्री मु० क० चागला : प्रमाण-पत्र पर विभाग के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना होता है। जब श्री वेदिक निदेशक के कार्यालय में गये तो उनको विभाग के प्रमुख के पास जाने के लिये कहा गया और कहा गया कि वह अग्रतर कार्यवाही के लिये उपस्थित सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा छुट्टी के आवेदन-पत्र को अंग्रेजी में लिखने के बाद विभाग के प्रमुख द्वारा पृष्ठांकन करायें। इस सलाह के अनुसार कार्य न करके श्री वेदिक ने निदेशक को हिन्दी में पत्र लिखा और साथ में हिन्दी में लिखा हुआ उपस्थिति का प्रमाण पत्र तथा हिन्दी में दी आवेदनपत्र संलग्न किया परन्तु इन दोनों पर विभाग के अध्यक्ष द्वारा पृष्ठांकन नहीं किया गया था। निदेशक ने ये कागजात रजिस्ट्रार के पास भेज दिये और साथ साथ निदेशक के कार्यालय ने श्री वेदिक को रजिस्ट्रार से मिलने के लिये कहा। यद्यपि रजिस्ट्रार ने उनको मिलने के लिये कहा था, फिर भी श्री वेदिक रजिस्ट्रार से नहीं मिले।

Shri Bhagwat Jha Azad : That was my question. Was Shri Vedik asked to see the Director because his application in Hindi was accepted or was he called by the Director to tell him that since his application was in Hindi, he should write it out in English and then submit? I want to know only this much.

श्री मु० क० चागला : प्रथम उनसे कहा गया था कि वह अंग्रेजी में आवेदन-पत्र दें क्योंकि नियमों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र अंग्रेजी में होना चाहिये। परन्तु जब उन्होंने यह आग्रह किया कि उनका हिन्दी का आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाये, निदेशक ने उनको रजिस्ट्रार से मिलने के लिये कहा।

Shri Bhagwat Jha Azad : I want to know whether the rules of the Indian School of International Studies are above the Constitution or subject to it. And voice is raised that Hindi should not be forced upon anybody. I want to know that if it is the rule of the Indian School of International Studies that no student should write application in Hindi, does it not amount to forcing English on the students? Is it according to the Constitutional provisions?

श्री मु० क० चागला : क्या में स्थिति का स्पष्टीकरण कर सकता हूं ? में हिन्दी के बारे में प्रतिवाद को अच्छा नहीं समझता । हम सब इच्छुक हैं कि हिन्दी को बढ़ावा मिले और हम हिन्दी का समर्थन करते है............... **(व्यवधान)**

श्री भागवत झा आजाद : वह फिर सभा की भावनाओं को उभारना चाहते हैं । मेरा प्रश्न बिल्कुल सरल है कि संविधान के अन्तर्गत ....

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें उत्तर पूरा कर लेने दीजिये । इसके बाद में देखूंगा कि उत्तर आया है अथवा नहीं ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Is it an answer?

श्री मु० क० चागला : संविधान के अन्तर्गत हिन्दी देश की सरकारी भाषा है । संविधान एक निदेश के अन्तर्गत अंग्रेजी सम्बद्ध भाषा है । संविधान में कहा गया है हिन्दी सरकारी कार्यों में प्रयोग की जायेगी । संविधान किसी गैर-सरकारी संस्था अथवा विद्या संस्था पर हिन्दी नहीं लागू करता । इण्डियन स्कूल आफ इण्टरनेशनल स्टडीज़ एक स्वायत्त निकाय है । इस संस्था ने यह निश्चित किया है कि वहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा । वहां कार्य अंग्रेजी में किया जाता है । वहां पत्र-व्यवहार भी अंग्रेजी में होता है ।

श्री भागवत झा आजाद : रुपया कौन देता है ?

Shri Bagri : This is quite wrong. The reply of the Minister is quite wrong.

श्री मु० क० चागला : में संविधान के अन्तर्गत स्थिति के स्पष्टीकरण कर रहा हूं । वह सज्जन अंग्रेज़ी जानते हैं । उन्होंने अंग्रेज़ी में निबन्ध भी लिखा है । में सभा से निवेदन करता हूं कि इस विषय पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाये । उन्होंने इस संस्था में प्रवेश लिया है और वह जानते हैं कि नियमों के अनुसार संस्था का कार्य अंग्रेज़ी में किया जाता है । यदि वह अंग्रेजी न जानते तो मैं समझता कि कोई कठिनाई है । संविधान किसी विश्वविद्यालय पर भाषा नहीं लागू करता ....

Dr. Ram Manohar Lohia : Please salute that student.

श्री भागवत झा आजाद : क्या उनका कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता और जो हिन्दी के माध्यम से स्नातक हुआ है वह स्कूल आफ इण्टरनेशनल स्टडीज में प्रवेश नहीं ले सकता ? **(व्यवधान)**

श्री मु० क० चागला : मेरे माननीय मित्र अकारण ही उत्तजित हो रहे हैं । हम ऐसे सज्जन की बात कर रहे हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, जिन्होंने अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार किया है और एक अंग्रेजी में निबन्ध भी लिखा है । उन्होने एक संस्था में प्रवेश लिया है । वह जानते हैं कि नियमो के अन्तर्गत संस्था का कार्य अंग्रजी मे किया जाता है । यह ऐसे विद्यार्थी का मामला नहीं है जो अंग्रेजी न जानता हो । वह अंग्रेज़ी जानते हुए कार्य सम्बन्धी नियमोका पालन नहीं कर रहे और हिन्दी में ही लिखते हैं । निदेशक हिन्दी नहीं जानते; वह दक्षिण भारत के रहने वाले हैं । यह एक अखिल भारतीय संस्था है, एक राष्ट्रीय संस्था है जहां देश के प्रत्येक

भाग से आने वाले विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। जसा कि मैंने पहले कहा है चाहे वह ग़लत हो अथवा ठीक इस स्वायत्त संस्था ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी चुना है। मेरे माननीय मित्र संविधान की बात करते हैं। यही आप सम्बद्ध अनुच्छेद को देखें संविधान में राज्यों के बीच सरकारी कार्यवाही के बारे में दिया हुआ है, न कि गर सरकारी संस्थाओं के बारे में कहा गया है। वास्तव में संविधान इतना उदार है कि किसी संस्था पर कोई विशष भाषा नहीं लागू कर सकता। क्या यह कहा गया है कि कोई संस्था तामिल, तेलगू अथवा बंगला नहीं रख सकता ? **(व्यवधान)**

Shrimati Ram Dulari Sinha : From what different countries of the world, in addition to India, the different language speaking students bave been admitted into this institution? Wnat is the medium of instruction in this institution?

Mr. Speaker : He has alreadv answered tnis............

श्री मु० क० चागला : इस संस्था में बहुत से विदेशी तथा भारत के भागों के विद्यार्थी हैं। मैंने पहले ही कहा है कि वहा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है।

Shri Prakash Vir Shastri : What is the amount of grant that is being paid by Government to this institution? Has the Education Ministry issued any new directions to the insitiution so that other students may not have to face similar difficulties as were faced by this brilliant student?

श्री मु० क० चागला : जैसे ही मुझे यह पता चला कि कई माननीय सदस्य इस मामले के बारे में चिन्तित हैं, मैंने तुरन्त आप के विभाग को लिखा कि मैं अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार कर लिया है क्योंकि मेरे लिये यह ठीक नहीं था कि मैं सभा में आकर इस बारे में कहता।

1965–66 में हमने इस संस्था को 6 लाख रुपया दिया।

Shri Maurya : I want a clarification in regard to the word which the honourable Minister for Education has used. He said that when several honourable Members demand for information I accept the question. Does it follow then if several people speak of a wrong thing, it becomes right, and, if one man speaks of a right thing, it becomes wrong?

Mr. Speaker : It is upto him whether to accept or not accept a Short Notice question. He has said tnat formerlv he had informed that he would not be able to reply the short notice question but later he accepted it in view of the fact that several honourable Members wanted to put the question.

Shri Kishen Pattnayak : Sir, the student to whom this question relates had passed his B.A. (Hons.) and M.A. examination through Hindi medium and had obtained 80 or 70 per cent marks. The Institution which had granted him admission is a national Institution and thev knew this fact and it is a simple qustion whether he would be allowed to write his thesis and application etc. in Hindi and whether thev would be accepted by the Institution or not ?

श्री मु० क० चागला : मैंने जैसा सभा को पहल सूचना दी है श्री वैदिक जिन्होंने इस स्कूल में प्रवेश के लिये आवेदन दिया है, पत्र-व्यवहार अंग्रजी में करते थे।

Shri Kishen Pattnayak : My question was that he has passed his M.A. with Hindi as medium of examianation and that English was being imposed on him.

3—77 Lok Sabha/66

श्री मु० क० चागला : उन्होंने अंग्रेजी में एक निबन्ध लिखा था परन्तु बाद में उन्होंने अपने विभागाध्यक्ष तथा निदेशक को यह इच्छा प्रगट की कि वह अपना 'थीसिस' हिन्दी में लिखना चाहते हैं। दोनों अधिकारियों ने उन्हें बताया कि मध्य एशिया पर गवेषणा-सामग्री हिन्दी में मिलनी कठिन है और उनके 'थीसिस' की जांच करने के लिये हिन्दी जानने वाले विशेषज्ञों की नियुक्ति में भी कठिनाई होगी। निदेशक से मिलने के पश्चात् श्री वैदिक ने उन्हें बताया कि उन्होंने यह स्थिति समझ ली है। जब श्री वैदिक ने अंग्रेजी में लिख पाने में अपना संदेह व्यक्त किया तो निदेशक ने उन्हें अपना अंग्रेजी ज्ञान बढ़ाने की सलाह दी जो उन्होंने मान ली।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या वह संस्थायें, जिन्हें सरकारी सहायता मिलती है, ऐसे आवेदन जो हिन्दी में दिये जायें, अस्वीकार कर सकती हैं ?

श्री मु० क० चागला : हमारे यहां कई स्वायत्त संस्थायें हैं—जैसे कि विश्वविद्यालय। यदि कोई विश्वविद्यालय अपने यहां शिक्षा का माध्यम तमिल बना ले और अपना कार्य इसी भाषा में करे तो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि हम धन देते हैं परन्तु हमें उनकी स्वायत्तता का आदर भी तो करना है।

श्री खाडीलकर : इस विश्वविद्यालय में अधिकतर विद्यार्थी बंगाल, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों के हैं और इस स्वायत्त संस्था में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया है क्योंकि अन्त में परीक्षकों की नियुक्ति भी तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है......... **(अन्तर्बाधा)**। इस विद्यार्थी को छात्रवृत्ति स्कूल से मिलती थी न कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से। इस विद्यार्थी ने अपना थीसिस अंग्रेजी में प्रस्तुत किया और बाद में.........

श्री भागवत झा आज़ाद : यह कहना गलत है **(अन्तर्बाधा)**।

श्री खाडीलकर : मैं इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हूं **(अन्तर्बाधा)**।

श्री वासुदेवन नायर : श्रीमन् यह बाधायें बन्द होनी चाहियें। श्री आज़ाद क्यों बाधा डाल रहे हैं **(अन्तर्बाधा)**।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति। शान्ति। सभी बैठ जायें और उन्हें चाहिये कि एक दूसरे की बात शान्ति से सुनें **(अन्तर्बाधा)**।

श्री खाडीलकर : बाद में उसने अपनी मासिक छात्रवृत्ति का आवेदन हिन्दी में देने के लिये जिद की और इसी दौरान उसने हिन्दी समाचारपत्रों को लिखा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय विश्वविद्यालय को स्वायत्तता को स्वीकार करते हैं या नहीं और क्या हिन्दी इसी प्रकार लाई जायगी। मैं हिन्दी का विरोधी नहीं हूं परन्तु इस प्रकार तो अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मिलता है। उसे यह मामला 'एकेडमिक कौंसिल' के ध्यान में लाना चाहिये था।

श्री मु० क० चागला : मैं इस संस्था की स्वायत्तता को पूरी तरह मानता हूं। वास्तव में इस कौंसिल की बैठक इस प्रश्न पर विचार करने के लिये बुलाई गई है। सदन को उनके निर्णय देने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम इस विश्वविद्यालय के शिक्षा के माध्यम संबंधी निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे चाहे वह ठीक हो अथवा गलत।

Shri Madhu Limaye : Last year, I was invited to speak on a debate on "Rashtrapati Rule in Kerala in the University. But when I rose to speak, some students were instigated to ask me to speak in English only. The hon. Minister has just said that according to the Constitution the official language of the Centre and the States is Hindi and according to the Constitution it is the duty of the Union to promote

the spread of the Hindi language. I want to know that when Central assistance is given, is it not in the light of the above provision cf the Constitution. I want to tell the hcn. Members form non-Hindi speaking areas that it is the question of imposing Hindi. Let there be Tamil, Telugu or Bengali but let English not be imposed upon us? The question of autonomy of the Institution also came up. ***

Mr. Speaker : This shall not go on record.

Shri Madhu Limaye : What is there not to be included in the records?

Mr. Speaker : Despite my telling him not to speak, he goes on and on......

Shri Madhu Limaye :**

श्री मु० क० चागला : मुझे अनुच्छेद 351 की पूरी जानकारी है जैसा मैंने पहले कहा हिन्दी का विस्तार करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है परन्तु स्वायत्त संस्थाओं के कार्यों में हस्तक्षेप करके ऐसा नहीं किया जा सकता। यदि अब कोई संस्था अंग्रेजी में अपना कार्य करना चाहे तो उसे ऐसा करने दिया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि समय आयेगा जब हमारी सभी संस्थायें भारतीय भाषाओं में अपना कार्य करेंगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जानना चाहती हूं कि विशेषकर अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में यदि किसि संस्था को केन्द्रीय सहायता मिलती हो और कोई विद्यार्थी अपना थीसिस हिन्दी में दे तो क्या उस संस्था को क्या यह थीसिस उसे हिन्दी में स्वीकार करना पडेगा या उसे सहायता बन्द कर दी जायेगी ?

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir on a point of order.

श्री मु० क० चागला : मैंने बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्रीय सरकार भाषा के आधार पर स्वायत्त संस्थाओं की सहायता नहीं दी जाती। इसका निर्णय वे स्वयं करते हैं। मेरे विचार में राज्य को भाषा नहीं ठोसनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने की सूचना। श्री प्र० चं० बरुआ।

Dr. Ram Manohar Lohia : I raise a point of order on the provisions of the Constitution.

Mr. Speaker : What is the point of order. One question before the House is already over.

Dr. Ram Manohar Lohia The hon. Minister has said many wrong things here. The aim of education is to bring up the qualities of students. Whether they are suppressing these qualities or bringing them up?

Mr. Speaker : Under what rule?

Dr. Ram Manohar Lohia : Under Rules 343 and 120.

Mr. Speaker : All right. Proceed.

Dr. Ram Manohar Lohia : It nas been clearly provided in the Constiution that after 1965, English would be retained for some special purposes of the Centre and not for all puposes. According to the Constitution English should not be retained for education and it should be replaced by Hindi, Bengali, Tamil etc. Universties, Colleges etc. have not been particularly mentioned anywhere and, therefore I maintain that what the Hon. Education minister has said here is absolutely illegal. According to Article 120 of the Constitution, English is not the language to

** Not recorded.

** सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया।

be used in Lok Saba. I am pained to note that Shrimati Renu Chakravarty commends English in the House when twenty to thrity years ago, Shri Rabindra Nath Tagore addressed the University in Bengali. It is violation of the Constitution if some align language is imposed upon some students. This comes in the way of the development of his talent and ability. I would submit very clearly that if some student says that he is unable to prove his ability in English, he should be allowed to work in his own mother-tongue. Finally I would like to say that today Arithmatic, History and Science are no more in the country as the research work is being done in English.

Mr. Speaker : In Indian Democracy a new thing is developing—when the Speakes is on his legs, hon. Members do not resume their seats and the Speaker has per force to take his seat.

Now the qustion remains a bout the interpretation of his Articles. In so far as interpretation is concerned, I have already said in the House that it is for the courts to decide about the correctness of the same and I have no right to give any ruling regarding that.

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, I would like to submit that 80 per cent people of the country are poor. The money of the poor is being misused.

Mr. Speaker : The hon. Member may resume his seat.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आपने यहां कई बार कहा है कि जहां तक निर्वचन का प्रश्न है आपको कोई अधिकार नहीं है। इसलिये इस सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न को आरम्भ में ही रोक दिया जाना चाहिय ताकि सभा का समय जाया न हो।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न सुनने के बाद ही तो मैं कह सकता हूं कि उस सम्बन्ध में निर्णय हो चुका है अथवा नहीं।

श्री फ्रैंक एन्थनी : गुजरात विश्वविद्यालय के मामले के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि वह भारतीय भाषा को माध्यम नहीं बना सकते क्योंकि अंग्रेजी अभी सम्पर्क भाषा अथवा माध्यम है।

Shri Madhu Limaye : What the hon. Member is speaking is irrelevant.

श्री किशन पटनायक : वह 1947 से पूर्व क्या थे ? वह एक नाम-निर्देशित सदस्य है (अन्तर्बाधा)।

श्री किशन पटनायक : **

अध्यक्ष महोदय : यह बातें नहीं लिखी जायेगीं।

Shri Bagri : Mr. Speaker, I would like to know the topic and also the Rule under which the hon. Member is speaking.

Mr. Speaker : The hon. Member should not interrupt.

श्री फ्रैंक एन्थनी : जहां तक शिक्षा के माध्यम का सम्बन्ध है, उच्चतम न्यायालय ने गुजरात विश्वविद्यालय के एक ही भाषा को माध्यम बनाने के प्रयास को समाप्त कर दिया............

Shri Kishan Pattnayak : **

Mr. Speaker : This will not go on record.

** Not recorded.

** यह कार्यवाही के वृत्तांत में शमिल नही किया गया।

Shri Kishan Pattnayak : We don't want to listen to anti-national things in the House.

Mr. Speaker : The hon. Members who do not want to listen may go out of the House. This is not for them to decide whether it is anti-national or not.

Shri Kishan Pattnayak : Shri Anthony would have to go out as he is a nominated member.

श्री फ्रैंक एन्थनी : वास्तविक स्थिति यह है कि उच्च शिक्षा के लिये अंग्रेजी एक सम्पर्क भाषा है और कोई विश्वविद्यालय इसे गैर-कानूनी नहीं ठहरा सकता।

श्री सिंहासन सिंह : डा० लोहिया द्वारा एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था और उसका उत्तर आपने दे दिया है। अब श्री एंथनी उसी पर बोल रहे हैं।

श्री एन्थनी : 1954 में बम्बई के मुख्य न्यायाधिपति ने यह निर्णय दिया था कि आंग्ल-भारतीय समुदाय द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों आदि का यह अधिकार है कि वह उन स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम से चलायें। जो लोग अंग्रेजी नहीं चाहते वे उन स्कूलों में न जायें।

Shri Bagri : Mr. Speaker,..........

Mr. Speaker : If the hon. member interrupts in this way, I would have to take some action; there is a limit to patience.

श्री फ्रैंक एंथनी : 9 अगस्त, 1959 को मेरे संकल्प के उत्तर मे श्री जवाहरलाल नेहरू ने यह आश्वासन दिया था।.........

Shri Madhu Limaye : The hon. member is speaking something which is against Rules.

Mr. Speaker : It is not against the Rules. I have allowed the hon. member.

Shri Madhu Limaye : Nobody can be allowed here to speak wrong. I rise on a point of order under Rule 356. The hon. member is speaking something irrelevant.

श्री फ्रैंक एन्थनी : 1949 में मेरे संकल्प के उत्तर में यह कहा गया था कि अंग्रेजी सह-भाषा रहेगी और उसके अनुसार राजभाषा अधिनियम बनाया गया है। किसी अवस्था में भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुये कोई भी सरकार किसी कालेज अथवा विश्वविद्यालय को यह नहीं कह सकती कि वह अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम नहीं बना सकते।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I would like you to listen to my points of order. The hon. member is speaking something irrelevant.

श्री फ्रैंक एन्थनी : जब माध्यम अंग्रेजी हो तो मैं कहता हूं........

Shri Madhu Limaye : I have raised a point of order, please listen to it.

Mr. Speaker : The hon. Member is obstructing the proceedings of the House. He may please leave the House.

Shri Madhu Limaye :**

Dr. Ram Manohar Lohia : You shouldn't ask any Member to leave the House in this manner.

** Not recorded.

** यह कार्यवाही के वृत्तान्त में शामिल नही किया गया।

Mr. Speaker : I shall certainly ask. I have tolerated a lot. Hon. Member may please leave the House..........

(इसके पश्चात् श्री मधु लिमये सभा से बाहर चले गये)

(Shri Madhu Limaye left the House)

श्री फ्रैंक एन्थनी : प्रश्न केवल यह है कि ....

श्री भागवत झा आजाद : आप श्री फ्रैंक एन्थनी को अपना मामला पेश करने के लिए बहुत अधिक समय दे रहे हैं। परन्तु जब कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता है तो उठाने नहीं देते।

Mr. Speaker : I have called Shri Anthony; other Members should not speak. I would request him to refer to the decision and not offer any arguments.

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैंने राजकीय भाषा अधिनियम का हवाला दिया है। मैंने श्री चागला के निर्णय का भी हवाला दिया है जिसकी सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टी की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब श्री चागला मानते हैं कि उनको अधिकार है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय निकाय, इस विश्वविद्यालय अथवा स्कूल को सांवैधानिक अधिकार है, जिसकी उच्चतम न्यायालय ने पुष्टी की है.......

श्री बागडी : I want to raise a point of order.

Mr. Speaker : Would you allow him to finish or not?

Shri Sheo Narain : You stopped me, but you have allowed him to speak Every Member has the right to raise a point of order.

Mr. Speaker : I can allow only one Member to speak at a time and not *two* Members simultaneously.

श्री भागवत झा आजाद : हम तो अनपढ़ सदस्य है, हम जानना चाहते है कि यह कौनसा व्यवस्था का प्रश्न है जिसे आप सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री एन्थनी फिलहाल बैठ जायें।

श्री सिंहासन सिंह : डा० लोहिया ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और आपने अपना विनिर्णय दे दिया था और वह मामला समाप्त हो गया था। उसी विषय पर अब श्री एन्थनी बोल रहे हैं। वह भाषा के मामल पर बोल रहे हैं जो अब चर्चा का विषय नहीं है। वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की चर्चा कर रहे हैं। परन्तु जब श्री मधु लिमये व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ हुए तो आपने उन्हें बाहर निकाल दिया। परन्तु, श्री एन्थनी अंग्रेजी और हिन्दी के प्रश्न पर बोले जा रहे हैं। हम अब हिन्दी और अंग्रेजी के प्रश्न पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। डा० लोहिया के व्यवस्था के प्रश्न पर आप के विनिर्णय के उपरान्त यह मामला समाप्त हो जाना चाहिये था। किसी को भी इस बात को और आगे उठाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए थी। यह तो बिल्कुल मजाक बन गया है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं आपसे केवल दो बातें जानना चाहता हूं। यह मामला एक अल्प सूचना प्रश्न पर आरम्भ हुआ था। श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने एक प्रश्न पूछा था। उसके पश्चात् आपने श्री प्र० चं० बरुआ को अगली ध्यान दिलाने वाली सूचना उठाने के लिये कहा। फिर श्री शिव नारायण खड़े हुए। आपने उन्हे बैठने के लिए कहा क्योंकि आप श्री प्र० चं० बरुआ को पहले ही बुला चुके थे। श्री शिव नारायण बैठ गये। उसके पश्चात्, श्री फ्रैंक एन्थनी खड़े हो गये और बोले जा रहे हैं।

श्री फ्रैंक एन्थनी : नहीं, नहीं।

श्री भागवत झा आजाद : हो सकता है कोई और हो। मैं आपसे केवल दो बातें जानना चाहता हूं। जब श्री एन्थनी ने संविधान की विवेचना आरम्भ की तो श्री मधु लिमये एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे। म आपसे यह बहुत विनम्रतापूर्वक जानना चाहता हूं कि यदि कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहे तो क्या आप उसे बाहर निकाल सकते ह ? दूसरे, अनपढ़ सदस्य होने के नाते मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सभा में इस समय किस विषय पर चर्चा हो रही है ? क्या श्री मधु लिमये को जो व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहे हैं, सभा से बाहर निकाला जा सकता है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यहीं पर था जब श्री फ्रैंक एन्थनी वास्तव में बोल रहे थे और उसी समय श्री मध लिमये प्रक्रिया नियमों की तलाश कर रहे थे। वह इस विशेष नियम के आधार पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थ जिसके अनुसार असंगत मामलों पर, जिनका इस समय के सभा के कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, चर्चा नहीं हो सकती। आपको श्री मधु लिमये को बैठने के लिये कहना चाहिए था और उनसे कहना चाहिए था कि वह अपने अवसर की इंतजार करें। बजाय इसके कुछ और किया गया था। वह शायद श्री एन्थनी से नाराज थे और आपने उन्हें बाहर जाने के लिये भी कहा।

Shri Bagri : I beg to submit that every member has the right to raise a point of order. Shri Madhu Limaye objected to an unparliamentary question and wanted to raise a point of order under 356. When he raised the point of order, you had the right to ask the speaker to sit down and give your ruling whether the point of order is right or wrong. But you do not have the right to turn out a Member without hearing his point of order. You did not have the right to allow a nominated Member to speak and now allow the Member who wants to raise a point of order.

श्री कपूर सिंह : जो निदेश आपने श्री मधु लिमये को दिये हैं न तो मैं उनपर सन्देह करता हूं और न मैं कहता हूं कि वह गलत थ। मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां सभा में बताई गई हैं उनको देखते हुए और और यह कि आपके निदेश का पालन भी हो गया है श्री मधु लिमये को वापस आने की अनुमति दी जाये।

श्री भागवत झा आजाद : जी हां।

Shri Sheo Narain : In England & America Government does not pay any money for the development of education to private and autonomous bodies. The charge is that the particular body had written the application in Hindi; no point of constitution is involved. You stopped me, Sir. Then you allowed Shri Dwivedi and Mr. Authony. Shri Madhu Limaye quoted a rule from the rues of procedure and he was turned out. and I was stopped. Mr. Anthony is not the only authority of the House. Each Member has the right to raise point of order, of course with your permission.

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात का अफसोस है कि यह विषय सूक्ष्म है और इस पर विचारों में बड़ा अन्तर पाया जाता है परन्तु वास्तविक प्रसंग को पूर्णतः उपेक्षा की जा रही है।

मुझे यह पूछा गया है कि मैं ने श्री मधु लिमये को बाहर जाने के लिए क्यों कहा और श्री एन्थनी को उस विषय पर बोलने की अनुमति क्यों दी। हमें देखना चाहिए कि यह सब कुछ किस प्रकार हुआ है। डा० लोहिया ने औचित्य का प्रश्न उठाया था। मैंने उन्हें बताया कि मैं संविधान की टीका नहीं करूंगा और फिर मैंने श्री प्र० चं० बरूआ को ध्यान आकर्षण सूचना लेने के लिए कहा। उस पर श्री द्विवेदी न यह औचित्य का प्रश्न उठाया कि जब सदैव मैं ने यही कहा है कि मैं संविधान की टीका नहीं करूंगा तो मैं यह कह कर कि संविधान का उल्लघंन किया गया है संविधान के अनुच्छेदों पर आधारित

औचित्य के प्रश्नों के लिए अनुमति कैसे दे सकता हूं। मेरा उत्तर यह था कि कभी कभी ऐसा होता है कि उन अनुच्छेदों पर न्यायालयों द्वारा कुछ निर्णय दिये हुए होते हैं और यदि मैं या कोई और उन के बारे में जानकारी रखता हो तो सम्भवतः उसे उन का लाभ हो सकता है ; तब औचित्य प्रश्न के बारे में निर्णय किया जा सकता है। यह उत्तर मैंने दिया था। श्री एन्थनी ने कहा कि निर्णय किये गये हैं। उस स्थिति में वह बताना चाहते थे कि उच्चतम न्यायालय पहले से निर्णय कर चुका था और वह मेरी सहायता करने के लिए तयार थे। इस बात को गलत समझ कर यह कहा जा रहा है कि मैंने श्री एन्थनी को बोलने की अनुमति दे दी और श्री शिव नारायण को बोलने नहीं दिया।

Shri Prakash Vir Shastri : In the very beginning he said that he wanted to assist the Education Minister.

Mr. Speaker : He had said that since the Education Minister did not tell about the court decisions.

श्री नम्बियार : आप ने अपना विनिर्णय अंग्रेजी में देना आरम्भ किया था परन्तु अब आप ने हिन्दी में बोलना शुरू कर दिया है। कृपया अंग्रेजी में बोलें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न हिन्दी में किया गया था इसलिए मैंने भी हिन्दी में बोलना शुरू किया।

Now about the other point whereby I have been criticised that some Member got up to raise a point of order but I said that he should leave the House. That is not a fact. He raised a point of order. I heard that, give my decision on that which he noted.........

श्री स० मो० बनर्जी : अब की बार ऐसा नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब की बार मैंने अनुमति नहीं दी चूंकि उन्होंने बाधा डालने की कोशिश की। मैंने बार बार उन से कहा कि मुझे श्री एन्थनी की बातें सुनने दीजिए परन्तु उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया।

Shri M. L. Divedi : The point is that why Shri Frank Anthony be allowed to speak when a matter has been closed? The House has been insulted.

Mr. Speaker : I have already explained the sequence.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा यह ख्याल था कि श्री मधु लिमये ने एक औचित्य का प्रश्न पर औचित्य का प्रश्न उठाया था। यदि सीक्वेन्स इस प्रकार है जैसा आप ने बताया है तो उन्हें औचित्य का प्रश्न उठाने का अधिकार है और आप को उसे सुनना चाहिए और यदि यह बात सही है तो आप उन्हें वापस बुलायें।

Dr. Ram Manohar Lohia : I request you to call Mr. Madhu Limaye back. Whatever decisions have been quoted by Shri Frank Anthony here, they bear no relevance to the subject under discussion. These decisions do not prove that a student can be compelled to choose a particular language. These decisions simply mean that English would be the medium there. He has therefore misused the time. I request you to call Shri Madhu Limaye back.

Mr. Speaker : Two things should not be confused. If the point is that I have committed a mistake by telling him to go out and that I should rectify my mistake by calling him back, I am not prepared to do that; whatever be the consequences. And if the point is that the House is of the opinion that he should be called back then I have no objection to it.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Re-organisation of Ministries

***1696. Shri Sidheshwar Prasad :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) Whether she has considered the question of organising the Ministries/ Deprtments permanently on scientific lines;

(b) whether her attention has been drawn to the fact that frequent changes in the administrative set up of the Ministries/Departments hamper smooth working;

(c) whether it is a fact that some Ministries are heavy while the others are small; and

(d) if so, when Government propose to re-organise the various Ministries/ Departments on scientific lines?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). The Ministries/Departments are re-organised from time to time keeping in view the administrative effeciency and the policy of the Government. So it is not possible under such circumstances to ensure that the work in each Ministry/Department is equal with that of the other. Recently many Ministries/Departments have been re-organised on the basis of their work. A review has also been undertaken about the structure, organisation and procedure of a Ministry on scientific lines. Such charges are made keeping in the view the administrative efficiency, economy in expenditure and quickness in working. Government is not aware of the fact that there has been any hinderence in the efficient working of Ministries due to these changes.

(d) The Administrative Reforms Commision which has been appointed recently will *inter alia* enquire into the classification of Subjects dealt with by various Ministries/Departments Categorisation of their staff and working procedure etc. Government will consider the recommendations made by the Commission in this regard.

दिल्ली में जवानों का स्मारक

***1697. श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 21 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 657 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मातृभूमि की रक्षा हेतु जिन सनिकों ने अपने जीवन का बलिदान किया है, क्या उन ी स्मृति में दिल्ली में एक स्मारक बनाने की योजना पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : योजना अभी विचाराधीन है।

रूस का दौरा करने वाले साम्यवादी दल के प्रतिनिधिमण्डलों को दी गई विदेशी मुद्रा

***1698. श्री केप्पन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय साम्यवादी दल के कई प्रतिनिधिमण्डलों को रूसी साम्यवादी दल के नेताओं से सैद्धांतिक चर्चा करने के लिये मास्को का दौरा करने की अनुमति दी है;

(ख) इन प्रतिनिधिमण्डलों को कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई है; और

(ग) चिकित्सा अथवा अन्य उद्देश्य से गत एक वर्ष में रूस का दौरा करने के लिये कितने भारतीय साम्यवादियों को अनुमति दी गई थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की कद्रीय समिति के निमंत्रण पर, भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी के 6 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की 23वीं कांग्रेस में भाग लेने के लिए मार्च-अप्रैल 1966 में सोवियत संघ गया था। सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के एक और निमंत्रण पर, भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी के 9 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए अप्रैल 1966 में मास्को गया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को यात्रा के लिए आवश्यक सुविधाएं दे दी गई थी।

(ख) पिछले एक साल में भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी के 70 सदस्यों को सोवियत संघ जाने की अनुमति दी गई जिनमें डाक्टरी इलाज के लिए जानेवाले 27 व्यक्ति शामिल है।

नेताजी जयन्ती समारोह

*1699. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री नेताजी जयन्ती सकारोह के बारे में 28 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 817 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल में केन्द्रीय कार्यक्रम सलाहकार समति ी सलाह ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सलाह दी गई थी; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) आकाशवाणी ने भिन्न भिन्न राष्ट्रीय नेताओं की वर्षगांठ मनाने के बारे में जो कार्यक्रम रखे है उनमें केन्द्रीय सलाहकार समिति की सामान्यत: स्वीकृति है। फिर भी, इस मामले के विशष महत्व को देखते हुए, सरकार ने 11 मई, 1966 की अनौपचारिक बठक में विभिन्न दलों से सम्बन्धित कुछ माननीय संसद सदस्यों के विचार भी लिये। बठक की बातचीत के परिणामस्वरूप मनाये जाने वाली वर्षगांठ की सूची में संशोधन के लिए हर साल विचार करने का निश्चय किया गया। सारे भारत में आकाशवाणी प्रति वर्ष जिन नेताओं की वषगांट मनायगी, उसकी एक परिवर्द्धित सूची सदन की मेज पर रख दी है। इस सूची में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का नाम भी है।

Indian News Bulletins

1700. **Shri Prakash Vir Shastri** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bishanchander Seth :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Nath Pai :
Shri Priya Gupta :
Shri Maurya :
Shri Yashpal Singh :
Shri Daji :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the foreign news content is on the increase in Indian News Bulletins for somet ime past;

(b) if so, whether any new policy has been formulated for this purpose; and

(c) if not, the reasons for increasing foreign news content in the News Bulletins and neglecting the main Indian news?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.'

पाकिस्तान द्वारा हथियारों का खरीदा जाना

*1701. **श्री वी० चं० शर्मा :** **डा० कोहोर :**
श्री राम हरख यादव : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में नियुक्त भारतीय राजदूतों ने यह सुचना दी है कि पाकिस्तान हथियार खरीद रहा है चाहे वे कहीं से भी मिलें और किसी भी कीमत पर मिल; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : पाकिस्तान द्वारा विदेशों से हथियार खरीदने के विषय में जो सूचना भारतीय मिशनों को मिलती है, उसे वे सरकार को भेजते हैं और हम इस तरह के मामलों में उचित राजनयिक कार्रवाई करते हैं ।

पाकिस्तान में गुरुद्वारों की सम्पत्ति

*1702. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में गुरुद्वारों की छोड़ी गई ऐसी सम्पत्ति का मूल्य लगभग 25 करोड़ रुपए है और वार्षिक आय 50 लाख रुपए है, जिसके बदले में न तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति अमृतसर को पंजाब में मुसलमानों के धार्मिक स्थानों की कोई निष्क्रांत सम्पत्ति दी गई थी और न ही इसके बारे में पाकिस्तान सरकार के साथ अब तक कोई बन्दोबस्त किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहले ऐसी कुछ भूमि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, अमृतसर को अस्थायी रूप से अलाट कर दी गई थी परन्तु बाद में रद्द कर दी गई और भारत वक्फ बोर्ड द्वारा ले ली गई; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्पत्ति के बदले में पंजाब में इसी भूमि को स्थायी रूप से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, अमृतसर को देने का है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अमृतसर ने रिपोर्ट दी है कि 1947 में पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों की संपत्ति की कुल कीमत 16 करोड़ 18 लाख रुपए से कुछ ऊपर है और उनसे होनेवाली वार्षिक आमदानी 48½ लाख थी । सरकार के पास सुलभ सूचना के अनुसार मुस्लिम धार्मिक स्थानों की कोई भी संपत्ति शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नहीं दी गई है । शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्ति के बारे में पाकिस्तान सरकार के साथ अभी तक कोई फैसला संभव नहीं हो सका है ।

(ख) सुलभ सूचना के अनुसार, मुस्लिम धार्मिक स्थानों की कोई भूमि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नहीं दी गई और भारत का कोई वक्फ बोर्ड नहीं है ।

(ग) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

विद्रोही नागा

***1703. श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस विद्रोही नागाओं के विरुद्ध कुछ ठोस कार्यवाही की है, जो गत कुछ समय से राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियां कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है और उस राज्य में स्थिति को सामान्य बनाने में कितनी सफलता मिली है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख) : असम, मणिपुर और नागालैंड की राज्य सरकारों को प्रभावित क्षेत्रों में चौकसी रखने और सुरक्षा के प्रबंध बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं और इसके लिए समुचित कदम उठाए गए हैं कि छिपे नागा गैर-कानूनी कार्रवाइयां न करने पाएं और नागरिकों को जान-माल को भी खतरा पैदा न हो। राज्य सरकारों ने भी अपने प्रशासन अधिकारियों को निदेश दे दिए हैं कि वे, जब कभी जरुरत पड़े, सेना की सहायता ले लें ।

उद्योगपतियों के साथ गोल मेज सम्मेलन

***1704. श्री रा० बरुआ :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विशषज्ञों तथा क्रियाशील लोगों का बेहतर प्रयोजन के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से उद्योग और वाणिज्य के विभिन्न क्षत्रों के विशेषज्ञों तथा उद्योगपतियों के समूहों और और सरकार के बीच अनेक गोल मेज सम्मेलन करने का कोई कार्यक्रम अन्तिम रूप में तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से बात चीत करने के कार्यक्रम का ब्यौरा क्यां हैं तथा ऐसें सम्मेलनें की शृंखला में किन किन प्रमुख विषयों पर विचार किया जायगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : उद्योग, कृषि तथा हमारी आर्थिक व्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षत्रों में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों के साथ समय समय पर बातचीत करने के लिए बैठकें करने की व्यवस्था करने का विचार किया जा रहा हैं । इन बैठकों का उद्देश्य किन्हीं विशेष मामलों में निर्णय पर पहुंचना नहीं है वरन इन का उद्देश्य यह है कि मतों का स्वतन्त्र और स्पष्ट आदान-प्रदान हो सके ताकि उन समस्याओं और कठिनाइयों को अधिक अच्छी तरह समझा जा सके जिन का सामना सरकार को और उक्त आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए लोगों को करना पड़ता है ।

औद्योगिक उत्पादन तथा विकास के रास्ते में रुकावट पैदा करनें वाली समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करने के लिए इस प्रकार की पहली बैठक 29 और 30 अप्रैल को कुछ उद्योगपतियों, मनेजरों, तकनीशियनों और अर्थशास्त्र विशेषज्ञों के साथ हुई थी ।

दूसरी बैठक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उनके उत्पादन से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार करने के लिए जून के आरम्भ में होने की सम्भावना है ।

आगामी बैठकों की तिथियां अभी निश्चित करनी हैं ।

किचा थिवू द्वीप पर श्रीलंका की सरकार का दावा

*1705. श्री मधु लिमये :
श्री दी० त्रं० शर्मा :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री वारियर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राजदेव सिंह :
श्री कंडप्पन :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्रीलंका की सरकार द्वारा किचा थिवु द्वीप पर किये गये दावे की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उक्त सरकार ने भारत सरकार को कोई पत्र भेजा है;

(ग) क्या इस पत्र का कोई उत्तर भेजा गया है; और

(घ) इसके उत्तर में क्या कहा गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रेस रिपोर्ट देख ली हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

कानपुर में मिश्रित इस्पात कारखाना

*1706. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री किशन पटनायक :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में विशेष मिश्रित इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख): कानपुर में अलाय स्टील के उत्पादन के लिए प्राप्त सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है । राजकीय तथा निजी क्षेत्र में अन्य स्टील संयंत्रों के विकास के लिए, क्षमताओं के सम्बन्ध में स्थापित की जाने वाली सुविधाओं का कार्यक्षेत्र और ढंग निर्धारित किया जाता है । यह भारत सरकार के निरीक्षणाधीन है ।

एन्नूर (मद्रास) में समुद्री डीजल इंजन कारखाना

*1707. श्री कंडप्पन : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के निकट एन्नूर में एक समुद्री डीजल इंजन कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार के निमन्त्रण पर सर्वश्री एम० ए० एन० इंजीनियर्ज के एक दल ने जून, जुलाई और अगस्त 1965 में, इस प्रयोजना के लिए बेसिक निर्माण योजना तैयार करने के लिए भ्रमण किया था। उन्हें कोचीन, मद्रास और विशाखापत्तनम या अन्य किसी स्थान में से कि जिसके लिए वह सिफारिश करें, श्रेष्ठ स्थान के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए भी प्रार्थना की गई है । कई तथ्यों, उदाहरणतः भौगोलिक स्थिति, संचार, श्रम की प्राप्यता, निवेश और फैक्ट्री की लागत इत्यादि पर विचार और विभिन्न स्थानों के तुलनात्मक निर्धारण करने के पश्चात् उन्होंने फैक्ट्री के लिए स्थान के लिए क्रम से इन स्थानों की सिफारिश की है—रांची, विशाखापत्तनम, मद्रास और कोचीन ।

Dogra Battalion

***1708. Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Y. D. Singh :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister, Jammu and Kashmir has criticized the Dogra Battalion;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that this criticism has evoked great resentment in the Dogra Battalion; and

(d) if so, whether Government have made any enquiries in this regard?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) to (d) . Government have seen Press Reports on this subject but have no authentic information. An enquiry has been made from the Government of Jammu and Kashmir and the available information will be laid on the Table of the House on receipt from that Government.

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के एक अधिकारी का वियतनाम का दौरा

***1709. श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में उनके मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी वियतनाम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग पर होने वाले व्यय में कमी करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये वियतनाम भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो उसने सरकार को क्या रिपोर्ट दी है; और

(ग) सरकार ने उसकी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : उस पर रिपोर्ट या सरकार का फैसला अभी नहीं बताया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से कमीशन के अध्यक्ष की हैसियत से भारत परेशानी में पड़ सकता है ।

नेताजी के बारे में चलचित्र (फिल्म)

*1710. **श्री नाथपाई :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि 'नेताजी' नाम का एक चलचित्र देश के अनेक चलचित्रगृहों (सिनेमाघरों) में दिखाया जा रहा है;

(ख) क्या इस चलचित्र में नेताजी की महानता का वास्तविक प्रदर्शन नहीं किया गया है; और

(ग) क्या इस चलचित्र के प्रदर्शन को बन्द करवाने के बारे में मांग की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां ।

(ख) फिल्म बम्बई में पास हुई है और बोर्ड की जांच-समिति का यह विचार था कि फिल्म को नेताजी के प्रति उचित मान-सम्मान का ख्याल रखकर बनाया गया है ।

(ग) सरकार को इस आशय की कोई शिकायत या प्रार्थना कि इस फिल्म का प्रदर्शन बन्द किया जाए, नहीं मिली है । श्री द्विजन्द्र नाथ बोस ने कलकत्ता के एडीशनल चीफ प्रेजिडेन्सी मजिस्ट्रेट की अदालत में ताजेरातं हिन्द फौजदारी की धारा 144 के अन्तर्गत फिल्म को दिखाने पर रोक लगाने की एक याचिका जरूर दी थी जिसको अदालत ने नामन्जूर कर दिया । फिल्म अब देश में दिखाई जा रही है ।

असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये विचार विमर्श की व्यवस्था

*1711. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री 20 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 807 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अन्तरिम विचार-विमर्श की व्यवस्था करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख): जी हां। असैनिक रक्षा कर्मचारियों के लिए एक अन्तरिम वार्ता संघ स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पर विचार किया गया है, और उसे, इस तथ्य को सामने रखते हुए त्याग दिया गया है कि गृह मंत्रालय की संयुक्त वार्ता और अनिवार्य मध्यस्थता की योजना, कि जिसमें रक्षा मन्त्रालय भी भाग लेगा, शीघ्र ही लागू होने वाली है ।

विद्रोही नागाओं की गतिविधियां

*1712. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 25 अप्रैल 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1309 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्रोही नागाओं की गतिविधियों में कोई विदेशी हाथ है, क्या इस बात का पता लगाने के लिये की जा रही जांच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) और (ख): पाकिस्तान सरकार द्वारा उपद्रवी नागाओं को दी गई सहायता के बारे में हमारे पास निश्चित सूचना है ।

प्रधान मंत्री की अमरीकी यात्रा के संबंध में प्रसारण

*1713. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह:

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा प्रधान मन्त्री की हाल की अमरीका यात्रा का प्रसारण करने के लिये 'वाइस आफ अमरीका' के प्रसारण का प्रयोग किये जाने के बारे में जांच कर ली गई है, और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रधान मन्त्री की हाल की अमरीका यात्रा का प्रसारण करने के लिए आकाशवाणी के 'वायस आफ अमरीका' के प्रसारणों का प्रयोग नहीं किया । आकाशवाणी ने केवल 'वायस आफ अमेरीका' द्वारा रिकार्ड किये गये प्रधान मन्त्री के भाषणों के अंशों का प्रयोग किया । इस प्रकार की सुविधायें संसार की प्रसारण करने वाली संस्थाएं आम तौर से एक दूसरे को देती लेती हैं । अंशों से सम्बन्धित परिचयात्मक विवरण आकाशवाणी के प्रधान मन्त्री के साथ गए अपने प्रतिनिधि द्वारा लिखे गये थे और वहीं रहने वाले एक भारतीय के द्वारा बोले गये थे ।

ब्रिटेन के प्रतिरक्षा सचिव का वक्तव्य

*1714. श्री हेम बरुआ : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन के हाऊस आफ कामन्स में ब्रिटेन के प्रतिरक्षा सचिव श्री डेनिस हीले द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि : "भारत और पाकिस्तान अभी भी अन्य समस्याओं की अपेक्षा आपसी संघर्ष में अधिक उलझे हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का यह मत है कि ब्रिटेन भारत को पाकिस्तान के बराबर ठहराने की अपनी प्रवृत्ति को छोड़ नहीं सका है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में ब्रिटेन की सरकार से पत्र-व्यवहार किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) श्री डेनिस हीले ने यह बात भारत और पाकिस्तान के साथ ब्रिटेन के सम्बन्ध के सिलसिले में नहीं कही थी बल्कि सर एलेक्स डगलस-ह्यूम के कथन 'एशियाई मल' की सम्भावना के संदर्भ में कही थी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Islamic Bloc

*1715. **Shri Madhu Limaye :**
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the efforts being made for the creation of an Islamic Bloc;

(b) the names of the countries joining it;

(c) the future impact of it on India's defence; and

(d) the action taken by Government in this regard;

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) to (d). The concept of an Islamic Bloc or alliance is not new. This proposal was reviewed during the visit of King Faisal to Iran in December, 1965. As a preliminary step, the two Kings agreed to call a Summit Conference of the Heads of States of all Islamic Countries. In pursuance of this King Faisal has visited a number of countries including Pakistan.

It is too early to say if the Summit will materialise and the countries that will be represented there. The Government of India in keeping with its policy of secularism and non-alignment is opposed to this proposal and has noted with satisfaction the strong reaction in progressive Arab and Muslim countries as in some other countries against any such grouping based on religion.

नौसेना के विमानों की दुर्घटनायें

*1716. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौसेना के कई विमानों की हाल में दुर्घटनायें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इसके बारे में कोई जांच की गई है अथवा की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) केवल नौसेना के दो विमान सांताक्रूज़ के हवाई अड्डे पर 1 मई 1966 को उतरते हुए एक छोटी सी दुर्घटना में अन्तर्गस्त हुए थे।

(ख) एक विमान को आई० एन० एस० कैरियर विक्रान्त से भेजा गया था, तूतल पर उतरने का प्रशिक्षण करते उसकी नासा को थोड़ी सी क्षति पहुंचने के पश्चात् उसका नासाचक्र सांता-क्रूज़ पर उतरते उध्वस्त हो गया था। दूसरा विमान भी जो पहले के साथ साथ जा रहा था, सांता-क्रूज़ पर उतरा था। जब इंजन बन्द कर दिया गया था तो उसकी इंजन कक्षिका में कुछ आग फूट उठी थी। आग पर उसी समय काबू पा लिया गया था। दोनों विमान चालक सुरक्षित हैं।

(ग) जी हां, दूसरे विमान के इंजन को बन्द कर देने के पश्चात् भड़क उठने वाली आग के कारण की जांच करने के लिए एक बोर्ड आफ इन्क्वायरी नियुक्त किया जा रहा है। पहली दुर्घटना के लिए किसी जांच का विचार नहीं किया गया क्योंकि वह मामला द्रव्य के समर्थ हो जाने का था।

वियतनाम में संघर्ष

*1717. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम में पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग अथवा उसकी किसी सदस्य सरकार ने वियतनाम में संघर्ष को समाप्त कराने के उपाय निकालने के मामले में पहल की है;

(ख) यदि हां, तो ठीक-ठीक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस माम्ले में यदि किसी अन्य सरकार ने सहायता करने की इच्छा व्यक्त की है तो किसने ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग): वियतनाम प्रश्न को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की दिशा में कनाडा सरकार वियतनाम में अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण और नियंत्रण कमीशन की सेवाओं का उपयोग करने पर विचार करती रही है। कनाडा सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार को भी अपने विचार बता दिए हैं। यह प्रस्ताव सिर्फ यह जानने के लिए था कि अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन किस प्रकार इसमें सहायता कर सकता है और कोई विशेष ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं। इस प्रस्ताव पर ज़ोर नहीं दिया जा रहा है।

4—77 Lok Sabha/66

Resignations of Army Officers

***1718. Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Army Officers tendered their resignaticns after December, 1960 on the grounds that their conscience did not permit them to do such type of work;

(b) whether it is a fact that the resignations of the said officers were not accepted and they have filed an appeal in Supreme Court in this regard;

(c) whether it is also a fact that the higher officers have remarked about them that men of such mental make up would not prove useful in the army; and

(d) the reasons for not accepting their resignations in spite of all this?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) 4 Army officers tendered their resignations generally on the grounds that they had no interest in continuing in the Army, were not temperamentally suited to the Army pattern of life and were unable to adjust themselves to it.

(b) Only one officer whose resignation was under examination filed a writ petition on the Supreme Court.

(c) While forwarding applications, each authority gives his own remarks about the usefulness or otherwise of the officers to the Army, which are taken into consideration in deciding the issue.

(d) Each case is considered by Government on its merits taking into account all the factors including the interest of the Service. In two cases resignations have been accepted. One case is under conideration and in the fourth case, resignation was not accepted owing to the officer situation in the particular Corps in which he was serving.

पाकिस्तान द्वारा अमरीकी मानिटरिंग स्टेशनों का बन्द किया जाना

***1719. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राज्य अमरीका पर फिर से पूरी सैनिक सहायता देने के बारे में दबाव डालने के लिये अमरीकी मानिटरिंग स्टेशन बन्द कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाया गया है कि इस दबाव को तथा पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान दिवस पर चीनी हथियारों के प्रदर्शन के सन्दर्भ में अमरीकी सरकार पाकिस्तान को फिर से हथियारों की सहायता देने के बारे में मानसिक रूप से विक्षिप्त है; और

(ग) यदि हां, तो इस दबाव के कारण पाकिस्तान को हथियारों की सहायता देने पर से अमरीकी सरकार को प्रतिबन्ध हटाने से रोकने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान में अमरीका के मानिटरिंग स्टेशन बंद करने की धमकी के संदर्भ में सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि अमरीकी सरकार फिर से हथियारों की सहायता देने के लिए "मानसिक रूप से विक्षिप्त" है । हमारा ख्याल है कि अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान दिवस पर चीनी हथियारों का प्रदर्शन करने से अपने ही निष्कर्ष निकाल लिए हैं ।

(ग) पाकिस्तान को हथियारों की सहायता पर रोक हटाने की संभावना की खबरों के बारे में सरकार ने अमरीकी सरकार से अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है ।

रोडेशिया और ब्रिटेन के बीच राजनयिक संबंध

*1720. **श्री मधु लिमये :**
श्री नाथपाई :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री किशन पटनायक :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रोडेशिया की विद्रोही श्वेत अल्प संख्यक सरकार तथा ब्रिटेन की सरकार के बीच फिर से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है;

(ख) इसका अफ्रीकी-एशियाई देशों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) इसका राष्ट्रमंडलीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंडलीय सम्बन्धो पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) दक्षिण रोडेशिया प्रभुसत्ता प्राप्त स्वतंत्र देश नहीं है । इसलिए, यूनाइटेड किंगडम के साथ उसके राजनयिक संबंध नहीं हो सकते । लेकिन, ब्रिटेन का एक प्रतिनिधि (जिसे हाई कमिश्नर कहते हैं) और उसका अमला साल्सबरी में है जो वहां काम करता है । इसी तरह रोडेशिया का भी लंदन में एक कार्यालय है । स्वतंत्रता की इकतरफा घोषणा हो जाने पर ब्रिटेन ने अपना प्रतिनिधि वापस बुला लिया था और कोंसली काम-काज के लिए बहुत थोड़ा-सा अमला वहां छोड़ दिया था । स्मिथ सरकार ने इस अमले से भी देश छोड़कर चले जाने के लिए कहा था किंतु ब्रिटेन सरकार साल्सबरी की गैर-कानूनी सरकार के साथ समन्वेषण सम्बन्धी बातचीत शुरु करने के लिये तैयार हो गई और यह निश्चय किया गया है कि लंदन और साल्सबरी से बकाया अमला वापस नहीं बुलाया जाएगा ।

(ख) साल्सबरी की गैर-कानूनी सरकार से समन्वेष सम्बन्धी बातचीत करने के यूनाइटेड किंगडम के निश्चय से एशियाई-अफ्रीकी देशों को आश्चर्य हुआ है । इनमें राष्ट्रमंडल के देश भी शामिल हैं और इस नई घटना पर प्रतिक्रिया यह हुई है कि इसके लिए ब्रिटेन की इस कार्रवाई की आलोचना की जा रही है ।

(ग) अभी इतनी जल्दी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि राष्ट्रमंडल पर और उसके सदस्यों के परस्पर सम्बन्धी पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ।

(घ) इस मामले में भारत सरकार भी अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों की तरह उद्विग्नता का अनुभव कर रही है और स्थिति पर ध्यान रख रही है ।

भारत-कुवेत संयुक्त उपक्रम

5657. **श्री बसुमतारी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :
श्री फिरोडिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुवेत सरकार औद्योगिक विकास के बारे में भारतीय सरकार की सहायता करने के लिये तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई क़रार किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : भारत सरकार और कुवाइत की सरकारों के बीच हाल के संपर्क में यह सहमति हुई कि पारस्परिक लाभ के लिए दोनों देशों के बीच औद्योगिक और वित्तीय सहयोग की संभावनाओं की अच्छी तरह जांच की जाए। एक सम्मिलित भारत-कुवाइत समिति बना दी गई है और इस समिति की पहली बैठक संभवतः जल्दी ही होगी।

सस्ते रेडियो

5658. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री 21 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2482 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में सस्ते रेडियो देने के प्रश्न पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) और (ख) : उद्योग मन्त्रालय की सलाह से इस प्रश्न पर जोरों से विचार किया जा रहा है कि देश में रेडियो बनाने और सप्लाई करने के काम को कैसे बढ़ाया जाय। सस्ते रेडियो सेटों और उसके अन्य यन्त्रों के निर्माण को उन्नत करने के लिये विदेशी मुद्रा के स्रोतों को प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

सैनिक कर्मचारियों के लिये नये मैडल

5659. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 4 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2197 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक कर्मचारियों के लिये नये मैडल कायम करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्र० प्र० थामस) : (क) तथा (ख) : प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

उड़िया समाचार-चित्र (न्यूज रील) तथा प्रलेख चित्र

5660. डा० कोहोर : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़िसा के कितने समाचार-चित्र (न्यूज़रील) तथा प्रलेख चित्र जब तक प्रदर्शित किये गये हैं;

(ख) उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उड़िया के किन्हीं प्रलेख चित्रों अथवा समाचार-चित्रों को निर्माण किया जा रहा है अथवा 1966 में निर्माण होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा वे कब प्रदर्शित किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ): 1958 से फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित और देश-भर के सिनेमा घरों में बांटी जाने वाली सभी फिल्म तथा चलती-फिरती गाड़ियों के द्वारा दिखाई गई सभी फिल्मों को उड़िया में डब किया गया। जनवरी, 1960 से सारे देश के सिनेमाघरों में दिखाए जाने के लिए बांटे गए सभी साप्ताहिक समाचार चित्रों को भी उड़िया भाषा में परिवर्तित किया गया है । उन वृत्तचित्रों तथा समाचार चित्रों की, जो अब तक उड़िया में डब या जारी किये गये हैं, ठीक ठीक संख्या, नाम की सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

पख्तूनिस्तान

5661. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान अब्दुल गफार खां के नेतृत्व में किये जा रहे पख्तूनिस्तान के स्वाधीनता आन्दोलन की सहायता करने के बारे में उन के द्वारा 17 नवम्बर, 1965 को लोक सभा में जो घोषणा की गई थी, उसके बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या बादशाह खां निकट भविष्य में भारत आने वाले हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इस प्रश्न पर सरकार का रवैया सदन में बार-बार स्पष्ट किया जा चुका है । सरकार की पख्तूनों की न्यायोचित मांगों के प्रति पूरी सहानुभूति है और वह उनकी संवैधानिक तरीके में हर संभव सहायता करेगी ।

(ख) और (ग) खान अब्दुल गफफार खां ने जिन्हें जनवरी 1965 में आमंत्रित किया गया था, यह नहीं बताया है कि वे कब भारत आएंगे ।

Songs on Vividh Bharati Programme of A. I. R.

5662. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :
Shri Bade :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that indecent item of literature and film songs are broadcast over "Vividh Bharati' programme of the All-India Radia fcr the Armed forces;

(b) whether such songs tend to affect the morals cf the Jawans; and

(c) whether it would in any manner jeopardise our security arrangements, which are the responsibility of our Jawans?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) No, Sir. While many of the film songs broadcast in the Vividh Bharati programme at the request of members of the Armed Forces have a romantic appeal, due care is taken to see that their contents do not offend against the normally accepeted standard of good taste.

(b) & (c). Do not arise.

Gandhi Street in Bonn (West Germany)

5663. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Municipality of Bonn, the capital cf Germany, has named a newly constructed road as 'Gandhi Street'; and

(b) if so, whether the prior consent of the Government of India had been obtained to name the road as such?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Consent of the Government of India is not required in these matters. However, the Municipality of Bonn have informed the Government of India of their decision through our Embassy at Bonn. We appreciate the gesture of naming a street in Bonn after Mahatma Gandhi.

Visit of Prime Minister and Congress President to Czechoslovakia

5664. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Prime Minister and the Congress President, Shri Kamraj would visit Czechoslovakia shortly;

(b) if so, who would bear the expenses therefor; and

(c) the estimated expenditure to be incurred thereon and the amount of foreign exchange involved?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes Sir. Dr. L. Simovic, Deputy Foreign Minister of Czechoslovakia, during his visit to India from 7th to 15th April, 1966 extended an invitation to the Prime Minister, on behalf of his Prime Minister, to pay a visit to Czechoslovakia. The Prime Minister has accepted the invitation. No date for the visit has been fixed.

We have information that on behalf of the President of the Czechcslovakia. National Democratic Front, the Czech. Deputy Foreign Minister extended an invitation to Shr K. Kamaraj, the Congress President. This invitation has been accepted by the Congress President but he has not yet fixed any dates.

(b) According to the normal practice the local hospitality on the visit of the Prime Minister is borne by the host Government and the cost of passages by the Government of India.

In the case of the visit of the Congress President the Government of India are not incurring any expenditure.

(c) As the date and time of the visit of the Prime Minister to Czechoslovakia has not been finalised so far, the question of estimated expenditure dces not arise at this stage.

In view of reply to part (b) above, Government is not in a positicn to give any further details.

अम्बाला में सैनिक इंजीनियरी सेवा (एम०ई०एस०) कार्यालय में फर्नीचर

5665. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला छावनी में सैनिक इंजीनियरी सेवा (एम० ई० एस०) कार्यालय में 1963–64, 1964–65 और 1965–66 में बहुत सा फर्नीचर खो गया था अथवा बट्टे खाते में डाल दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो फर्नीचर कितने मूल्य का था तथा फर्नीचर कब बनाया गया था अथवा खरीदा गया था ;

(ग) सरकारी धन की हानि का सही अनुमान लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी अथवा जाँच की गई थी ; और

(घ) सरकारी सामान तथा सम्पत्ति का इस प्रकार नुक्सान अथवा गबन न हो, इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक सभी सूचना प्राप्त नहीं है, वह इकट्ठी की जा रही है, और जभी संगत सूचना प्राप्त हुई सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

Bond for Service Officers

5666. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government takes any bond in writing from the Service Officers regarding their services;

(b) if so, whether on the basis thereof such officers are bound to remain in service for a definite period subsequent to their having been commissioned; and

(c) if not, whether there are any other legal provisions in accordance with which Government regulates the term of service of the service officers and definite period upto which it can make it obligatory on them to remain in service?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) to (c). No, Sir, except in non-technical branches of the Air Force, where a candidate selected for a commission is required to sign a covenant under which he is liable to serve for a minimum period of eight years including the period of cadetship. The service officers are bound to serve upto the age of compulsory retirement or the date of completion of tenure in accordance with the rules in force, if granted a regular commission, or for a specific period if granted a non-regular commission. They are subject to their respective Service Acts during their service.

Prices of Radio Valves

5667. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1388 on the 26th November, 1965 and state :

(a) whether it is a fact that radio valves manufactured by the Bharat Electronics Limited, Bangalore are not yet available in Delhi at fixed prices;

(b) whether these valves are available in blackmarket in any number at three and four times their price, as a result of which not only the public at large but the technical departments of Government are also facing difficulty;

(c) whether these valves are not being sold even by Messrs Universal Radios, Chandni Chowk, Delhi, the distributors appointed by the Bharat Electronics Limited; and

(d) the steps being taken by Government to make these valves available in the open market at fixed prices?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) and (b). No, Sir. The radio valves of various types manufactured by Bharat Electronics Ltd. are vailable in Delhi at the published prices from the appointed distributors or their retail dealers. However, some complaints about these valves being sold at prices higher than those published by BEL have been received.

(c) M/s. Universal Radio, Chandni Chowk, Delhi, are one of the appointed distributors. Apart from occasional inability arising from the non-availability of a certain type or types of valves at a particular time, they are making regular supplies.

(d) The existing distribution arrangements made by BEL are by and large adequate. Preliminary investigation into the complaints of profiteering by certain dealers referred to in (a) and (b) above has been made and the matter is being pursued.

बहराइच में राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये प्राप्त धन राशी

5668. **श्री राम सिंह :**
श्री प० ह० भील :
श्री प्र० के० देव :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सिसिया तथा प्रयागपुर खण्डों से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ;

(ख) क्या स्थानीय अधिकारियों ने यह समूची धनराशि राष्ट्रीय रक्षा कोष में जमा कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाधी) : (क) भारत-पाकिस्तान के हाल के संघर्ष के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले के सिसिया तथा प्रयागपुर खण्डों से क्रमश: 11,631.22 रुपये और 20,421.31 रुपये राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए एकत्र हुए ।

(ख) सारी रक़म राष्ट्रीय रक्षा कोष के खाते में जमा करने के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया में में जमा करवा दी गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Facilities to families of Navy personnel

5669. **Shri R. S. Tiwary** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have made some announcement to provide facilities to the families of the personnel of Navy who laid down their lives as a result of the Indo-Pak. conflict;

(b) if so, the number of persons whose families have been provided facilities; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Orders have been issued for liberalised special family pensionary awards and disability pension for service personnel of all the three Services and therefore including personnel of the Navy.

(b) and (c). Do not arise since no naval personnel were killed during the recent Indo-Pakistan conflict.

Newsprint quota for Local Newspapers in Meerut District

5670. **Shri Vishram Prasad :** **Dr. L. M. Singhvi :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Daji :**

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that newsprint quota is given to the local newspapers of District Meerut in Uttar Pradesh;

(b) whether it is also a fact that the number of copies printed by these newspapers do not exceed 1,000;

(c) whether it is also a fact that only about 800 copies of "Danik Mayarashtra" are printed;

(d) whether it is also a fact that printing machine with the said newspaper cannot bring out more than 800 copies per day;

(e) whether it is also a fact that the reports appearing in the above newspaper are not correct; and

(f) if so, the reasons for allotting newsprint quota and Government advertisements to such newspapers while other newspapers having more circulation are neither given news print quota nor Government advertisements?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. According to information available with Government, there are Newspapers published from Meerut with a circulation exceeding 1,000.

(c) The circulation of "Danik Mayarashtra" Meerut is under verification.

(d) It is understood that printing machine of this paper can print about 2,000 copies a day.

(e) Government have no information.

(f) While allotting newsprint, the policy or the contents of a newspaper are not taken into account. Newsprint is allotted to newspapers, on application, in accordance with the policy laid down in Public Notice No. 54-ITC (PN) dated 26th April, 1966, a copy of which was laid on the Table of the Lok Sabha.

In selecting newspapers and periodicals for the release of advertisements, due regard is paid to effective circulation, regularity in publication, class of readership, production standards, the language and area intended to be covered and adherence to accepted standards of journalistic ethics.

छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

5671. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 28 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 891 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये एक मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) तथा (ख) : छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये उजरत बोर्ड नियुक्त करने के लिये प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ।

गाजा में भारतीय सेना के दस्ते

5672. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री बृजवासी लाल :

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाजा में तैनात संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना के भारतीय सेना के दस्तों के अफसरों तथा जवानों को हाल ही में डाइरेल वल्ला (गाजा) में संयुक्त राष्ट्र संघ के सेवा पदक दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो कितने अफसरों तथा जवानों को ये पदक मिले हैं ;

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख): सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज का स्मारक

5673. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 15 नवम्बर 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 573 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगापुर के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने कहा था कि "मैं सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज के स्मारक के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में भारत सरकार की किसी प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा" और इसलिये जिस के उत्तर में प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने कहा था कि "सिंगापुर के प्रधान मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले पर अग्रेतर विचार कर रहे हैं ;"

(ख) "सिंगापुर में रहने वाले भारतीय उद्भव के लोगों" को अब भारत सरकार और सिंगापुर की सरकार के बीच डालने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने श्री नेहरू द्वारा अपनाई गई नीति, जिसका उल्लेख भाग (क) में किया गया है, छोड़ दी है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले पर सरकार द्वारा किये गये विचार का क्या परिणाम निकला है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ): 25–3–60 को लोकसभा में तारांकित प्रश्न संख्या 1465 के उत्तर में श्री नेहरू ने कहा था कि सिंगापुर में आई० एन० ए० स्मारक के पुनर्निर्माण का मामला सिंगापुर में रहने वाले भारत-मूलक लोगों तथा सिंगापुर की सरकार के बीच की बात है । लेकिन, भारत सरकार सहर्ष इसमें अपना सहयोग और सहायता देगी ।

अब चूंकि सिंगापुर एक आजाद देश है, अच्छा यह होगा कि सिंगापुर के लोग इस मामले पर विचार करें । भारत सरकार अपने सहयोग का आश्वासन उन्हे पहले ही दे चुकी है ।

Refusal of permission to shoot an Indian film in Kenya

5674. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Indian team was not given permission to shoot a film in Kenya recently;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government have taken up the matter with the Kenya Government

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b). Government has been informed that the permission given earlier by the Government of Kenya ta an Indian film unit for shooting certain scenes in Kenya was withheld owing to a misunderstanding and subsequently a fresh application was invited. In the meanwhile, the film unit whose permissible period of stay in Kenya had by then expired, decided to shoot the required scenes in another African country.

(c) Yes, Sir.

अणु शक्ति का प्रयोग

5675. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **प्रधान** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जहां पानी की उत्यधिक कमी है वहां विद्युत तथा ताप शक्ति के स्थान पर अणु शक्ति का प्रयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में चौथी-पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ की जायेंगी ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) बिजली के उत्पादन के लिये परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कोयले अथवा पानी की शक्ति के स्थान पर किया जा सकता है । परमाणु बिजलीघरों में कोयले से चलने वाले बिजली घरों के समान ही पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि थर्मल बिजलीघरों के बायलरों की तरह परमाणु रिएक्टर भी पाणी को भाप में बदलते हैं जिससे टर्बो जनित्र चलते हैं । ऐसे क्षेत्रों में जहां ताजे पानी की कमी होती है लेकिन समुद्री पानी मिल सकता है, परमाणु बिजलीघरों में समुद्री पानी का अपक्षारीकरण करके उपोत्पाद के रूप में ताजा पानी तैयार किया जा सकता है ।

परमाणु ऊर्जा विभाग ऐसे स्थानों पर जहां सस्ते कोयले अथवा पानी द्वारा उत्पादित बिजली नहीं मिल सकती, दो न्यूक्लीय बिजलीघरों की स्थापना कर रहा है, जिनमें से एक महाराष्ट्र में तारापुर नामक स्थान पर होगा, तथा इसकी उत्पादन क्षमता 380 मैगावाट होगी और दूसरा राजस्थान में राणा प्रताप सागर नामक स्थान पर होगा जिसकी उत्पादन क्षमता 200 मैगावाट होगी । परमाणु बिजलीघरों में अपक्षारीकरण से ताजा पानी तैयार करने के आर्थिक पहलुओं से सम्बद्ध अध्ययन परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे में किए जा रहे हैं ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन की क्षमता को दुगना करने और मद्रास में कलपक्कम नामक स्थान पर 400 मैगावाट की क्षमता का परमाणु बिजलीघर स्थापित करने की योजना है। न्यूक्लीय शक्ति को और बढ़ाने के कार्यक्रमों पर विचार किया जा रहा है।

छिपे हुए नागाओं तथा चीन के विदेश मंत्री के बीच बैठक

5676. श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री हेम बरुआ :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपे हुए नागा प्रतिनिधि मण्डल की ढाका में चीन के विदेश मंत्री की बीच हुई बैठक के बारे में जांच पड़ताल पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) और (ख) : इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि नागा उपद्रवी ढाका में चीन के विदेश मंत्री से मिले थे।

टेलीविजन स्टूडिओ

5677. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन देशों ने भारत में टेलीविज़न स्टूडियो स्थापित करने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया है, और

(ख) प्रत्येक देश ने किस प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केवल फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी ने भारत में टेलीविजन स्टूडियो स्थापित करने के लिए सहायता देने को कहा है। कुछ और देशों ने प्रारंभिक पूछताछ की है जो जांच पड़ताल या/और व्यापारिक दृष्टिकोण से की गई है।

(ख) फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी ने नई दिल्ली के टेलीविजन स्टूडियो को यन्त्रादि दिए हैं, जर्मन शिल्पिक भेजे हैं और भारतीय इंजीनियरों को पश्चिमी जर्मनी में प्रशिक्षण देना स्वीकार किया है।

A. I. R. Station at Rajgir

5678. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether a demand for the setting up of a broadcasting Station of the All India Radio at Rajgir has been made; and

(b) if so, the steps taken in this direction?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) Rajgir is well within the service range of Patna Station of All India Radio which is only 70 KM away. It is, therefore, not necessary to set up a separate Radio Station at Rajgir.

पुर्तगाली उपनिवेश

5679. श्री मधु लिमये : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंगौला, मोजम्बीक तथा गिनी के पुर्तगाली उपनिवेशों में फैली हुई क्रांति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यक्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्ति आन्दोलनों को सरकार क्या सहायता दे रही है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा ही पुरज़ोर तरीके से पुर्तगाल की उपनिवेशी नीतियों का विरोध किया है और पुर्तगाली उपनिवेशों में रहने वाले लोगों के हित का समर्थन किया है ।

भारत उपनिवेशवाद विषयक 24 सदस्यों की संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति का सदस्य है ; इस समिति ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करते हुए मोजाम्बिक, अंगोला और गिनी में रहने वाले लोगों पर किए गए पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के अत्याचार की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने का प्रशंसनीय कार्य किया है । इस समिति के प्रयत्नों के फलस्वरूप, जिसमें भारत ने उल्लेखनीय कार्य किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कई प्रस्ताव पास किए जिनका उद्देश्य अफ्रीका के पुर्तगाली प्रदेशों को स्वाधीनता दिलाना है ।

पुर्तगाली उपनिवेशों से आने वाले विद्यार्थियों को हर साल, भारत में उच्च अध्ययन करने के लिए कुछ छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं और इन उपनिवेशों के जो राष्ट्रवादी निर्वासित कर दिए हैं, उनके उपयोग के लिए हमने कुछ दवाइयें फर्स्ट एड का सामान और किताबें आदि भी भेजी हैं ।

मुसलमानों के धार्मिक स्थानों की भूमि

5680. श्री दलजीत सिंह : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री 21 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2507 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वक्फ बोर्ड ने पंजाब में मुसलमानों के धार्मिक स्थानों की सारी भूमि अपने अधिकार में ले ली है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, अमृतसर को जो केवल गुरुद्वारा ननकाना साहिब के प्रबन्ध पर ही लगभग एक लाख रुपये खर्च करती है, पाकिस्तान वक्फ बोर्ड अथवा भारतीय वक्फ बोर्ड कोई धनराशि नहीं देता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वक्फ बोर्ड की आय में से शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, अमृतसर को वह धनराशि देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वैदेशिक कार्यमंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) इस प्रकार का कोई भारत का वक्फ बोर्ड नहीं है । हां, राज्य वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें पंजाब का एक वक्फ बोर्ड सम्मिलित है जो केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1954 के अंतर्गत स्थापित किया गया था । पंजाब में मुस्लिम पूजा स्थानों से सम्बध्द कोई ज़मीन पंजाब वक्फ बोर्ड ने ली है या नहीं इसका पता वक्फ संपत्ति का सर्वेक्षण पुरा हो जाने के बाद चलेगा; सर्वेक्षण कार्य अभी चल रहा है ।

(ख) और (ग) : पाकिस्तान के वक्फ बोर्ड ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को उसकी पश्चिम पाकिस्तान की संपत्ति के मुआवज़े की कोई रक्कम अदा नहीं की है ।

इस तरह की कोई रकम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधनक कमेटी को देने के लिए सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

इसराइल के राष्ट्रपति के प्रति कथित अविनय

5681. **श्री हरि विष्णू कामत** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री इसराइल के राष्ट्र प्रति के प्रति कथित अविनय के बारे में 25 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 4338 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले की सुनवाई निश्चित समय के अनुसार अप्रैल, 1966 के अन्तिम सप्ताह में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) यह मुकदमा 10 मई 1966 को सुनवाई के लिए रखा गया ।

(ख) विद्यार्थियों के खिलाफ इस्तागस्त वापस ले लिया गया है और उन्हे छोड़ दिया गया है ।

कटनी में संयंत्र

5682. **श्री फिरोदिया** : क्या **प्रति-रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटनी में एक अलौह धातु संयंत्र स्थापित किये जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की क्षमता क्या होगी और इस पर कितना अनुमित व्यय आयेगा ; और

(ग) क्या इसमें किसी विदेशी सहायता का भी इस्तेमाल किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्राल में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) तथा (ख) : एक प्रोयोजना जिसमें 340.57 लाख रूपये के खर्च का अनुमान अन्तर्ग्रस्त है आर्डनेंस फैक्टरी कटनी में कार्यान्वित की जा रही है । इस प्रायोजना का अंश अर्थात् पीतल को पिघलाने और बेलने का संयन्त्र कमीशन किया भी जा चुका है । योजना की क्षमता प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

(ग) इस प्रायोजना के लिए कोई विदेशी सहायता नहीं है ।

Purchase of shoes for Jawans

5683. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Commandant of C.O.D., Kanpur has issued orders for the purchase of 13,000 pairs of shoes for Jawans in the open market at any price; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) and (b). The requirements of footwear for the Defence Services are met by supplies from the trade against contracts placed by the D.G.S.&D and by manufacture in the Harness & Saddlery Factory, Kanpur. As timely supplies of Boots Ankle from the normal sources did not materialise, the Commandant, Central Ordnance Depot, Kanpur in February 1966 placed local purchase orders after inviting local tenders for 12,558 pairs of Boots Ankle at rates varying from Rs. 19.25 to Rs. 19·95 for sizes 9 and 10 and at Rs. 24·00 for sizes 12 and 13 to meet operationally urgent requirements of the Army. The comparative rates at which

D.G.S.& D. has concludedcontracts for bulk supplies are Rs. 19·00 to Rs. 20·10 for sizes 9 and 10 and 12 and Rs. 19·10 for size 13. However, only 35 pairs of size 12 and 12 pairs of size 13 were purchased by local tenders and the entire remaining quantity of 12,511 pairs was for sizes 9 and 10.

खेमकरन क्षेत्र में सुरंगों के फट जाने के कारण हुई मृत्यु

5684. श्री गुलशन :

श्री प० ह० भील :

श्री दलजीत सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ताशकन्द समझौते की घोषणा के अनुसार सेनाओं को हटा लिये जाने के बाद आजतक भारत-पाकिस्तान सीमा पर सशस्त्र सेनाओं द्वारा बिछाई गई सुरंगों के फटने के परिणामस्वरूप, विशेषत: खेमकरन क्षेत्र में, कितने व्यक्ति तथा पशु मारे गये ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : पाकिस्तानियों द्वारा बिछाई गई सुरंगो के विस्फोट के कारण सेनाएं हटाने के पश्चात अमृतसर ज़िले में क्रमश: तीन और एक समेत पंजाब में 5 व्यक्ति निधन प्राप्त हुए हैं और 17 घायल । इस प्रकार कुछ पशु भी मरे हैं ; ठीक संख्या नहीं है ।

विदेशी विज्ञापनकर्ता अभिकरणों के साथ करार

5685. श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी घोषित नीति के प्रतिकूल, विदेशी विज्ञापनकर्ता अभिकरणों के साथ कोई सहयोग सम्बन्धी करार किये हैं, और

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी अधिकरणों के नाम क्या हैं तथा उनके साथ किये गये करारों की शर्तें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आयुध कारखानों के महानिदेशालय कलकत्ता में आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर)

5686. श्री रा० बरुआ :

श्री रिशांग किशिंग :

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयुध कारखानों के महानिदेशालय, कलकत्ता में काम करने वाले आशुलिपिको (स्टनोग्राफरो) की सेवा की शर्तों के बारे में पिछले 4 महीनो में किसी संसद-सदस्य से कोई अभ्यावेदन/शिकायत मिली है ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत में क्या बातें कही गई हैं ; और

(ग) इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) संसद सदस्य का पत्र मुख्य निदेशक आर्डनेंस फैक्टरीज के व्दितीय वर्ग के स्टेनोग्राफरों की सुपरिण्टेंडेंट के तौर पर उन्नति के सम्बन्ध में है । पत्र में कहा गया है डी० जी० ओ० एफ० मुख्यालयों के स्टनोग्राफरों की सेवास्थितिएं उनके, सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों के समदेशीयों की सेवास्थितियों में

अनुकूल तुलना नहीं होती, कि इस सम्बन्ध में संसद में उत्तर दिए गए दो प्रश्नो के उत्तर में भिन्नता है और कि विभागीय प्रोमीस कमेटी द्वारा सुपरिटडेंट के तौर पर उन्नति के लिए सिफारिश किए गए स्टेनोग्राफर वास्तव में पदोन्नत नहीं किए गए हैं ।

(ग) वास्तविक स्थिति की व्याख्या करते संसद् सदस्य को उत्तर दिया जा रहा है ।

आयुध कारखानों के महानिदेशालय, कलकत्ता में स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति

5687. **श्री रा० बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित आयुध कारखानों में महानिदेशालय में काम करने वाले वर्ग दो के स्टनोग्राफरों को, जिन्हें 10 मई, 1965 से पहिले असिस्टेंट बना दिया गया था, पदोन्नत करके सुपरिन्डेटेंट बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर 'हां' में हो, तो सुपरिन्टेंडेंटों के पद पर नियुक्ति से पहिले इन स्टेनोग्रोफरो के लिये असिस्टेंट के रूप में कितनी अवधि तक काम करना आवश्यक है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) : तथा (ख) प्राप्त रिक्त स्थानों में सुपरिण्टेंडेंटों के तौर पर उन्नति के लिए विचारे जाने से पहले 10 स्टेनोग्राफरों को दिसम्बर 1964 से दो वर्षों के लिए असिस्टेंट के तौर पर काम करने का अवसर दिया गया है ।

पश्चिम जर्मनी से टेलीविजनों का उपहार

5688. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी ने टेलीविजन पर चलचित्र दिखाने का यंत्र (टेलीसाइन इक्विपमेंट) भेंट किया है, जिसमें 35 मिली मीटर के दो दर्शित्र (प्रोजेक्टर), 16 मिली मीटर के दो दर्शित्र (प्रोजेक्टर) तथा दो टेलीविजन कैमरे हैं, और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या उपयोग करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) टेली-सिने यन्त्र दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र में फिल्मी कार्यक्रमों को दिखाने के लिये प्रयोग किया जा रहा है ।

Area of Indian Territory

5689. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the area of Indian territory on the 15th August, 1947;

(b) the area in actual possession of Indian Government now; and

(c) whether any white paper is proposed to be published soon in this connection?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

नागालैण्ड का सेना के सुपुर्द किया जाना

5690. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड को सेना के सुपुर्द कर देने के बारे में सरकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : '(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Use of Hindi

5691. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Officer of his Ministry who sought permission to publish a book in Hindi was asked to furnish an English translation of the same;

(b) whether it is also a fact that some officers were not permitted to become members of Writers Co-operative Society for their being unable to furnish the rules, etc. of the Society in English; and

(c) the steps being taken to put an end to the anti-Hindi attitude of the officers?

The Minister of Information and Broadcasting Shri (Raj Bahadur) : (a) Yes, in one case only.

(b) Information is being collected.

(c) It will not be correct to say that there is an anti-Hindi attitude prevelant in the Ministry.

Employees of A. I. R.

5692. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the total number of regular Government employees doing editing work in the News Services Division of A. I. R. and the number of such persons who are appointed each year;

(b) the total number of employees doing clerical work in A. I. R. and the amount spent thereon annually;

(c) the total number of engineers in A. I. R. and the amount spent thereon annually;

(d) the total number of staff artistes in A. I. R. and the amount being spent thereon annually;

(e) the total number of casual artistes engaged on long-term contracts in A.I. R. and the amount being spent thereon annually;

(f) whether typists, clerks etc., doing clerical work are also included in the categories of staff-artistes and casual artistes; and

(g) if so, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) to (g) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

5—77 Lok Sabha/66

Payment of pension to a Soldier

5693. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item appearing in the Hindi weekly *Rashtra Hit* dated the 25th April, 1966 published from Delhi to the effect that 'the widow' of a soldier of District Bulandshahr who is alive is being paid pension;

(b) whether it is also a fact that the said soldier enrolled himself in the army with a pseudonym; and

(c) if so, the action being taken by Governmen in this regard?

The Minister of Defence Shri Y. B. Chavan : (a) to (c) : Government have seen the news item. The allegations made are being investigated.

आसम में रेलगाड़ियों में विस्फोट

5694. **श्री दी० चं० शर्मा :**

डा० महादेव प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागाओं ने कहा है कि आसाम में रेलगाड़ियों में हुए विस्फोटों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और उन्होंने इस आशय के तार प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री को भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार का ख्याल है कि अगर पुछताछ से यह पता चले कि उपद्रवी नागाओं ने तोड़-फोड़ की कार्रवाइयां की हैं, तो छिपे नागा नेताओं को चाहिए कि वे अपराधियों को पकड़ने में सरकार की सहायता करें ।

उस इलाके में सुरक्षा और बचाव को सुनिश्चित करने के लिए दूसरी एहतियाती कार्रवाइयां बरतने और अपराधियों को पकड़ने में सरकार ने अपनी कोशिशों में कोई ढील नहीं दी है ।

मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों पर कनाडा द्वारा आपत्ति

5695. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

श्री हरि विष्णु कामत :

क्या वदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा ने उनके मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में की गई कुछ टिप्पणियों पर बहुत आपत्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो वे टिप्पणियां क्या हैं ; और

(ग) कनाडा द्वारा की गई आपत्ति के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Purchase of T. V. Equipments

5696. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minster of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Government propose to purchase television equipments from certain foreign countries;

(b) if so, the estimated foreign exchange required for the purpose;

(c) whether these television equipments can be manufctured in India; and

(d) if the reply to part (c) is in the negative, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir. We intend to procure from abroad television equipments required urgently.

(b), (c) and (d): Bharat Electronics Limited have invited proposals from foreign firms/organisations for collaboration for supply and progressive manufacture in India of television transmitting equipment including transmitters, studio equipment, cameras and mobile equipments. Some proposals have been received and these are being studied.

श्री मोहन रानडे

5697. डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यु० द० सिंह :
श्री किशन पटनायक :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री दाजी :
डा० रानेन सेन :
श्री जगदेव सिद्धांती :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय राष्ट्रजन, श्री मोहन रानडे की दुर्दशा की ओर दिलाया गया है, जिन्हें गोआ स्वाधीनता संग्राम के सम्बन्ध में गिरफतार किया गया था और जो इस समय पुर्तगाल की जेल में आजीवन कारावास का दण्ड भोग रहे हैं;

(ख) क्या पुर्तगाल की जेलों में और भी भारतीय लोग हैं ; और

(ग) सरकार ने उन्हें रिहा करवाने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। भारत सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि पुर्तगाल की जेल मे रहकर श्री मोहन लक्ष्मण कितनी 'कठिन स्थिति' में हैं।

(ख) जी हां। श्री रानडे के अतिरिक्त, गोआ के एक निवासी, डाक्टर तालो मैसकारेन्हास भी पुर्तगाल की जेल में सजा भोग रहे हैं।

(ग) इस तथ्य के बावजूद कि डाक्टर तालो मैसकारेन्हास ने अपने आपको भारतीय राष्ट्रीय घोषित किया है, पुर्तगाल की सरकार ने उनकी ओर से बीच में पड़ने के हमारे अधिकार पर आपत्ति उठाई है क्योंकि वह उन्हें बराबर पुर्तगाल का नागरिक मान रही है। अंतराष्ट्रीय रेड क्रास के जरिये उन्हें मुक्त कराने की कोशिशें की जा रही हैं। श्री रानडे के मुकदमे में हमने मैक्सिको-स्थित अपने राजदूतावास के ज़रिये एक पुर्तगाली वकील नियुक्त किया है कि वह उनके मुकदमें की पैरवी करे।

बहरहाल, उन्हें मुक्त कराने की हमारी कोशिशें कामयाब नहीं हुई हैं और अब हम तीसरे देश और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रास के ज़रिये उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक, हमारी कोशिशों का नतीजा नहीं निकला है।

Area Figures sent to U. N. O.

5697-A. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the figures of the area of the country are sent by Government to the United Nations Organisation at times;

(b) whether the figures have changed a number of times since 1947;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the reasons for these changes?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, from 1961 onwards the Central Statistical Organisation has been supplying area figures to the U. N. Statistical Office for the U. N. Demographic Year Book.

(b) Yes, there have been some variations.

(c) & (d). A statement is enclosed.

Figures of area of India as supplied by the Central Statistical Organisation to the U.N. Statistical Office for the various issues of the U.N. Demographic Year Book

Year	Area (Sq. Km.)
1961	2949275
1962	3276395
1963	3276140
1964	3276140
1965	3276443

NOTES.—1 Figures for 1961 excluded areas in respect of which the 1961 Census figures of population were not available at the time of reporting.

2. Figures for 1962 and onwards were on the basis of complete coverage. The marginal variations in these figures are explained by Surveyor General as due to new maps on larger scales compiled every year.

दिल्ली में दो परिचारिकाओं (नर्सों) का अपहरण

5697. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि 2 मई, 1966 को अथवा उसके आसपास दिल्ली में दो परिचारिकाओं (नर्सों) का अपहरण करने में एक सनिक स्टाफ कार का प्रयोग किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अपराधी अथवा अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) 2 मई 1966 को दो सैनिक नर्सों को जो माउ मार्ग पर भ्रमण कर रही थीं, एक स्टाफ कार ड्राईवर द्वारा कार में बठने की भेण्ट की गई थी । एम० एन० एस० अफसरों ने उसे दिल्ली छावनी में गोपीनाथ बाजार में उतार देने को कहा । तदपि ड्राईवर तेज़ गति से धौला कुआं की ओर कार भगा ले गया । दोनों महिला अफसरों में से एक रेलवे कालोनी के निकट गाड़ी से कूद गई । उसे एक असैनिक टैक्सी ड्राईवर द्वारा सैनिक अस्पताल में पहुंचाया गया था । दूसरी महिला अफसर राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के रेंजों के पास कूद गई थी । अवसुद्ध-दशा में उसे किसी ने वेलिंगडन अस्पताल में पहुंचा दिया था ।

(ग) स्टाफ कार ड्राईवर को सनिक अधिकारियों द्वारा क्लोज़ अरेस्ट में ले लिया गया है और समरी एविडेन्स ली जा रही है कि उसका कोर्ट मार्शल किया जाए ।

अविलंम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मद्रास में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : मैं पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"मद्रास में एक उर्वरक संयत्र की स्थापना ।"

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : मैं एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । [*पुस्तकालय में रखा गया । देखिये* **संख्या एल० टी० 6345/66।**]

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि अमरीकी कम्पनी द्वारा लाभ के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा बाहर भेजी जायेगी और यह राशि उर्वरक का आयात जो इसके परिणामस्वरूप बन्द की जायेगी, उसकी तुलना में कितनी होगी ?

श्री अलगेसन : यदि 20 प्रतिशत लाभ भी बाहर भेजा गया तो यह राशि डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि आयात बन्द होने के परिणामस्वरूप विदेशी-मुद्रा की जो बचत होगी यह राशि उसकी तुलना में कितनी होगी ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : May I know whether it is a fact that our Planning Minister does not agree to the terms of this deal ?

श्री अलगेसन : नहीं, श्रीमान् ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रबन्ध संचालक का पद अमरीकी कम्पनी को क्यों दिया गया है और किसी भारतीय राष्ट्रजन को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अलगेसन : यह कोई पहली बार ही ऐसा नहीं हुआ है। जिन उद्योगों के लिये हमें तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होती है और जिनमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा लगाये जाने की आवश्यकता रहती है वहां हम यह सुनिश्चित करने के लिये कि संयंत्र ठीक प्रकार स्थापित किया जाये तथा उत्पादन उचित प्रकार आरम्भ हो । यह प्रबन्ध करते हैं कि उसका प्रबन्ध-संचालक अमरीकी कम्पनी द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति हो । कोचीन तेल-शोधक कारखाने के बारे में भी यही प्रबन्ध किया गया है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It has been said in the Statement that the Managing Director of the Company would be the nominee of the American Company. There would be an Executive Committee headed by the Managing Director and all the decisions would be taken by the Executive Committee. May I know why a nominee of the American Company has been given the post of Managing Director and why the Executive Committee has been vested with large powers?

श्री अलगेसन : मैंने पुस्तकालय में इस समझौते की प्रतियां रख दी हैं और माननीय सदस्य उन्हें देख सकते हैं । इस बोर्ड का चेयरमैन सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा । केवल प्रबन्ध संचालक अमरीकी हिस्सेदारों द्वारा मनोनीत किया जायेगा । एक कार्य समिति होगी और वह एकमत हो कर लगभग सब निर्णय करेगी । जहां प्रबन्ध संचालक के निर्णायक मत द्वारा निर्णय किये जायेंगे, उन पर बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye : In practice, all the powers would vest in the American Managing Director.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : इस विवरण को पढ़ने से यह पता लगता है कि महत्वपूर्ण निर्णय तीन-चौथाई बहुमत द्वारा लिये जायेंगे। इस बोर्ड में भारत सरकार का तीन-चौथाई बहुमत नहीं है । इसमें अंशों का अनुपात 50 : 50 है और चेयरमैन को, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा, एक निर्णायक मत दिया गया है । यदि कोई गतिरोध पैदा हो जाता है तो हमें तीन-चौथाई बहुमत नहीं मिल सकता । मैं जान सकती हूं कि अमरीकी अंशधारियों को जो यह भारी शक्तियां दी गई हैं क्या सरकार उन्हें उचित समझती है ? अमरीकी कम्पनी के प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि वे सभी निर्णयों में बाधा डाल सकते हैं । क्या मैं जान सकती हूं कि भविष्य में भी करार इसी करार के आधार पर होंगे ?

श्री अलगेसन : वास्तव में मैं अपने विवरण के अन्तिम वाक्य की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाता हूं जिसमें यह कहा गया है कि मैं सभा को आश्वासन दिला दूं कि भविष्य में हम इसमें सुधार क गे और देश को और भी लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : माननीय मंत्री किस प्रकार के सुधार करेंगे ?

श्री अलगेसन : इस समय मैं हाल्दिया परियोजना के बारे में सोच रहा हूं जहां हम तेल शोधक कारखाना और उर्वरक संयंत्र स्थापित कर रहे हैं और वहां हम निश्चय ही इस करार पर सुधार करेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्री इस करार को एक अच्छा करार समझते हैं ?

सभापति महोदय : मंत्री महोदय यह कहते हैं कि वह इसमें सुधार करेंगे ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटड, रांची का 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० 6346/66।]

रेडियो तथा टेलीविजन पर प्रसारण तथा सूचना के माध्यम सम्बंधी समिति का प्रतिवेदन

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): मैं रेडियो तथा टेलीविजन पर प्रसारण तथा सूचना के माध्यम सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6347/66।]

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाला विवरण

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं तीसरी लोक-सभा के विभिन्न अधिवेशनों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाले निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक)	अनुपूरक विवरण संख्या 2 . .	चौदहवां अधिवेशन	1966
(दो)	अनुपूरक विवरण संख्या 4 . .	तेरहवां अधिवेशन	1965
(तीन)	अनुपूरक विवरण संख्या 7 . .	बारहवां अधिवेशन	1965
(चार)	अनुपूरक विवरण संख्या 11 . .	ग्यारहवां अधिवेशन	1965
(पांच)	अनुपूरक विवरण संख्या 14 . .	दसवां अधिवेशन	1964
(छः)	अनुपूरक विवरण संख्या 19 . .	छठा अधिवेशन	1963

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT (Query)

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker, I have an adjournment motion regarding India.

Mr. Speaker : I have disallowed that.

Dr. Ram Manohar Lohia : I rise on a point of order.

Mr. Speaker : Whatever the hon. Member wants to say, he should write to me, I will examine that.

Dr. Ram Manohar Lohia : I would like to submit that Shri Nanda said here day before yesterday that he has no concern with the area of India that has been shown in the books published by U.N.O. I raised this point here as soon as I came to know about it.

Mr. Speaker : We have to go by the Rules. We cannot take up any business in this manner.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, I have written two times regarding the question of privilege.

Mr. Speaker : The Hon. Member cannot raise any matter in this manner.

Shri Bagri (Hissar) : I had also given notice of an adjournment Motion about the total area of India. I have not been informed about its receipt. Secondly, I think my adjournment motion is in order and should be taken up.

Mr. Speaker : Should every member take his in order, even if I do not consider it in order.

Shri Bagri : I want to submit .

Mr. Speaker : The hon. Member is obstructing the proceedings of the House.

Shri Bagri : If we cannot talk about the boundary of India, then what is this Lok Sabha meant for ?

Shri Tyagi (Dehradun) : I would like to inform you that the Home Minister had promised that he would make a separate statement, as the question was about the boundary. I think we may listen to his reply first.

Mr. Speaker : The question is whether the adjournment motion should be taken up or not.

Dr. Ram Manohar Lohia : The session is for one day only.

Shri Tyagi : Let us, in the first instance, listen to the statement of the Home Minister.

Mr. Speaker : It would be difficult for me to conduct the proceedings, if all the Members get up and speak all at once.

सभा पटल पर रखे गये पत्र जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं आपका ध्यान सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के उस प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं जो 3 मई को सभा में प्रस्तुत किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : अब आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते।

श्री हरि विष्णु कामत : इसका सम्बन्ध उससे है जो आज सभा-पटल पर रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह आज सभा-पटल पर रखा गया है, परन्तु अब इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता जो आज सभा-पटल पर रखा गया है। परन्तु मैं आपका ध्यान उसकी ओर दिलाना चाहता हूं जो 3 मई को सभा-पटल पर रखा गया था।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति ने कुछ चिंताजनक बातें बताई हैं और मेरे विचार में एक संकट पैदा होने वाला है। संसद् की दोनों सभाओं में संविधान सम्बन्धी संघर्ष उत्पन्न होने की आशंका है, और यदि आपने और इस सभा ने हस्तक्षेप न किया तो संसद् की शक्तियां कम हो सकती हैं। मैं आपका ध्यान श्री सिद्धनंजप्पा के प्रतिनिधित्व में समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। यह मामला सरकार और संसद के सम्बन्धों के बारे में है। समिति ने कहा है कि दूसरी और तीसरी लोक-सभा से सम्बन्धित आश्वासनों के क्रियान्वयन सम्बन्धी आंकड़ों से पता चलता है कि 24.8 प्रतिशत आश्वासन पहले दो महीनों में क्रियान्वित किये गये, 43.9 प्रतिशत 2 से 6 महीनों में, 20.3 प्रतिशत 6 महीने से एक वर्ष मे, 6.6 प्रतिशत 1 वर्ष से $1\frac{1}{2}$ वर्ष में और बाकी 4.4 प्रतिशत $1\frac{1}{2}$ वर्ष से अधिक समय में। समिति ने केवल कहा कि $1\frac{1}{2}$ वर्ष से अधिक में और यह नहीं बताया कि क्या यह समय 2 वर्ष है अथवा 3 वर्ष।

समिति ने यह भी कहा है कि संसद कार्य मंत्री ने यह आपत्ति की है कि समिति लम्बित आश्वासनों की क्रियान्विति की प्रगति के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को सीधे लिखे। अब लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 270 के अन्तर्गत

"समिति को व्यक्तियों को बुलाने तथा पत्रों और अभिलेखों को मंगाने की शक्ति होगी।"

परन्तु संसद्-कार्य मंत्री ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों को लिखा है कि वे लोक-सभा सचिवालय को सीधे जानकारी न दें। समिति ने उस पत्र की मांग की है जो संसद्-कार्य मंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों को लिखा है। संसदीय समिति को बिल्कुल नपुंसक बना दिया गया है। समिति ने आगे कहा है कि जो पत्र उन्होंसे 11 मार्च को मांगा गया था वह उन्हें 3 मई तक नहीं मिला है।

क्या कार्यकारिणी ने आपके द्वारा बनाई गई समिति को बिल्कुल निष्क्रिय नहीं कर दिया है ? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि इस सभा के अधिकार और शक्तियां कायम रहे और सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति वैसे ही कार्य करे जैसा कि आप निदेश दें। संसद कार्य मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री सत्य नारायण सिंह : यह तो इकतरफा बात हुई। मेरी प्रार्थना है कि मेरे और आपके बीच जो पत्राचार हुआ और मेरे विभाग के बीच जो पत्राचार हुआ उसे भी सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए और फिर सभा इस पर निर्णय करे; और इसके पश्चात् हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमें दूसरे पक्ष की भी बात सुननी चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यदि माननीय ने सभी कागजात सभा-पटल पर रखे तो हम अवश्य उनका अध्ययन करेंगे। परन्तु यह बहुत अपमानजनक है कि सभा में आश्वासन दिये जाते, परन्तु उचित समय में कार्यान्वित नहीं किये जाते और फिर सरकार को सभा को बताना चाहिये कि क्यों नहीं कार्यान्वित किया गया। इसी लिये हमने एक समिति बनाई है जो इस बात की जांच करें।

अध्यक्ष महोदय : समिति अथवा किसी और के प्रति अनादर दिखाने का कोई आशय नहीं था। माननीय मंत्री ने केवल यह कहा था कि चूंकि वह पहले ही पत्राचार कर रहे हैं अत: सभी पत्राचार उनकी जानकारी में होना चाहिए।

श्री सत्य नारायण सिंह : यदि श्री कामत आपके कक्ष में आयें तो मैं भी वहां आ जाऊंगा और हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 और कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (1) मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 12 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 348 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 12 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 349 में प्रकाशित हुई थी।

[श्री शाहनवाज़ खां]

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 12 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 350 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) कर्मचारी भविष्य निधि (पाचवां संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 12 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 351 में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 12 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 352 में प्रकाशित हुई थी।

(छ:) कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 19 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 412 में प्रकाशित हुई थी।

(सात) कर्मचारी भविष्य निधि (आठवां संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 19 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 413 में प्रकाशित हुई थी।

(2) मैं कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (पहला संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 490 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (पहला संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 491 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कोयला खान भविष्य निधि (पहला संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 492 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) कोयला खान बोनस (पहला संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 9 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 517 में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान बोनस (पहला संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 9 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 518 मे प्रकाशित हुई थी।

(छ:) राजस्थान कोयला खान बोनस (पहला संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 9 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 519 में प्रकाशित हुई थी।

(सात) आसाम कोयला खान बोनस (पहला संशोधन) योजना, 1966 जो दिनांक 9 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 520 में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० 6354 और 6355/66।]

नियम समिति
RULES COMMITTEE

कार्यवाही सारांश

श्री कृष्णामूर्ति राव (शिमोगा) : मैं नियम समिति की 26 अप्रैल और 11 मई, 1666 को हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

साक्ष्य का सारांश

श्री द्वारका दास मंत्री (भीर) : मैं प्राक्कलन समिति की प्रतिरक्षा सम्बन्धी उप-समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के विवरण तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय (प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन) प्रतिरक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला, इलेक्ट्रानिक्स तथा राडार विकास संस्थापन और प्रतिरक्षा इलेक्ट्रानिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, सम्बन्धी 94वें और 95वें प्रतिवेदनों के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

कार्यवाही सारांश

MINUTES

श्री खाडीलकर (खेड) : मैं चालू अधिवेशन के दौरान हुई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 16वीं और 17 वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं।

राज्य-सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJY SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है ––

"राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसार मुझे केरल विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1966 को, जो कि लोक सभा द्वारा 11 मई, 1966 को पास किया गया था और राज्य सभा को सिफारिशों के लिये भेजा गया था, लौटाने और यह बताने का निर्देश मिला है कि इस सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति
LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने 17वें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में दी गई अवधियों के लिये अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :—

1. श्री कोल्ला वेंकैया
2. श्री अ० क० गोपालन

[अध्यक्ष महोदय]

3. श्री दशरथ देब
4. श्री गयासुद्दीन अहमद
5. श्री बीरेन दत्त
6. श्री लक्ष्मी दास
7. श्री आनन्द नम्बियार
8. सैयद बदरुद्दजा
6. श्री मांडला नारायण स्वामी
10. डा० बी० एन० सिंह
11. श्री उमा नाथ
12. श्री ए० जयरमन
13. महाराणी विजया राजे सिंधिया (ग्वालियर)
14. राजा पूर्णचन्द्र देबभंज
15. श्री अब्दुल वहीद
16. श्री विजय भूषण सिंह देव

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या इसे कल तक रोका जा सकता है जब तक कि हम मद 9 में उल्लिखित दस्तावेज को देख लें ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं ने वह देखा है। श्री दशरथ देब और श्री बीरेन दत्त को 59 दिन के लिये अनुमति दी गई है । मेरा यह अनुरोध है कि इस पर सहमत होने से पहले सभा गृह-कार्य मंत्री पर इस बात के लिये जोर दे कि ये दोनों सदस्य रिहा कर दिये जायें, क्योंकि गृह-कार्य मंत्री ने राज्य सभा में कहा था कि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अंतर्गत निरुद्ध सभी सदस्यों को रिहा कर दिया जायेगा ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : इस प्रकार 59 दिन की अनुमति देने की यह प्रथा पिछले 16 महीनों से चली आ रही है। मुझे भी इसी प्रकार अनुमति दी गई थी। मेरा सभा से निवेदन है कि वह इन दोनों सदस्यों की रिहाई के लिये जोर दे ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमन्, उस दिन जब आप तार पढ़ कर सुना रहे थे तब भी हमने यह प्रश्न उठाना चाहा था। ये सदस्य विवशता में अनुपस्थिति की अनुमति ले रहे हैं, बीमारी आदि के कारण नहीं। इस समय इस सभा के केवल ये ही दो सदस्य विरुद्ध हैं। मुझे सूचना मिली है कि त्रिपुरा सरकार आम चुनावों तक उन्हें नहीं छोड़ना चाहती। गृह कार्य मंत्री उनकी रिहाई के बारे में कल एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : समिति केवल यह सिफारिश करती है कि अनुमति दी जाये या न दी जाये, अनुमति देना या न देना सभा का काम है। इसके अतिरिक्त और मामले इस समय नहीं उठाये जाने चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आप इसे कल तक के लिये नहीं रोक सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब सभी संसद सदस्य रिहा कर दिये गये है तो इन दोनों को क्यों रिहा नहीं किया जा रहा ।

अध्यक्ष महोदय : इन बातों पर सभा का समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिये। म समझता हूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहम्त है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

सदस्यों को तदनुसार सुचना दे दी गई।

विशेषाधिकार समिति

COMMITEE ON PRIVILEGES

सातवा प्रतिवेदन

श्री स० वा० कृष्णमूर्ति राव : मैं विशेषाधिकार समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैंने नियम 377 के अधीन सूचना दी थी . . .

अध्यक्ष महोदय : जब उस पर चर्चा होगी तो आपको अवसर दिया जायेगा।

श्री कपूर सिंह : पिछले एक अवसर पर मुझे वक्तव्य देने की अनुमति दी गई थी। कुछ बातें इस प्रतिवेदन में नहीं दी गई हैं और मैं सभा को बताना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया था। इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर आपत्ति करने के अन्य तरीके हैं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री उड़ीसा के अपने दौरे के बारे में 3 बजे मध्यान्ह पश्चात एक वक्तव्य देंगी।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : कुछ ऐसी असम्भाविक बातें हो जाती हैं जिनके कारण कार्य सूची के अनुसार कार्य नहीं चल पाता। मेरा सुझाव है कि पहले संविधान (संशोधन) विधेयक को ले लिया जाय क्योंकि उस पर एक विशिष्ट रूप के म्तदान की आवश्यकता होती है जिसके लिये हमने तो सभी सदस्यों को सूचित कर दिया था और कदाचित विरोधी दलों ने भी कर दिया होगा। दो घंटे में इसकी चर्चा समाप्त होने पर हम दिल्ली प्रशासन विधेयक को ले सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मुझे आशा है कि श्री अशोक मेहता को आज वक्तव्य देने का अवसर दिया जायेगा, आज नहीं तो कल अवश्य।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to know when Mr. Nanda would make the statement ?

Mr. Speaker : Tomorrow.

नागाओं की ब्रर्मा में घुसपैंठ के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 94 के उत्तर में शुद्धी

CORRECTING ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 94 RE : NAGAS INFILTRATIONS INTO BURMAH

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्र० म० थामस) : 21 फरवरी, 1966 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 94 के उत्तर में यह बताया गया था कि अनुमानत: 1000 से 1500 नागा विद्रोहियों का एक गिरोह 29 दिसम्बर, 1965 को बर्मा राज्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। तथ्य यह है कि उस गिरोह ने 29 नवम्बर, 1965 को बर्मा राज्य-क्षेत्र में प्रवेश किया था।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जो तारीख पहले बताई गई थी और जो अब बताई गई है उसमें एक महीने का अन्तर है। क्या मूल उत्तर में दी गई जानकारी वास्तव में गलत मिली थी अथवा अब ही उसे ठीक किया जा रहा है ?

श्री म० म० थामस : मूल उत्तर देते समय भी हमारी यही जानकारी थी कि वह गिरोह 29 नवम्बर, 1965 को गया था, परन्तु टाइप की गलती के कारण ऐसा हुआ।

भुसावल डाउन गुडस यार्ड मै हुए विस्फोट के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : EXPLSION IN BHUSAWAL DOWN GOODS YARDS

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम सुभग सिह) : 6 मई, 1966 को माननीय सदस्य श्री अ० प्र० शर्मा द्वारा कही गई कल से कि पठानकोट से भुसावल तक गाड़ी पहूंचने में 11 दिन लगे, उत्पन्न कुछ प्रश्नों का स्पष्टीकरण करने के लिये में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6358/66/]

केरल साहूकार नियम, 1964 को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : DELAY IN PLACING THE KERALA MONEYLENDERS RULES, 1964 ON THE TABLE

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : श्री हरि विष्णु कामत ने केरल साहूकार नियम, 1964 को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब का कारण जानना चाहा था। ये नियम 31 मार्च, 1964 को अधिसूचित किये गये थे और राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने थे। विधान मण्डल के सत्र में राज्य सरकार उन्हें पटल पर नहीं रख सकी। इसके ठीक ठीक कारण केन्द्रीय सरकार को ज्ञात नहीं है। अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष से अधिक समय के पश्चात् मई, 1965 में राज्य सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार से पत्र की प्राप्ति के पश्चात् बीत गये समय को और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इससे सम्बन्धित अन्य प्रस्ताव, केरल की चिट फंडों के बारे में विधान बनाने के लिये, विचाराधीन थे (जब कि इस बात को स्पष्ट करने का प्रश्न भी विचाराधीन था कि साहूकार सम्बन्धी अधिनियम तथा नियम वित्तीय संस्थाओं पर लागू न किये जायें), इन नियमों की जांच की जानी थी जिससे कि उनमें यदि कोई रूपभेद किया जाना हो तो वह उन्हें सभा-पटल पर रखने से पूर्व किया जा सके। अन्ततः कोई रूपभेद आवश्यक अथवा उचित नहीं समझे गये और नियम अधिसूचित रूप में सभा-पटल पर रख दिये गये।

श्री हरि विष्णु कामत : इससे यह मालूम होता है कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का कार्य कितनी अक्षमता से हो रहा है। केरल में राष्ट्रपति के शासन के लागू किये जाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार केरल के प्रशासन के लिये जिम्मेदार है तो क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं था कि वह इस बात का पता करती कि मार्च में अधिसूचित किये जाने के पश्चात् ये नियम सितम्बर, 1964 तक, जब कि सरकार ने त्यागपत्र दिया था, सभा-पटल पर क्यों नहीं रखे गये ? मंत्री महोदय कहते हैं कि इसके कारण उन्हें ज्ञात नहीं तो क्या सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती ?

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि सभा के समक्ष जो कार्य इकट्ठा होता जा रहा है उसे दृष्टिगत रखते हुए आप प्रक्रिया नियमों के नियम 15 के अन्तर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करें।

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर सभा निर्णय कर चुकी है।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा यदि कार्य समाप्त करना चाहे तो अपना निर्णय बदल सकती है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस समय संविधान (संशोधन) विधेयक लिया जायेगा जिसके लिये दो घंटे का समय नियत किया गया है तो इसका अर्थ होगा कि बीच में 3 बजे मध्यान्ह पश्चात प्रधान मंत्री अपना वक्तव्य देंगी और फिर इसके बाद इस विधेयक को एक घंटे के लिये और लिया जायेगा अर्थात् 4 बजे म० प० तक, फिर हम दिल्ली प्रशासन विधेयक को लेंगे तो फिर व्यापारिक नौवहन विधेयक कब लिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : उसे कल लिया जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इसका मतलब यह है कि नियम 193 के अधीन चर्चा नहीं ली जायेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि यह चर्चा कल 3 बजे या 4 बजे मध्यान्ह पश्चात ली जाये ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : अन्यथा यह रह जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह हम देखेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, मंत्री लोग चले गये है, यह बुरी बात है । मैंने पूछा था कि क्या सरकार उस मामले में कुछ नहीं कर सकती, अब उसका उत्तर कौन देगा ?

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय ने पूछा था कि विलम्ब क्यों हुआ । मंत्री महोदय अवश्य इसका पता करेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु उन्हें यह कहना तो चाहिये था । वह आपकी अनुमति के बिना ही चले गये हैं ।

संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (NINETEENTH AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : श्रीमन्, श्री गुलजारी लाल नन्दा की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य के एक प्रदेश को अलग कर के अथवा दो या अधिक राज्यों या उनके भागों को मिलाकर अथवा किसीप्रदेश को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर कोई नया राज्य बनाया जा सकता है, किसी राज्य का क्षत्र बढ़ाया या घटाया जा सकता है, किसी राज्य की सीमाओं को बदला जा सकता है और किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है। इस अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द "राज्य" का शायद भाग 'क' राज्यों, भाग 'ख' राज्यों और भाग 'ग' राज्यों से है । हिमाचल प्रदेश, कच्छ, दिल्ली आदि का वर्गीकरण भाग 'ग' राज्यों के रूप में किया गया था । उसके पश्चात हमारे संविधान में संघ राज्य क्षेत्रों की बात लाई गई । परन्तु अनुच्छेद 3 का संशोधन नहीं किया गया जिससे कि "राज्य" में "संघ राज्य-क्षेत्र" भी सम्मिलित हो सकें। अब कठिनाई यह है कि यदि किसी राज्य का कोई भाग संघ राज्य-क्षेत्र में मिलाया जाये, जैसे कि पंजाब का कोई भाग हिमाचल प्रदेश में; तो कदाच्ति अनुच्छेद 3 लागू नहीं हो पायेगा क्योंकि उसमें "राज्य" का उपबन्ध है 'संघ राज्य क्षेत्र' का नहीं अतएव, अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत दो व्यवस्था रखने का विचार है ।

श्री त्यागी (देहरादून) : इस अनुच्छेद के अन्तर्गत किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है । अब राज्य तो वही है केवल नाम बदल दिया गया है । भाग 'ग' राज्य का नाम 'संघ राज्य क्षेत्र' हो गया है ।

श्री हाथी : हम ऐसा कह तो सकते हैं परन्तु यह व्याख्या बात को पूर्णत: स्पष्ट करने के लिये रखी जा रही है। व्याख्यायें, इस प्रकार हैं :—

"**व्याख्या** 1—इस अनुच्छेद में खंड (क) से (ङ) में, "राज्य" में संघ राज्य क्षत्र सम्मिलित है . . . ."।

"**व्याख्या** 2—खंड (क) द्वारा संसद को प्रदत्त अधिकार में किसी राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र के किसी भाग को किसी दूसरे राज्य या संघ राज्य-क्षत्र के साथ मिलाकर कोई नया राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र बनाने का अधिकार सम्मिलित है।"

यह एक साधारण विधेयक है जिस पर मुझ अधिक कुछ नहीं कहना है। मैं इस पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

"कि संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

विधेयक पर जब खंडवार चर्चा होगी उस समय संशोधन किये जायेंग। क्योंकि कोई सदस्य बोलना नहीं चाहता अत: मैं इसे सभा के समक्ष रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं विधेयक की प्रति लेने गई थी। संसद कार्य मंत्री भी इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं जिन्होंने कि स्वयं परिवर्तन का प्रस्ताव किया था।

श्री नम्बियार : यह महत्वपूर्ण विधान है, हमें पूर्व सूचना दी जानी चाहिये थी।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ/The Lok Sabha Divided

पक्ष में 170, विपक्ष में 2

अध्यक्ष महोदय : सभा में कुछ सदस्यों के बहुमत ने प्रस्ताव के पक्ष में मत नही दिया है। अत: प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री नम्बियार : मेरा निवेदन यह है कि कार्यवलि में परिवर्तन के कारण सारी बात बड़ी गड़बड़ी में पड़ गई है। पंजाबी सूबे के निर्माण में विलम्ब हुआ है क्योंकि सरकार ने जान बुझकर कार्यावलि में परिवर्तन किया है। इस प्रकार की कार्यवाही से सारे देश के लोग निराश होंगे। मैं इस प्रकार से कार्य करने का कड़ा विरोध करता हूं। ऐसे गंभीर मामले का भी उच्चित तारतम्य नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति।

दिल्ली प्रशासन विधेयक—जारी

DELHI ADMINISTRATION BILL—(*Contd.*)

श्री हाथी : यह विधेयक 18 नवम्बर, 1965 को लोक सभा में पेश किया गया था और तदुपरान्त वह दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंप दिया गया था। संयुक्त समिति का प्रतिवेदन मई, 1966 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। समिति ने सरकारी निकायों और व्यक्तियों से ज्ञापन आमंत्रित किये थे और सरकारी निकायों, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं व्यक्तियों के साक्ष्य भी लिये थे। विधेयक के क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा की गई थी और बहुत से सुधार भी किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कुछ देर अपना भाषण बन्द करें। सभा में बहुत शोर हो रहा है।

श्री दी० चं० शर्मा : (गुरदासपुर) : सारी सभा में उत्तेजना है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यह दूसरी बार है जब सरकार ने यह गलती की है।

श्री वासुदेवन नायर : सरकार यह बताये कि यह सब कैसे हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री अपना भाषण जारी कर सकते हैं।

श्री हाथी : मैं दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे का पूर्व इतिहास बता कर सभा का समय नहीं लेना चाहता। इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय गृह-कार्य मंत्री ने दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के लिये यह विधान लाने के कारण यहां विस्तारपूर्वक बताये थे।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

यह भी बताया गया था कि दिल्ली में अधिक संख्या में दूतावास होने के कारण यह वांछनीय नहीं है कि इस राजधानी में दो तरह की सरकारें हों। इस समय में उसी सीमा तक अपने विचार रखूंगा जहां तक कि इस विधेयक का संयुक्त समिति द्वारा लौटाये जाने से सम्बन्ध है। मूल विधेयक में 37 खण्ड थे।

मूल विधेयक में कुल 37 खंड थे। उनमें से 11 खंडों में संशोधन किया गया है तथा दो खंडों को जोड़ दिया गया है। नये विधेयक में 38 खंड हैं।

खंड 3 में प्रथम संशोधन किया गया है। इससे प्रस्तावित महानगरीय परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 42 से बढ़ा कर 49 कर दी गई है। इसका महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है कि महानगरीय परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रों के परिनियत के प्रयोजन के लिये दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्यों को चुनाव आयोग के साथ सम्बन्ध करने का उपबन्ध किया गया है।

परिषद का उप-सभापति रखने के लिये खंड 12 में संशोधन किया गया है। आरम्भ में केवल एक सभापति का ही चुनाव किये जाने की व्यवस्था थी। सभापति पर लागू होने वाले सभी उपबन्ध उप-सभापति पर भी लागू किर दिये गये हैं।

नये खंड 15 में विशेषरूप से यह उपबन्ध रखा गया है कि कार्यकारिणी परिषद् के प्रत्येक सदस्य को महानगरीय परिषद् अथवा उसकी किसी समिति की कार्यवाहियों में बोलने अथवा अन्य किसी प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा।

संशोधित खंड 20 (पुराना खंड 19) में उन व्यक्तियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में उपबन्ध है जिनको महानगरीय परिषद् तथा इसकी किसी समिति में बोलने अथवा अन्य किसी रूप से भाग लेने का अधिकार है।

खंड 24 जो महानगरीय परिषद् के कार्य में प्रयोग होने वाली भाषायों के सम्बन्ध में था अब हटा दिया गया है। यह विचार किया गया है कि इस बात का निर्णय स्वयं महानगरीय परिषद् करे कि उसे कौन सी भाषा का प्रयोग करना है।

यह उपबन्ध करने के लिये कि प्रशासक महानगरीय परिषद् के सभापति से परामर्श नियम बनायेगा (मूल खंड 23) में संशोधन किया गया है। जहांतक विभिन्न सदस्यों द्वारा की गई मांगों का सम्बन्ध है खंड 27 में एक संशोधन किया गया है कि कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों में से एक का पदनाम मुख्य कार्यकारी पार्षद तथा अन्य सदस्यों का पदनाम कार्यकारी पार्षद रखा जाना चाहिये।

6—77 Lok Sabha/66

[श्री हाथी]

खंड 32 में संशोधन द्वारा अन्तःकालीन महानगरीय परिषद् तथा दिल्ली नगर निगम का एक साथ सदस्य रहने पर जो रुकावट थी उसको दूर कर दिया गया है। इससे उपचुनाव नहीं हो सकेंगे।

एक नया खंड 36 विधेयक में जोड़ दिया गया है। इसके लागू होने से दिल्ली परामर्शदात्री समिति समाप्त हो जायेगी। इसलिये दिल्ली विकास प्राधिकार में दिल्ली परामर्शदात्री समिति का प्रतिनिधित्व नये खंड के अन्तर्गत महानगरीय परिषद् के सदस्यों में निहित कर दिया गया है।

संयुक्त समिति चाहती है कि राष्ट्रपति के प्रत्येक आदेश को दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाना चाहिये और दोनों सभायें जो संशोधन करना चाहें वे इन में किये जा सकें। ऐसा प्रबन्ध भी इसमें कर दिया गया है।

हमने वित्तीय शक्तियां देने के प्रश्न पर जितना विचार किया जा सकता था, वह किया है। विशेषज्ञों से भी परामर्श किया जा सकता है। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि संविधान में संशोधन किये बिना महानगरीय परिषद् को वित्तीय शक्तियां देना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार कार्यपालिका परिषद् को सामूहिक रूप से महानगरीय परिषद् के प्रति उत्तरदायी बनाना सम्भव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन तथा तत्संबद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जनसंख्या तथा महत्व की दृष्टि से दिल्ली वास्तव में सब से बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। यदि हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा में कुछ निर्वाचित विधान मण्डल हो सकते हैं तो दिल्ली राज्य में पूर्णतः प्रतिनिधित्व प्राप्त विधान मण्डल न होने का कोई कारण नहीं है। वास्तव में मैं नहीं समझ सकी कि दिल्ली से निर्वाचित कुछ सदस्य तथा श्रीमती सुभद्रा जोशी इस का क्यों विरोध कर रही हैं।

दिल्ली में कई संगठन हैं जो आवश्यकरूप से सार्वजनिक कल्याण सम्बन्धी कार्य करते हैं और जो राज्य के सामान्य जीवन सम्बन्धी काम में लगे हुए हैं। इसका कोई कारण नहीं है कि सरकार दिल्ली की जनता को क्यों एक विधान मण्डल नहीं दे सकती। मैं प्रवर समिति की सदस्य नहीं हूं परन्तु मुझे यह कहने का अधिकार है कि दिल्ली की जनता को उनके द्वारा निर्वाचित विधान मण्डल दिया जाना चाहिये और कि इस विधेयक को पूर्णतया हटा दिया जाना चाहिये।

महानगरीय परिषद् एक सलाहकार निकाय के अलावा और कुछ नहीं है। अतः सारा कार्यकारी प्राधिकार कार्यकारिणी परिषद् को दिया जा रहा है, और कार्यकारिणी परिषद् को फिर से एक नाम-निर्देशित निकाय बनाया जा रहा है। इससे स्थापित होने वाली महानगरीय परिषद् तथा कार्यकारिणी परिषद् अलोकतन्त्रात्मक होने का पता चलता है। इतना ही नहीं बल्कि बहुत से मामलों में केवल प्रशासक का ही शासन होगा। कार्यकारिणी परिषद और महानगरीय परिषद्, दोनों में ही उसका प्रभुत्व रहेगा। यदि हम वास्तव में महानगरीय परिषद् को कुछ लोकतन्त्रात्मक अधिकार देना चाहते हैं तो यह उपबन्ध होना चाहिये कि महानगरीय परिषद् की मंत्रणा लेनी होगी और यह कि मंत्रणा, कार्यकारिणी परिषद् को अथवा केन्द्रीय सरकार को अथवा राष्ट्रपति को जैसा भी मामला हो, भेजी जायेगी। महानगरीय परिषद् की सिफारिशों को अनिवार्य समझा जाना चाहिये।

कार्यकारी परिषद तथा प्रशासक को अपने कार्यों के लिये महानगरीय परिषद् के सम्मुख उत्तरदायी होना चाहिये। यदि किसी सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत में महानगरीय परिषद् अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देती है तो उसको सदस्यता से हटा देना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सारी चीज ही बेकार होगी। कम से कम यह व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये अन्यथा हम दिल्ली का समस्त प्रशासन नौकरशाही को सौंप रहे हैं।

परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 56 कर दी जानी चाहिये। महानगरीय परिषद को एक सक्रिया निकाय होना चाहिये और प्रत्येक खंड में इसको ऐसी शक्तियां तथा प्राधिकार दिये जाने चाहिये जिससे यह नगर तथा इसके जीवन तथा कल्याण में सक्रिया रूप से कार्य कर सके। इसलिये महानगरीय परिषद् की बैठक तीन महीनों में कम से कम एक बार होनी चाहिये। परिषद् की अध्यक्षता में जब कभी स्थान रिक्त हो तो स्थान रिक्त होने की तिथि से एक महीने के अन्दर अन्दर इस स्थान की पूर्ति कर ली जानी चाहिये।

Shri Brahm Prakash (Outer Delhi): The public of the Delhi consider the present Bill as useless. It has not done justice to the 30 lakh people of Delhi.

It is not proper to say that there cannot be two capitals and a city. In fact there are number of cities in Western and Communist Countries where capitals of Central Government and state administration co-existed. If the Central Government desires to have a separate capital they can have New Delhi as their capital which might not be given democratic rights.

During the last elections we promised to the people of Delhi that we would secure for them a democratic set up as that was the only way of tackling their problems. Late Prime Minister, Shri Jawahar Lal Nehru had assured us that we will be providea with democratic set up, if not the Assembly then some other kind of aemocratic set up.

प्रधान मंत्री की उड़ीसा यात्रा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: PRIME MINISTER'S VISIT TO ORISSA

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : मैं उड़ीसा के सूखे और अभाव से अत्यधिक पीड़ित क्षेत्रों का दो दिन का दौरा करके कल दोपहर को लौटी। जाने से पहले मैंने, जसा की सोचा गया था, वहां पर अपना निवास एक दिन और बढ़वा दिया, जिस से कि मैं वहां की स्थिति का ठीक ठीक जाइजा ले सकूं। कालाहंडी, सम्बलपुर और बलांगीर इन तीन जिलों में, जो कि अब से अधिक पीरित है, मैं दस गाँवों को देखने गई जिन में से कुछ मेरे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं थे और बाद में अचानक ही मेरे दौरे के लिए अचानक चुने गये थे। मेरी प्रार्थना पर मेरे सहयोगी श्री जगन्नाथ राव और श्रीमती नन्दिनी शतपति, जो मेरे साथ गए थे, तीन और गांवों को देखने गए जहां जाने के लिए मुझे समय नहीं मिल सका। श्रीमती शतपति उन दो गांवों को देखने गई, जो मेरे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं थे।

सेनापल्ली, खरियार और पद्मपुर में बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण देने के अतिरिक्त जहां कहीं भी मैं गई वहां मुझे बहुत सारे ग्रामीणों, विशेष रूप से आदिवासियों और हरिजनों से मिलने और उनके घरों तथा बच्चों तथा कई जगह उनके पशुओं को भी देखने का मौका मिला। मैंने कई सहायता बांटने और मुफ्त खिलाने के केन्द्र (लंगर) बच्चों को खिलाने के स्कूलों में स्थित केन्द्र और वे जगहें देखीं जहां पर सहायता कार्य हो रहा था तथा और बीज बांटने के केन्द्र खुले हुए थे। मुझे इस क्षेत्र के माननीय संसद् सदस्य और विधान मंडल के कुछ सदस्यों, जिन में विरोधी पक्ष के भी कुछ सदस्य थे, स्थानीय अफसरों, पंचायत नेताओं, उस क्षेत्र में काम करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रति करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रति निधियों, विद्यार्थियों और नवयुवकों के प्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों से मिलने का अवसर मिला।

जाहिर है कि उड़ीसा के इन पीड़ित क्षेत्रों में हालत बड़ी कठिन थी और अब भी है, चूँकि यहां ऐसा सूखा पड़ा है जैसा कभी पहले नहीं पडा था और खाने पीने की चीजों की बड़ी कमी है और लोगों में क्रय शक्ति का सर्वथा अभाव है। परन्तु मुझे यह जान कर कुछ ढाढ़स मिला कि अब कुछ हालत कुछ सुधार गई है और शायद इसका कारण यह है कि राज्य सरकार ने बड जोरदार कदम उठाये हैं। परन्तु चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। इसके विपरीत सहायता के कार्यक्रम बड़ी कुशलता से चलाना होगा और जो कुछ भी हम भेज सकते हैं हमें भेजना चाहिये और हालत पर कड़ी निगाह रखनी चाहिये।

[श्रीमती इंदिरा गांधी]

इसके बावजूद की वहां बहुत गर्मी थी लोगों ने जिस स्नेह और कृपा से मेरा स्वागत किया उसके लिये मैं उनकी बहुत आभारी हूं। वर्तमान कठिनाइयों के बावजूद उनके हौसले और उच्च मनोबल को देख कर मुझे काफी खुशी हुई।

राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर सहायता के काम को काफी बढ़ा दिया है और इस सारे कार्य में तालमेल रखने और इसे चलाने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को विशेष सहायता कमिश्नर नियुक्त कर दिया है। हम ने जो आपस में चर्चा की उसके फलस्वरूप कई बातें तय हुई है जो मैं सभा की जानकारी के लिये बताना चाहती हूं। एक सहायता कार्यक्रम तैयार किया गया है जिस पर लगभग 9 करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है ; इसे तुरन्त कार्यान्वित किया जायेगा। उड़ीसा सरकार को कुछ समय पहले सहायता कार्य के लिये 1.35 करोड़ रु० की रकम भेजी जा चुकी है और 2 करोड़ रु० आज और भेजा जा रहा है जिससे कि आगे का खर्च चलाया जा सके। इस कार्यक्रम को पूरा करने में न तो प्रक्रिया की कठोरता और न ही औपचारिकता या संशोधनों की कमी को बाधक बनने दिया जायेगा और आगे की जरूरतों को भी इसी तरह पूरा किया जायेगा। बूढ़े अपंग और अयोग्य व्यक्तियों के लिए दान सहायता का क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है और राज्य सरकार 2,00,000 व्यक्तियों को इस प्रकार की सहायता गी। लंगरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अधिकाधिक लोगों को काम धन्धा देने लिये कुछ सड़कों के निर्माण का काम शुरू किया जा रहा है। 10,000 कुएं इस कार्यक्रम में शामिल किए जा रहे हैं इनमें से 3000 कुओं को तुरन्त पक्का कराया जायेगा और बाकी कुओं को वर्षा ऋतु के बाद पक्का कराया जाएगा। इसी प्रकार के अन्य निर्माण कार्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं। इन में ऐसे भी कार्यक्रम हैं जो वर्षा ऋतु के दौरान चलते रह सकते हैं। कुछ डाक्टरी दल भी वहां कार्य कर रहे हैं, अन्य डाक्टरी दल भो भेजे जायेंगे।

सूखा ग्रस्त लोगों की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि अगली खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में ठीक समय पर बीज दिये जाएं। जून के मध्य तक 4 लाख मन बीज का समाहार और संभरण करने का कार्य क्रम बनाया गया है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा। इसके साथ ही 3.5 करोड़ रुपये की तकावी की भी व्यवस्था की गई है। तकनीकी देने की मूल सीमा को उदार बनाया जा रहा है। ताकि प्रति परिवार प्रति एकड़ 100 रु० हिसाब से 800 रुपये तक तकावी दिया जा सके। मैंने राज्य सरकार और सहायता कार्य करने वाले अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे इस कार्यक्रम को ठीक समय पर कार्यान्वित करें और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वे निश्चित तारीख का ध्यान में रखेंगे ताकि वर्षा काल में आने जाने की कठिनाई से बाधा उपस्थित न हो।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने ग्रामों का दौरा किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अथवा उनके किसी साथी ने दमोदर ग्राम का भी दौरा किया है जहां 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। इस बात को राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया है। राज्य सरकार का कहना है कि उनकी मृत्यु भुखमरी से नहीं बल्कि उपोषण के कारण हुई है। क्या प्रधान मंत्री के लिये इन बातों की पुष्टि करना सम्भव होगा ?

मुझे खेद है कि प्रधान मंत्री मिल मालिकों से धान लेकर लोगों में वितरण करने के लिये राज्य सरकार पर जोर नहीं दे सकती हैं। उनका कहना है कि उनको बताया गया है कि धान की अधिक मांग नहीं है। मुझे नहीं मालूम उनको ऐसा किसने बताया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिंचाई की मुख्य परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ करने के लिये उन्होंने राज्य सरकार से बातचीत की है क्योंकि उस क्षेत्र की बड़ी लम्बी अवधि से उपेक्षा हो रही है।

Shri B. P. Maurya (Aligarh) : Keeping in view the famine conditions prevailing in the Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, May I know the provisions made by Government. In Orissa about 10 lakhs persons are dying of starvation. Out of them about two to three lakh are children. I want to know the provisions made for them also ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : उड़ीसा जैसे फालतू राज्य में भी अकाल किस प्रकार उत्पन्न हुई है और राज्य सरकार वहां पर अनाज सप्लाई न करने से किस प्रकार असफल रही है। भविष्य मे ऐसा न हो इसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : अभी पिछले दिन ही उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने वहां के अकाल की बंगाल के अकाल से तुलना की थी। क्या प्रधान मंत्री तथा उनकी सरकार ने स्थिति का गम्भीरता से अध्ययन किया है और बंगाल मे अकाल के समय जो कार्यवाही की गई थी वैसी कार्यवाही करने का विचार है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : क्या प्रधान मंत्री को अपने उड़ीसा के दौरे के दौरान विश्वास हो गया है कि वहां अकाल की स्थिति है। यदि हां, तो क्या वह उन क्षेत्रों को अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करेंगी ?

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : जो लोग कार्य करने के योग्य हैं, उन्हें काम दिलाया जाना चाहिए और जो लोग काम करने के योग्य नहीं हैं, उन्हें सहायता दी जानी चाहिये।

Shri Bade (Khargon) : The Government should provide more relief to the people of Bastar district in Madhya Pradesh.

Shri Bagri (Hissar) : Will the Prime Minister be pleased to state the number of children who are being given free food.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि उड़ीसा को सूखे तथा अकाल के प्रभाव से बचाने के लिए कौन से लम्बी अवधि तथा अल्प अवधि के उपाय किये गये हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : राज्य संहिता के अन्तर्गत अकाल की घोषणा करने की शर्तों के अनुसार यह अकाल नहीं है। फिर भी राज्य सरकार ने कई उदार उपाय किये हैं। इस कार्य में सभी की सहायता की आवश्यकता है।

मैंने सम्बलपुर में भुखमरी के कारण हुई मृत्युओं के समाचार की जांच की है। वास्तव में संख्या उससे बहुत कम है जितनी कि इस सभा में बताई जा रही है। कुछ मामलों में मृत्युएं हुई है परन्तु उनका भी कारण अधिक आयु तथा रोग आदि है। यह भी ठीक है कि वह निर्धन क्षेत्र है और वहां के लोगों को बहुत बड़े समय से कम खाने को मिलता है।

यह गलत है कि मेरे दौरे के समय पुलिस वहां थी और उसने दो मील के अन्दर अन्दर किसी को जाने नहीं दिया। बीज के वितरण के बाद बच्चों सम्बन्धी कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये। मैंने ग्रामों में बहुत से लोगों को पूछा है परन्तु किसी ने धान लेना अधिक अच्छा नहीं समझा। इसके बावजूद कुछ ग्रामों में धान उपलब्ध कराने के लिए सुझाव दिये गये हैं।

लम्बी अवधि के उपायों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अधिकांश आदिवासी ऐसे क्षेत्रों में रहते है जहां संचार की व्यवस्था ठीक नहीं है। पक्की सड़कें बनने से वहां की समस्या के हल होने में सहायता मिलेगी।

वहां कूप खोदे जा रहे हैं। मुख्य समस्यायें सिंचाई, संचार तथा बहुप्रयोजनीय खाद्यान्न की आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों को चलाने में बहुत सहायता मिलेगी।

दिल्ली प्रशासन विधेयक—जारी

DELHI ADMINISTRATION BILL—*Contd.*

Shri Braham Prabash (Outer Delhi): We did not insist upon an assembly for Delhi and we suggested a set up which is democratic and which should provide a unified administration. But the discussions in this regard were not pursued to their logical conclusion. The question of giving financial powers was not settled. It was said that these are matters of detail and we will hold talks in this connection.

[Shri Braham Prakash]

It is absolutely unjust to accuse us of giving any commitment. I strongly protest against such an accusation. We favour the postponement of the Bill and desire that financial powers should be given to the Metropolitan Council. Financial powers can be given under Article 245 and 246(4) of the constitution. There is no difficulty in that. The Constitution has been amended so many times and if necessary, constitution should be amended to give financial powers. The people of Delhi want a responsible body and not only an advisory body. They do not insist upon an assembly.

The Government is an under hurry to get the bill passed. The Constitution (Amendment) bill could nt be passed. The Secondary Education Bill has not been passed. The Government has given lower priority to other bills connected with Delhi. The attitude of the Home Ministry and one or two ministers is disgraceful with regard to the people of Delhi. The people of Delhi should have a right to decide their own affairs. Until that right is acceded, the people of Delhi will continue their struggle.

Shri Bade (Khargon) : This bill is only a toy to please the politicians of Delhi. It serves no purpose at all. It makes, a mockery of democracy. The former Chief Minister of Delhi has vehemently opposed this bill. Now perhaps be understand how the opposition feel, where their rights are violated.

The proposed Metropolitan Council is only an advisory or recommendatory body. It will be no more than a debating society. Its recommendations and suggestions may or may not be accepted by the Executive Council.

The President will nominate all the members of the Executive Council and they will not be responsible to the Metropolitan Council. The Government should at least provide that the Executive Council will be responsible to the Metropolitan Council, if it really wants to give more democratic rights to the people of Delhi. The Council should have been given financial and budgetory powers. The Constitution should be amended if it is necessary to do so far that purpose.

The committee has dropped section 24 relating to language and the matter of language was left to be decided by the Metropolitan Council. The Bill should have retained the provision regarding language and it should have provided that the business in the Metropolitan Council would be transacted only in Hindi.

The total number of seats in the Metropolitan Council should be 56 out of which 50 seats will be from the corporation and 6 to be elected.

I dont know how Shri Khanna supports the Bill when financial powers have not been given to the Metropolitan Council.

Shrimati Subbhadra Joshi (Balarmapur) : Shrimati Renu Chakravarty has said that she does not know why I am against an assembly for Delhi. It is not a fact. I am not opposed to the setting up of a Legislative Assembly for Delhi. No democrat will oppose that demand on principle and we would have been happy if the bill had provided for that. But we welcome the Bill in its present form because it is a step in the right direction. Our leaders have correctly under stood the position in Delhi and it is right that they have realised that the poeple of Delhi require more training under their supervision.

There was an Assembly for Delhi but that Assembly was taken away because of our own actions. We are again making a demand for the Assembly.

[श्री पें० वेंकटासुब्बया पीठासीन हुए ।
SHRI VENKATSUBBHAIA *in the Chair*]

In spite of the representatives of the people being members of the Delhi Development Authority, the rules have been violated and cinema houses, bars and motor garages how come up in the green belt! If the Minister of Home Affairs and the Minister of Housing had not intervened, the Coffee House which caters for the public, would have been demolished.

The number of elected members in the proposed Metropolitan Council should be raised from 49 to 56. The budgets of N.D.M.C. and other local bodies were not discussed so far but now they will be discussed by the proposed Metropolitan uncil! That is a good provision. The Government should also see that the budgets of D.D.A. and other similar bodies are also discussed by the Metropolitan Council. The Council should be given as much powers as possible.

The condition of services is very bad in Delhi. I suggest that there should be a seperate Public Service Commission for Delhi so that the people of Delhi get their due share in the public services of Delhi.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं । महानगरीय परिषद का प्रस्ताव दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिये है। जब कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे अन्य महानगरीय शहर भी हैं तो समझ में नहीं आता कि केवल दिल्ली के लिये ही विशेष रूप से महानगरीय परिषद का उपबन्ध क्यों किया जा रहा है। पिछले वर्षों में लोकतन्त्र की परम्परायें बनी हैं उनको समाप्त करने के लिये सरकार यह कदम उठा रही है।

यदि कोई निर्वाचित विधान सभा होती है, यदि विधान सभा तथा लोगों के प्रति एक जिम्मेदार मंत्री परिषद होती है तो यदि वे दुर्व्यवहार करें तो लोकमत द्वारा उनको ठीक करने का कोई तरीका होता है। परन्तु कार्यकारिणी परिषद और तथाकथित प्रशासक को राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किये जाने के अतिरिक्त ठीक रास्ते पर लाने का कोई तरीका नहीं है। हमें सतर्क रहना चाहिये। धीरे धीरे हम वही नीति अपना रहे हैं जो अनेक अफ्रेशियाई देशों ने अपनाई है। यदि हम लोकतन्त्रात्मक परम्पराओं को और सिद्धान्तों को नहीं मानते तो हमारा भी वही हाल होगा जो एशिया और अफ्रीका के देशों का हुआ है।

महानगरीय परिषद नहीं होनी चाहिये। एक निर्वाचित विधान सभा होनी चाहिये और एक मंत्री परिषद होनी चाहिये जो लोगों के प्रति जिम्मेदार हो।

श्री शिव चरण गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 239(क) विधान सभा बनाने के मार्ग में बाधक सिद्ध होता है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि संविधान में संशोधन किये बिना वित्तीय शक्तियां नहीं दी जा सकतीं। अनुच्छेद 239(1) के अन्तर्गत संसद को विधान मण्डल स्थापित करने की अबाध शक्तियां की गई हैं और अनुच्छेद 239 (क) में हिमाचल प्रदेश, मनिपुर, त्रिपुरा, गोआ, दमन और दीव तथा पाण्डीचेरी के लिये विशिष्ट उपबन्धों से दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र के लिये विधानमण्डल की व्यवस्था करने के लिये विधि बनाने हेतु संसद पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं। यद्यपि अनुच्छेद 239 से 241 में संघ राज्य क्षेत्र में कार्यपालिका वैधानिक तथा न्यायपालिका के ढांचों का उपबन्ध है, ये उपबन्ध भाग आठ में रख गये उपबन्धों में परिवर्तन करने की संसद की समूची शक्ति के अधीन है। इस सम्बन्ध में अनुच्छद 230(1) के आरम्भ के शब्दों द्वारा संसद को जो शक्ति दी गई है उसको अनावश्यक रूप से प्रशासनिक संसाधनों तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 239(1) के आरम्भ के शब्दों द्वारा दी गई शक्ति से ही अब संसद के लिये एक साधारण विधान द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिये विधान मण्डल स्थापित करना संभव है।

[श्री शिव चरण गुप्त]

अनुच्छेद 245, 246, 248 और सातवीं अनुसूची की पहली सूची में प्रविष्टि 97 को देखते हुए संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में विधान के लिये संसद की शक्तियां पूर्ण हैं।

पपुआ और न्यू गिनी अधिनियम, 1950 की धारा 35 के द्वारा आस्ट्रेलिया की संसद ने एक वैधानिक परिषद स्थापित की है और स्वयं विधान मण्डल, धारा 48 के अन्तर्गत राज्यक्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाये रखने और अच्छी सरकार के लिय कानून बनाना है। आस्ट्रेलिया में "कानून बनाना" ("To make laws") शब्दों का अर्थ समझा जाता है राज्य क्षेत्र में एक अधीनस्थ बिधान मण्डल स्थापित करना। अमरीकी संविधान के अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत कांग्रेस ने अलासका और हवाई के लिये जबकि वे राज्य क्षेत्र थे परन्तु पूर्णरूपेण राज्य नहीं बने थे और अमरीका का भाग बन गय थे, स्थानीय विधान मण्डल स्थापित किये थे।

भारत में भी संविधान के अनुच्छेद 245 के अन्तर्गत संसद समूचे भारत अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग के लिये जिसमें संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल है कानून बना सकती है।

संविधान के अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत, संसद को प्रथम तथा द्वितीय सूची में दिये गये किसी मामले के बारे में तथा किसी भी राज्य में न सम्मिलित भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग के बारे में, चाहे वह मामला राज्य सूची में दिया गया हो, विधियां बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रश्न का फैसला करते समय यह मानना चाहिये कि संसद को अमरीकी कांग्रेस जैसी शक्तियां प्राप्त हैं। यदि अमरीका में कांग्रेस नियम तथा विनियम बनाने की अपनी शक्ति से लगभग पूर्ण विधान मण्डल स्थापित कर सकती है तो इस बात का कोई कारण नहीं कि ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत भारतीय संसद दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के लिये वैसी संस्थाएं क्यों नहीं स्थापित कर सकती। संविधान के अन्तर्गत कोई रुकावट नहीं है और इसके लिये संविधान का आश्रय लेना शायद ठीक नहीं है। अब समय है कि इस मामले पर ध्यान दिया जाये। संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो दिल्ली प्रशासन विधेयक में उपबन्धित महानगरीय परिषद जैसे निकाय को वित्तीय शक्तियां देने के लिये संसद की शक्ति को सीमित करता हो। यदि इससे वर्तमान परिस्थितियों में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होती है तो दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के लिये एक निधि स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं है और इस निधि के लिये धन भारत की संचित निधि में से संसद की मंजूरी से दिया जा सकता है। जब हम उन शक्तियों के लिये आग्रह करते हैं तो महानगरीय परिषद और कार्यकारिणी परिषद के बीच सम्बन्ध पैदा करने के लिये महानगरीय परिषद को एक प्रभावशाली निकाय बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। यह सम्बन्ध कार्यकारी परिषद और महानगरीय परिषद दोनों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करेगा।

Shri Naval Prabhakar (Delhi-Karol Bagh) : The hon. Home Minister has brought this Bill for his own convenience, that is correct, but has he ever thought as to how far it will serve the interests of the people of Delhi. For no reason the citizens of Delhi are being denied the rights which are available to the people in all the other States.

Now I want to tell you something about the working of the Advisory Committees in Delhi. Here in Delhi as many as 55 Advisory Committees are functioning their meetings are never called and if ever they are called they are dissolve because of the criticism lasted in their meetings.

The proposed Metropolitan Council will be just like an Advisory Committee. It will be similar to the present Public Relations Committee with slight differences. The only difference will be that the Members of the Council will get some allowances etc. The Metropolitan Council will not be having substantial powers and the Delhi Administration will actually be run by the officials of the Home Affairs Ministry.

The Bill should be withdrawan, because it will never be possible to fulfil the wishes of the people by it.

If the Bill is passed it is likely to be challenged by the Law courts. There is so provision in it for the reservation of seats for the scheduled Castes in the interim period and there it violates the provisions of the Constitution.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबद) : विधेयक में कई आपत्ति जनक उपबन्ध हैं । वर्तमान अनुच्छेद 239–क में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की विधान सभा और मंत्रि परिषद बनाने पर प्रतिबन्ध है परन्तु अन्य कई संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभा आदि हैं । यदि संविधान में संशोधन करते समय दिल्ली को उसमें शामिल कर लिया जाता तो कुछ और ही बात होती ।

पहले एक खंड था जिसके अन्तर्गत सरकार को महा नगरीय परिषद के सदस्यों को नामनिर्देशित करने का अधिकार दिया गया था । कम से कम उसमें एक अच्छा उपबन्ध था कि वे सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होने चाहिय । अब सरकार इस उपबन्ध को भी हटाना चाहती है जिसका अर्थ यह है कि सरकारी कर्मचारियों को भी महानगरीय परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है ।

कार्यपालिका द्वारा विधान सभा या अर्ध विधान निकाय में सदस्य नामनिर्देशित करने का सिद्धान्त लोक सभा में एक बहुत गलत सिद्धान्त है । सरकार द्वारा सदस्य नामनिर्देशित करने सम्बन्धी खंड को हटा देना चाहिये । कम से कम नामनिर्देशित सदस्यों की संख्या को पांच से घटा कर दो कर दिया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त वे लोग सरकारी कर्मचारी या सरकार द्वारा लाइसेंस या परमिट प्राप्त करने वाले नहीं होने चाहिये ।

इस विधेयक में एक और उपबन्ध है जिसमें यह दिया गया है कि परिषद को राष्ट्रपति की इच्छा के बिना भंग नहीं किया जा सकता । लोक तन्त्र में इस बात को कभी सोचा भी नहीं जा सकता । निश्चय ही इसमें एक ऐसा उपबन्ध होना चाहिये कि यदि महानगरीय परिषद का एक विशेष बहुमत अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे या इसको हटाने सम्बन्धी याचिका राष्ट्रपति को पेश करे तो राष्ट्रपति को कार्यकारी परिषद के पद से उस सदस्य को तुरन्त हटा देना चाहिये । इस बात को देखते हुए कि संविधान के अधीन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है तो यह एक बहुत ही असन्दिग्ध स्थिति होगी यदि राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी पार्षदों को केवल राष्ट्रपति की इच्छा से ही हटाया जा सकता है ।

चाहे अन्य संघीय राजधानियों में लोकतंत्रीय व्यवस्था न भी हो, तब भी यह तर्क दिया जा सकता है कि हमें एक नया प्रयोग करना चाहिये । परन्तु जो प्रयोग वर्ष 1952–56 के दौरान किया गया था, वह इतना अच्छा नहीं था । हमें याद आता है जब न समाप्त होने वाले झगड़े यहां और दिल्ली विधान सभा में हुआ करते थे । यह भी तर्क किया जा सकता है कि ये झगड़े तो कांग्रेस राज में प्रति दिन होते रहते हैं । दिल्ली एक संघात्मक राजधानी है और विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय नगरों में से एक है । यदि यहां पर दो सरकारें कार्य करने लग जायेंगी तो इन दोनों सरकारों में आपस में झगड़े हुआ करेंगे । यह कोई अच्छी बात नहीं होगी । 1962 में शायद इसीलिये अनुच्छेद 239(क) को दिल्ली के सम्बन्ध में निष्क्रय बना दिया गया था ।

परन्तु यह दिल्ली में लोकतंत्रीय प्रशासन लागू नहीं किया जा सकता है तो हमें निश्चय ही दिल्ली के लोगों को अलोकतंत्रीय व्यवस्था से उत्पन्न होने वालों खतरों से बचाने के लिये केन्द्र में दिल्ली सम्बन्धी कार्यों के लिये एक अलग मंत्री नियुक्त करना चाहिये । दिल्ली संघ-क्षेत्र के सभी सदस्यों की परामर्श-दात्री समिति के परामर्श के बिना दिल्ली सम्बन्धी कोई भी किसी प्रकार का विधान संसद में पेश नहीं किया जाना चाहिये । इससे विधेयक के उपबन्ध कुछ कम अस्वीकार्य हो जायेंगे ।

मैं विधेयक के कुछ उपबन्धों का आंशिक रूप से समर्थन करता हूं । परन्तु यदि मेरे सुझावों को नहीं माना जाता है तो मैं इस विधेयक को बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : This Bill is against all the principles of democracy.......

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे। अब हम आधे घंटे की चर्चा को लेंगे।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के दर्जे के बारे में आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE : STATUS OF HIGH COURT JUDGES

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : ऐसा मालूम हुआ है कि गृह-कार्य मंत्री भारत के मुख्य न्यायाधिपति के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं कि उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के दर्जे तथा सेवा-शर्तों में परिवर्तन करने के बारे में पारस्परिक समझौते के आधार पर कोई निर्णय किया जाय। आशा है कि इस विचार विमर्श के अच्छे परिणाम निकलेंगे और इस मामले का निर्णय पूरी तरह सोच समझ कर किया जायेगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इस सम्बन्ध में अभी कुछ कहने का उचित समय नहीं है। मैं मंत्री महोदय से केवल यह अनुरोध करता हूं कि विचार विमर्श पूरा हो जाने के प्रश्चात उचित समय पर सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाना चाहिये जिस के द्वारा सभा को इन उपायों के बारे में जानकारी मिल सके जो उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवा-शर्तों को सुधारने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा किये गये हैं कि हमारे संविधान के अन्तर्गत उनका जो उच्च दर्जा है, वह सुरक्षित रहे इस के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैंने भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, श्री गजेन्द्रगड़कर के साथ कुछ बातचीत की थी परन्तु वह पूरी नहीं हो सकी थी। इसलिये अब मैं भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति से बातचीत कर रहा हूं। आशा है कि इस के परिणामस्वरूप इस प्रश्न के बारे में यथासम्भव सब कुछ किया जायेगा और तत्पश्चात एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : महोदय, सभा उन परिस्थितियों को जानती है जिन में पंजाब के पुनर्गठन में सम्बन्धित संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है। यद्यपि पंजाब राज्य का पुनर्गठन करने के बारे में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का एक बहुत भारी संख्या में संसद सदस्यों ने समर्थन किया था। अब सरकार इस विधेयक को इस चालू सत्र में पुन: पुर:स्थापित करना चाहती है। इसके लिये सरकार सूचना दे रही है और इस के साथ साथ सरकार यह भी निवेदन कर रही है कि अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के निदेश संख्या 19ख, नियम 338 and नियम 74 के दूसरे परन्तुक को इस विधेयक के सम्बन्ध में लागू न किया जाय और इन से छूट दे दी जाय। आशा है कि आप तथा सभा इस से सहमत हो जायेगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : श्रीमान, हम पंजाबी सूबा के पक्ष में हैं और विधेयक के सिद्धान्तों को भी स्वीकार करते हैं। परन्तु जहां तक संवैधानिक संशोधनों के लिये नियमों को निलम्बित करने का सम्बन्ध है, हम इस का विरोध करते हैं क्योंकि यह तो बहुत ही अलोकतंत्रीय ढंग है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

अतः मैं आप के द्वारा सभा से अनुरोध करती हूं कि इस विधेयक को साधारण रूप से न लाया जाय। नियमों को निलम्बित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, ऐसा अवसर एक बार पहले भी आया था। तब हमने नियमों को निलम्बित करने की बजाय एक और एक विशेष सत्र बुलाया था। नियमों को निलम्बित नहीं किया जाना चाहिये। इस मामले में बड़ी असावधानी बरती गई है। चाहे कुछ भी हो, अब हमें अपनी परम्पराओं को नहीं तोड़ना चाहिये।

श्री पे० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : इससे एक पूर्वदृष्टात के रुप में नहीं माना जाना चाहिये। यह ऐसी परिस्थितियां हैं जो अकस्सात उत्पन्न हो गई हैं। सभा के सभी वर्गों का सर्वसम्मत मत यह है कि पंजाबी सूबा शीघ्र बनाया जाय। अतः इस संशोधन को पास किया जाना है। यद्यपि नियमों को निलम्बित करना कोई अच्छी बात नहीं है तथापि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए इस विधेयक को पारित किया जाना आवश्यक है। अतः नियमों को निलम्बित कर दिया जाय।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : यह सही है कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम सभी यह चाहेंगे कि हमें इस विधेयक को पारित करने के लिये पुनः न आना पड़े। परन्तु इस से अधिक महत्वपूर्ण तो हमारी परम्परायें हैं जिन का अब तक हम सभा में दृढ़ता से पालन करते आये हैं। या तो पुनः सत्र बुलाया जाना चाहिये जैसाकि पहले एक ऐसे ही अवसर पर किया गया था अथवा इस विधेयक को आगामी सत्र में पुरःस्थापित किया जाना चाहिये। परन्तु निदेश को किसी अवस्था में भी निलम्बित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री राजाराम (कृष्णागिरी) : महोदय, एक ऐसे ही मामले में हमारे प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेष सत्र बुलाया था। अतः इस बार भी इस विधेयक पर विचार करने के लिये एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिये अथवा इस विधेयक को आगामी सत्र में लाया जाना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत (हौशंगाबाद) : दो वर्ष पूर्व भी कांग्रेस दल के सदस्यों ने ऐसी ही स्थिति उत्पन्न कर दी थी और उस समय इस बात का बड़ा बुरा माना गया था। परन्तु प्रतीत होता है कि कांग्रेस दल के सदस्यों ने उस घटना से कोई सबक नहीं सीखा है। यह एक बहुत ही खेदजनक बात है। इस विधेयक पर विचार करने के लिये हमें न केवल निदेश परन्तु अन्य दो नियमो को भी निलम्बित करना पड़ेगा क्योंकि नियम 338 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव केवल दो दिन के बाद ही लाया जा सकता है। इस के लिये एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिये और उसका सारा खर्चा कांग्रेस दल पर पड़ना चाहिये ? ताकि वे इस सबक को जीवन भर न भूलें।

श्री खाडीलकर (खेड) : यह तो ठीक है कि प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिये। परन्तु आखिरकार यह प्रक्रिया सभा ने ही तो निर्धारित की है। अतः सभा के नेता द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। इस के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न न हो।

श्री कृ० चं० शर्मा (सर्धना) : विधि द्वारा मान्य अधिकारों को बदलना तो कठिन होता है परन्तु यदि आवश्यकता हो तो स्थिति की आवश्यकता के अनुसार प्रक्रिया को बदला जा सकता है। अतः हमें नियमों को निलम्बित करने की बात को मान लेना चाहिये।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : संविधान का संशोधन करने के बारे में प्रक्रिया सम्बन्धी जो उपबन्ध किये गये हैं वे अनिवार्य हैं अतः इन्हे निलम्बित नहीं किया जाना चाहिये। हमें संविधान के प्रति निष्ठा दिखानी चाहिये। अन्यथा यह एक हास्यस्पद बात होगी।

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : सभी पूर्वोपाय किये जाने के बावजूद भी कभी कभी ऐसी घटनायें हो जाया करती हैं । अतः सभा के नेता को प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये, जिससे एक विशेष सत्र बुलाये जाने के फलस्वरूप होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सके ।

श्री सत्य नारायण सिन्हा : वास्तव में इस विधेयक को 14 मई को लिया जाना था । तदानुसार सदस्यों को 14 तारीख को उपस्थित रहने के लिये कहा गया था । परन्तु कुछ मदों पर अधिक समय लग जाने के कारण यह विधेयक 14 तारीख को न लिया जा सका । इस के पश्चात सभी सदस्यों को 16 तारीख को उपस्थित रहने के लिये कहा गया । हमारा विचार था कि इसे 15 तारीख को पुरः स्थापित किया जायेगा और 16 तारीख को विचार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा और आज मतदान हो जायेगा । परन्तु आज विषय सूची देखने पर ऐसा लगा कि यह विधेयक आज भी नहीं लिया जा सकेगा । अतः हमने सोचा कि इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिससे हम इस विधयक को आज पारित कर सकें क्योंकि उधर दूसरे सदन में भी सदस्यों को 18 तारीख को उपस्थित रहने के लिय कहा गया है । किसी को क्या पता था कि एसी बात हो जायेगी । चूंकि यह विधेयक बिल्कुल अविवादस्पद है अतः प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि इसे यथा सम्भव शीघ्र पारित किया जाय । मेरे विचार में इस में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । विषय सूची के क्रम को केवल इस लिये बदला गया था हम इस विधेयक को पारित कर सकें । इन परिस्थितियों में इस बात का निर्णय करना आपका तथा सभा का काम है कि क्या इस विधेयक के सम्बन्ध में नियमों को निलम्बित किया जाय अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों तथा निदेशों को निलम्बित करने के पक्ष में नहीं हूं । पिछली बार भी मेरी सलाह पर ही एक विशेष सत्र बुलाया गया था । परन्तु आज परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं । हम सभी चाहते हैं कि पंजाब राज्य का शीघ्र पुनर्गठन हो जाय जिससे कोई और कठिनाइयां उत्पन्न न हों । यह घटना पहली बार हुई है ।

इन परिस्थितियों में मैं सदस्यों को अपील करता हूं कि चूंकि हम सब की एक ही राय है अतः हमें इस बात पर सहमत हो जाना चाहिये कि विधेयक पर विचार किया जाय । इस बार हमें नियमों को निलम्बित कर देना चाहिये ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : हम सहमत हैं ।

श्री कृ० चं० शर्मा : हम इसका स्वागत करते हैं ।

श्री नम्बियार : एक ही सप्ताह में हम पुनः समवेत हो सकते हैं । इस में कठिनाई क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इस से कई बातें पर प्रभाव पड़ेगा और मुझे भय है कि कुछ और कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : यदि आप यह चाहते हैं कि इस बार विधेयक पर विचार करने को अनुमति दे दी जाय तो यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि भविष्य में इस प्रकार नियमों को कभी निलम्बित नहीं किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह कहना तो सम्भव नहीं है कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं किया जायेगा । परन्तु इस बात की तो गारंटी दी जा सकती है कि भविष्य में साधाणतया ऐसा कभी नहीं किया जायेगा । यदि सरकार की असफलता के परिणामस्वरूप ऐसा होता है तो वह निश्चय ही एसा करने के लिय नहीं कहेगी ।

डा० मा० श्री अणे : मैं अपनी आपत्ति वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आशा है सभी ऐसा ही करेंगे ।

श्री नम्बियार : जी, नहीं मैं इस मामले में ऐसा करने के लिये तैयार नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन से अपील कर रहा हूं क्योंकि हम सभी इस विधेयक के उद्देश्य से सहमत हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : यह कब लिया जायेगा ? हमें इसे अभी ले लेना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : कई नियमों को निलम्बित किया जाना है । विधेयक को पुन: पुर:स्थापित किया जाना है । इसे इस ढंग से नहीं किया जा सकता है । इसे कल लिया जायेगा परन्तु हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कल यह सारा कार्य हो जाय ।

श्री वी० चं० शर्मा : क्या नियम को निलम्बित कर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में प्रस्ताव अभी किया जाना है और यह कल किया जायेगा ।

माल को उतारने-चढ़ाने की पत्तनो की क्षमता के बारे में आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE: CAPACITY OF PORTS TO HANDLE CARGO

श्री लिंग रेड्डी (चिकबल्लापुर) : देश के विभिन्न भागों में सूखा पड़ा हुआ है । ऐसे समय में यह आवश्यक है कि हमारे पत्तनों पर विदेशों से जो माल आता है उस के अतिरिक्त खाद्यान्न के उतारने चढ़ाने की क्षमता हो ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the* Chair]

यहां कई बड़े पत्तन हैं परन्तु उनका पूरी तरह से विकास नहीं किया गया है । दुर्भाग्य से अनाज सूखाग्रस्त क्षत्रों के निकट वाले पत्तनों पर नहीं उतारा जा सकता है क्योंकि कई पत्तनों पर माल उतारने की कोई उचित योजना नहीं है । खाद्य विभाग के कुछ अधिकारी चाहते हैं कि अधिकांश माल को बम्बई पत्तन पर ही उतारा जाय । यद्यपि कुछ एसे पत्तन हैं जहां पर आसानी से अनाज उतारा जा सकता है और उसे आवश्यकता वाले क्षेत्रों में भेजा जा सकता है । परिणाम यह है कि बम्बई पत्तन परवाने वाले अनाज को जल्दी से नहीं उतारा जाता है और विलम्ब शुल्क देना पड़ता है । इस लिये यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में उचित योजना बनाई जाय जिससे अनाज अन्य पत्तनों पर भी उतारा जा सके । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि सुपर टैंकर मैनहटन' को कांडला अथवा प्रादीप पत्तन पर भेजा जाना चाहिये था न कि मद्रास पत्तन को जहां से अधिक परिवहन खर्चा पड़ता है । मंगलौर, विशाखापटनम तथा मरमागोआ पत्तनों पर कुछ अनाज आसानी से उतारा जा सकता है । परन्तु जहाजों को वहां नहीं भेजा जा रहा है । इस सारे विषय पर पुन: विचार किया जाना चाहिये और अनाज के जहाज़ों को बम्बई के अलावा अन्य पत्तनों पर भेजने के लिये उचित योजना बनाई जानी चाहिये ताकि आवश्यकता वाले क्षेत्रों में गेहूं आसानी से और शीघ्र भेजा जा सके ।

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : बाहर से आने वाले माल को पत्तनों पर उतारने-चढ़ाने की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है । वर्ष 1964–65 में हमारे बड पत्तनों पर केवल 484 लाख टन माल उतारा चढ़ाया जा सकता था । परन्तु अब 570 से 580 लाख टन माल उतारने-चढ़ाने की व्यवस्था कर दी गई है । इस प्रकार विभिन्न पत्तनों की क्षमता बढ़ाया गया है । बड़े पत्तनों के अतिरिक्त छोटे पत्तनों की क्षमता में भी क्रमबद्ध वृद्धि की जा रही है । अभी तक हम केवल 85 लाख टन अनाज बाहर से मंगाते रहे हैं । परन्तु देश में असाधारण परिस्थितियों के कारण इस वर्ष लगभग 120 से 150 लाख टन अनाज बाहर से मंगाया जाना है और इस अनाज को उतारने के लिये पत्तनों पर उचित व्यवस्था करनी होगी । यह केवल पत्तनों की क्षमता को बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं है । हमें वहां पर और भी कई सुविधाओं जैसे भाण्डागार के लिय स्थान, वहां से माल हटाने और नगरों आदि में माल लाने-ले-जाने तथा श्रमिकों की व्यवस्था भी करनी है । इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु हमें विभिन्न पत्तनों पर विशेष रूप से बम्बई, कांडला तथा मद्रास पत्तनों

[श्री चे० मु० पुनाचा]

पर माल उतारने-चढ़ाने के कार्यक्रमों का यंत्रीकरण करना है। इस के अतिरिक्त रेलवे परिवहन की व्यवस्था भी करनी है। अन्यथा हमें सफलता नहीं मिल सकेगी। इस दिशा में हम धीरे धीरे अग्रेसर हो रहे हैं। अप्रल के अन्त तक तो हम यह कार्य बहुत अच्छी तरह से करते रहे हैं। परन्तु इस महीने हमें कुछ कठिनाई होगी क्योंकि कम रफतार से चलने वाले कुछ जहाज़ देर से पहुंचे हैं और परिणाम यह है कि कई जहाज एक दम इकठे हो गये हैं। इन से माल उतारने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं। आशा है कि मानसून के महीनों में बड़े पत्तनों पर 12 लाख टन अनाज उतारा जा सकेगा और अन्य महीनों में 15 लाख टन अनाज उतारा जा सकेगा।

जहां तक मरहटन सुपर टेंकर को प्रादीप अथवा कांडला भेजने की बजाय मद्रास इसलिये भेजना पड़ा था। क्योंकि प्रादीप पत्तन का अभी निर्माण किया गया है और वहां पर इतना माल उतारने की व्यवस्था नहीं है। इसलिये जहाज़ के मालिकों ने आग्रह किया था कि यह माल एक ऐसे पत्तन पर उतारा जाय जो उनको स्वीकार्य हो। संविदा की यह एक शर्त है, अतः हमें उनकी बात को मानना पड़ा और इस में जो अनाज था वह मद्रास पत्तन पर उतारना पड़ा। इस के अतिरिक्त मद्रास से अनाज इधर उधर भेजने के लिये भी अच्छा प्रबन्ध है।

माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि सभी जहाज़ों का माल केवल बम्बई पत्तन पर ही उतारा जा रहा है और कि कांडला, प्रादीप, विशाखापटनम, मंगलौर जैसे पत्तनों पर उपलब्ध सुविधाओं से लाभ नहीं उठाया जा रहा है। यद्यपि आयात का अधिकांश माल बम्बई पत्तन पर उतारा जाता है, तथापि यह कहना ठीक नहीं है कि ऐसी प्रवृति है कि माल बम्बई पत्तन पर ही उतारा जाय। बम्बई पत्तन पर अधिक माल उतारने का कारण यह है कि वहां पर माल उतारने के लिये अधिक सुविधायें उपलब्ध है। इस के बावजूद भी इस वर्ष विशाखापटनम, कोचीन तथा मंगलौर पत्तनों पर क्रमशः लगभग 53,000 टन, 48,000 टन तथा 12,000 टन अनाज उतारा जा चुका है। माननीय सदस्य जानते हैं कि मंगलौर पत्तन तो केवल एक मौसमी पत्तन है जहां पर 6 से 9 महीने ही कार्य किया जा सकता है। सदस्य द्वारा उल्लिखित पत्तनों की क्षमता अभी बहुत कम है, तथापि माल उतारने के लिये यथा सम्भव सभी पत्तनों पर प्रबन्ध किये गये हैं जिस से हमारी पत्तन क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग किया जा सके और अनाज के आयात का जो कार्यक्रम चालू किया गया है वह सफलतापूर्वक पूरा किया सके।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार 17 मई, 1966/25 वैशाख, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, May 17, 1966/Vaisakha 25, 1888 (Saka)

भा० स० मु० ना०—वि०6—77 लोक सभा/66—9-11-67—565.